लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

3rd

LOK SABHA DEBATES

[सोलहवाँ सत्र
Sixteenth Session]

[खंड 60 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LX contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and/ contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 8—10 नवम्बर, 1966/19 कार्तिक 1888 (शक)

No. 8--November 10, 1966/Kartika 19, 1888 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता. प्र. संख्या S.Q. Nos.		
211. सरकारी खर्च में मितव्ययता	Economy in Government Expenditure	965—969
212. रिजर्व बैंक ऋण नीति	Reserve Bank Credit Policy .	969-970
213. सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	Public Sector Undertakings .	970—972
214. अमीनचंद प्यारे लाल सार्थ-समूह	Amin Chand Pyarelal Group of Firms . . .	972—977
215. सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	Public Sector Undertakings	977—980
216. केन्द्रीय राजस्थान नहर प्राधिकार की स्थापना	Setting up of Central Rajasthan Canal Authority	980-981
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता.प्र. संख्या S. Q. Nos.		
217. ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग	Banking in Rural Areas.	981–982
218 विदेशी ऋणों का भुगतान	Repayment of Foreign Loans.	982
219. नगरीय विकास	Urban Development .	982–983
220. औषध निर्माण संबंधी कच्चे माल के लिए आयात लाइसेंस	Import Licences for Pharmaceutical Raw Materials .	983–984
221. नेपाली मुद्रा	Nepali Currency	985
222. गांवों में बिजली की व्यवस्था	Rural Electrification	985—986

*किसी नाम पर अंकित यह (+) चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
223.	परिवहन नीति तथा समन्वय संबंधी समिति	Committee on Transport Policy and Co-ordination	986
224.	सिंचाई परियोजनायें	Irrigation Projects	986–987
225.	दिल्ली में भूमि से निकाले गये पानी में हैजे के कीटाणु	Cholera Germs in Ground Water of Delhi	987
226.	जिला वार राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों का संकलन	Compilation of District-wise National Income data	988
227.	नदी जल विवाद	River Water Disputes	988
228.	राज्यों में बिजली की दरें	Electricity Rates in States . .	988-989
229.	ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पेय जल का संभरण	Supply of Drinking Water to Rural Areas	989
230.	विश्व बैंक मिशन	World Bank Mission .	989–990
231.	नगरीय आय की अधिकतम सीमा	Ceiling on Urban Incomes .	990
232.	राज्यों द्वारा अधिक धन निकाला जाना	Overdrawal by States . .	990–991
233.	तवा बहुप्रयोजनीय परियोजना के लिये अतिरिक्त धन	Additional Funds for Tawa Multipurpose Project	991
234.	जयन्ती शिपिंग कम्पनी	Jayanti Shipping Co. .	991
235.	पेट्रोलियम उत्पादों पर कर	Taxes on Petroleum Products .	992
236.	मूल्यों को स्थिर रखना	Stabilisation of Prices .	992
237.	डाक्टरों को राज सहायता	Subsidy to Doctors . .	992-993
238.	खाद्य अपमिश्रण	Food Adulteration .	993
239.	साम्य पूंजी	Equity Capital . . .	993
240.	केरल में भूमि सुधार उपाय	Land Reform Measures in Kerala .	994

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
1059.	कलकता न्यायालय में तस्करी का मामला	Smuggling Case in Calcutta Court	994–995
1060.	कमला बालां बांध में दरारें	Breaches in Kamla Balan Embankment	995
1061.	जनसंख्या तथा डाक्टरों के बीच अनुपात	Population Doctors Ratio	995–996

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1062.	भारत में औसत आयु	Average age in India .	996
1063.	योजनायें बनाना	Formulation of Plans .	996–997
1064.	जीवन-बीमा निगम गृह-निर्माण ऋण	L.I.C. Housing Loans .	997
1065.	दिल्ली में निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर सोने का बरामद किया जाना	Gold seized at Niza muddin Railway Station, Delhi	998
1066.	पंजाब में अफीम का तस्कर व्यापार	Smuggling of Opium in Punjab	998
1067.	मैसर्स गोलचा प्रापर्टीज लिमिटिड, दिल्ली से लेन-दार लोग	Creditors of M/s. Golcha Properties Ltd., Delhi	998
1068.	अधिकारियों के विदेशों के दौरे	Officers Visiting Abroad	998–999
1069.	प्रति व्यक्ति आय	Per Capita Income	999
1070.	व्यापार गृहों में छापे	Raids on Business Houses	1000
1071.	सोने का जब्त किया जाना	Confiscation of Gold . .	1000-1001
1072.	मंत्रियों के लिये आयातित कारें	Imported Cars for Ministers .	1001
1073.	कूड़ा कचरा का ढेर लगाना	Dumping of Filth . .	1001–1002
1074.	शौलमारी आश्रम, कूच बिहार	Shaulmari Ashram Cooch-Bihar	1002
1075.	केन्द्रीय चिकित्सा अधिकारियों संबंधी चयन समिति	Selection Committee for Central Medical Officers	1002
1076.	जनरल ड्यूटी अफसरों की भर्ती	Recruitment of G. D. Os.	1002
1077.	मैसर्स ओरिएन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन तथा मैसर्स मैकेन्जीज़ लिमिटेड, बम्बई	M/s. Oriental Timber Trading Corporation and M/s. Mechanzies Ltd., Bombay	1003
1078.	नई दिल्ली स्थिति अशोक होटल लिमिटेड में सेवा की शर्तें	Service Conditions in Ashoka Hotel Ltd,. New Delhi . . .	1003

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1079.	आई० एन० ए० मार्किट, नई दिल्ली	I.N.A. Market, New Delhi	1004
1080.	ब्रिकेटों का निर्माण	Manufacture of Briquettes	1004
1081.	रुपये का विनिमय मूल्य	Exchange Value of Rupee . .	1004
1082.	कलकता में वृताकार रेलवे	Circular Railway in Calcutta . . .	1004–1005
1083.	वाशिंगटन में भारतीय दूतावास	Indian Embassy in Washington . .	1005
1084.	सरकारी उपक्रमों के निर्माण में वचत	Economy in Construction in Public Undertakings . . .	1005 1006
1085.	सिचाई और विद्युत् योजनायें	Irrigation and Power Schemes . .	1006–1007
1086.	केरल की पंचायतों के कर्मचारियों के वेतन क्रम	Pay Scales for Kerala Panchayat Association Employees	1007–1008
1087.	नेपाल की सिगरेटों का चोरी छिपे ले आया जाना	Smuggling of Cigarettes into Nepal	1008
1088.	एर्नाकुलम में चिकित्सा कालेज	Medical College at Ernakulam . .	1008–1009
1089.	पालम कालौनी	Palam Colony . .	1009
1090.	बस्तर गोलीकांड संबंधी प्रतिवेदन	Report on Bastar Firing . .	1009–1010
1091	फरक्का बांध परियोजना	Farakka Barrage Project .	1010
1092	दिल्ली बिजली सम्भरण उपक्रम	D.E.S.U. . .	1010–1011
1093	दिल्ली में श्रमजीवी महिलायें	Working Women in Delhi	1011
1094.	कृषि सम्बन्धी बड़ी परियोजनाओं पर सूखे का प्रभाव	Drought Effect on Major Irrigation Projects	1011–1012
1095.	स्टार्लिंग पेंशन में वर्मा का हिस्सा	Burma's Share of Sterling Pension	1012
1096.	पिछड़े क्षेत्र	Backward Areas .	1012
1097.	पिछड़े क्षेत्र	Backward Areas	1013
1098.	विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange . .	1013

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1099.	चौथी पंचवर्षीय योजना	Fourth Plan	1013–1014
1100.	दौलेश्वरम् एनीकट संबंधी मित्रा समिति का प्रतिवेदन	Mitra Committees Report on Dewlatshwaram Anicut	1014
1101.	त्रिवेन्द्रम आयुर्वेदिक केन्द्र	Trivandrum Ayurvedic Centre	1014
1102.	विदेशी मुद्रा का पकड़ा जाना	Seizure of Foreign Exchange . .	1015
1103.	भूमि सुधार उपाय	Land Reform Measures . .	1015–1016
1104	सिन्धु आयोग	Indus Commission	1016
1105.	लेखा बाह्य धन का पता लगाने के लिए छापे	Raids to Unearth Unaccounted Money .	1017
1106.	परिवार नियोजन के लिये खाई जाने वाली गर्भनिरोधक दवाई	Oral Contraceptive for Family Planning .	1017
1107.	बीमार लोगों के लिये नई बीमा योजना	New Insurance Scheme for Sick .	1017
1108.	फोटो लिथो प्रेस	Photo-Litho Press . . .	1017–1018
1109.	केरल में बिक्री कर और कृषि आय-कर की बकाया राशि	Arrears of Sales Tax and Agricultural Income Tax in Kerala . . .	1018
1110.	केरल भूमि सुधार अधिनियम	Kerala Land Reforms Act . .	1018
1111.	नगरीय भूमि और सम्पत्ति पर सरकारी नियन्त्रण	Public Control on Urban Lands and Properties	1019
1112.	विकलांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां	Scholarships to Phsysically Handicapped Students	1019
1113.	बंजारों तथा अन्य अस्थिरवासी आदिम जातियों का कल्याण	Welfare of Banjaras and Other Nomadic Tribes	1019–1020
1114.	चिकित्सा शिक्षा का समान स्तर	Uniform Standard of Medical Education	1020–1021
1115.	संसद् व राजनैतिक दलों के कर्मचारियों को आवास सुविधा	Housing Facilities for staff of Political Parties on Parties in Parliament . .	1021

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1116.	स्वर्णकारों को रोजगार दिलाना	Rehabiliation of Goldsmiths . .	1021
1117.	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष की पद-स्थिति	Status of Chairman Central, Social Welfare Board	1022
1118.	इद्दिकी योजना	Iddikki Scheme . . .	1022
1119.	केरल में प्रादेशिक लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालायें	Regional Public Health Laboratories, Kerala	1023
1120.	सलाल पन-बिजली योजना	Salal Hydro-Electric Project . . .	1023
1121.	आंध्र प्रदेश में पोचम्पाद परियोजना	Pochammpad Project in Andhra Pradesh .	1023
1122.	लोक स्वास्थ्य संबंधी विधान	Legislation on Public Health	1024
1123.	नेताजी की मूर्त्ति	Statue of Netaji . .	1024
1124.	लेखा बाह्य धन	Unaccounted Money .	1024-1025
1125.	बट्टे खाते में डाली गई आय-कर की बकाया राशि ।	Income Tax arrears written off .	1025
1226.	पेशनरों को मंहगाई भत्ता	D.A. to Pensioners	1026
1127.	अल्प बचत योजना	Small Savings Scheme . . .	1026-1027
1128.	दिल्ली में पकड़ी गई लोहे की चादरें	Iron Sheets seized in Delhi . .	1027
1129.	दिल्ली में पकड़ी गई अफीम	Opium seized in Delhi . . .	1027-1028
1130.	जाओरा रेलवे स्टेशन पर अफीम का पकड़ा जाना	Recovery of Opium at Jaora Railway Station	1028
1131.	चीन में बनी हुई घड़ियों का पकड़ा जाना	Seizure of Watches of Chinese Origin	1028
1132.	बम्बई तथा राजस्थान में छापे	Raids in Bombay and Rajasthan	1028-1029
1133.	डमडम हवाई अड्डे पर चोरी छिपे लाई गई वस्तुओं का जब्त किया जाना	Smuggled Goods seized at Dum Dum Airpor	1029

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1134.	लेखा बाह्य धन का लेन देन	Dealing in Unaccounted Money . .	1029–1030
1135.	मेसर्स जे० पी० एण्ड सन्स	M/s. J. P. & Sons . . .	1030
1136.	बम्बई में सोने का पकड़ा जाना	Seizure of Gold in Bombay .	1030
1137.	राजघाट के कर्मचारियों की मांगें	Demands of Employees of Raj Ghat .	1030–1031
1138.	सेवानिवृत अधिकारियों द्वारा सरकारी आवास-स्थान में रहना	Government Accommodation Occupied by Retired Officers.	1031
1139.	गन्दी बस्तियां	Slums	1031–1032
1140.	लेखा बाह्य धन का पता लगाने के लिये छापे	Raids to Unearth Unaccounted Money .	1032
1141.	मेसर्स चमन लाल एण्ड ब्रादर्स	M/s. Chaman Lal and Brothers .	1032—1043
1142.	श्री चिरंजीत लाल गोयनका के विरुद्ध न्यायप्रनिर्णयन की कार्यवाही	Adjudication Proceedings against Shri Chiranjit Lal Goenka . . .	1033–1034
1143.	सोने का पकड़ा जाना	Seizure of Gold	1034
1144.	परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme .	1035
1145.	चतुर्थ वार्षिक विद्युत् सर्वेक्षण	Fourth Annual Electric Power Survey .	1035
1146.	नई दिल्ली नगरपालिका आयुर्वेदिक औषधालय के निकट अनधिकृत खोखे	Unauthorised Structures near N. D. M. C. Ayurvedic Dispensary . . .	1035 1036
1147.	समवायों द्वारा किये गये खर्च पर छूट की सीमा सम्बन्धी नियम	Rules *re.* Exemption Limits on Expenditure by Companies	1036
1148.	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को आवास संबंधी सुविधाऐं	Housing Facilities *re* Central Government Employees	1036–1037
1149.	दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं	Health Services in Delhi .	1037
1151.	सावरीगिरी परियोजना	Sabarigiri Project	1037–1038
1152.	दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों पर चिकित्सा सुविधाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय	Per Capita Expenditure on Medical Facilities on Government Employees in Delhi.	1038
1153.	मन्त्रियों के निजी कर्मचारी	Personal Staff of Minister . .	1038

अतारां० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1154.	वित्त मन्त्रालय तथा केन्द्रीय राजस्व महालेखापाल के कार्यालय से प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मचारी	Ministry of Finance and A.G.C.R. Employees on Deputation . . .	1038-1039
1155.	खतरनाक बंगले	Dangerous Bungalows . . .	1039
1156.	नई दिल्ली में गोल मार्केट में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना का आयुर्वेदिक औषधालय	C.H.S. Ayurvedic Dispensary, Gole Market, New Delhi. . . .	1039
1157.	हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी, दिल्ली	Hindustan Housing Factory, Delhi .	1039-1040
1158.	अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण पुनरीक्षण समिति का प्रतिवेदन	All India Rural Credit Review Committee's Report	1040
1159.	नागपुर के श्रीराम दुर्गाप्रसाद सम्बन्धी मामले	Affairs of Sriram Durga Prasad of Nagpur.	1041
1160.	बाल कल्याण	Child Welfare	1041
1161.	चलते फिरते गर्भाशयान्तर गर्भनिरोधक रुजालय (क्लिनिक)	Mobile I.U.C.D. Clinics . . .	1041
1162.	जनांकि की संस्थान	Institutes of Demography] . . .	1042
1163.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा वेतन का न लिया जाना	Non-Acceptance of Pay by Central Government Employees . . .	1042
1164.	बैंक	Banks	1042-1043
1165.	संसद् सदस्यों के फ्लैटों से संबद्ध सेवकों के क्वार्टरों में पंखें	Fans in Servants Quarters attached to M.P. Flats . . .	1043
1166.	विदेशों में जाने वाले छात्रों को विदेशी मुद्रा	Foreign exchange to students going abroad	1044
1167.	नागार्जुनसागर बांध	Nagarjunasagar Dam . .	1044
1168.	केरल के कुट्टनाड क्षेत्र में पीने का पानी	Drinking Water in Kuttanad Area of Kerala	1044-1045

प्र० संख्या U. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1169. कुंडार जल संभरण योजना	Kundara Water Supply Scheme .	1045
1170. केरल के कल्लोर में बांध	Dam at Kallor in Kerala .	1045-1046
1171. राजस्थान नहर परियोजना	Rajasthan Canal Project . . .	1046
1172. आल इण्डिया मैडिकल इंस्टीट्यूट आफ मैडिकल साइंसेज में एक बायलर के फटने से मृत्यू	Death due to bursting of a Boiler in A.I.I.M.S.	1046
1173. केरल में सरकारी मुद्रणलयों के कर्मचारी	Employees of Government Presses in Kerala . . .	1047
1174. त्रिवेंद्रम दन्त चिकित्सा कालेज	Trivandrum Dental College	1047
1175. राज्यों को दिये गये ऋण	Loans advanced to States . . .	1047-1048
1176. बम्बई में चांदी का पकड़ा जाना	Seizure of Silver in Bombay . .	1048-1049
1177. बम्बई बन्दरगाह में ग्रीक टैंकर का पकड़ा जाना	Seizure of a Greek Tanker in Bombay Harbour	1049
1178. एरणाकुलम में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन में बिजली की व्यवस्था	Power Connection at A.I.C.C. Session Ernakulam	1049-1050
1179. कालकाजी स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के गोदाम में चोरी	Theft in C.P.W.D. Godown, Kalkaji .	1050
1180. इलाहाबाद जाने वाले एक विद्यार्थी के पास से पकड़ा गया सोना	Gold seized from a student bound for Allahabad	1050
1182. तानूर कोट्टायी नहर	Tanur Kottayi Canal . . .	1051
1183. भाखड़ा बांध	Bhakra Dam	1051
1184. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का दर्जा	Status of Central Social Welfare Board .	1051
1185. चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्यों के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनायें	Schemes sponsored by Centre for States in Fourth Plan	1052

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1186.	पाकिस्तान से अफीम का चोरी छिपे लाया जाना	Smuggling of Opium from Pakistan	1052
1187.	राजघाट में महात्मा गांधी के उपदेशों का अन्तरंकन	Inscriptions of Mahatma Gandhi's Teachings at Rajghat	1052-1053
1188.	नकली दवाइयों से छुटकारा पाने के लिये आसूचना तथा वैध प्राधिकार	Intelligence-*cuom*-legal Authority to Combat Spurious Drugs	1053
1190.	दिल्ली में स्वास्थ्य शिक्षा का डिपलोमा पाठ्यक्रम	Diploma Course in Health Education in Delhi	1053
1191.	राष्ट्रीय उपभोक्ता सेवा	National Consumer Service . .	1053-1057
1192.	ग्रामोद्योग परियोजना	Rural Industries Porject . .	1056
1193.	उत्तर प्रदेश के संसद सदस्यों द्वारा प्रधान मंत्री का अभ्यावेदन	Representation to P.M. by M.Ps. from U.P.	1056
1194.	सोने का पकड़ा जाना	Seizure of gold	1056
1195.	चौथी योजना के अन्तर्गत विद्युत् परियोजनाएं	Power Projects in Fourth Plan .	1056-1057
1196.	कलकत्ता के नगरीय विकास के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Calcutta's Urban Development	1057
1197.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में पासी जाति का सम्मिलित किया जाना	Inclusion of Passi Community in list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	1057
1198.	वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त कैमिस्ट	Chemists employed by Finance Ministry	1058
1199.	हीरे के व्यापारियों का विदेश जाना	Diamond dealers going abroad . .	1059
1200.	आयुर्वेदिक चिकित्सकों के वेतनक्रम	Pay Scales of Ayurvedic Physicians .	1059

तारांकित प्रश्न संख्या U.Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1201.	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों में आयुर्वेदिक चिकित्सक	Ayurvedic Physicians in C.H.S. Dispensaries	1059-1060
1202.	तीन योजनाओं में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर किया गया व्यय	Amount spent on Public Sector Undertakings in three Plans	1060
1203.	मिंक कोट	Mink Coats	1060-1061
1204.	मध्यम वर्ग की बचत क्षमता	Saving Capacity of Middle Class	1061
1205.	मैसूर में हरिजनों के लिये गृह-निर्माण योजना	Housing Plan for Harijans in Mysore .	1061
1206.	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Central Excise and Customs Department	1062
1207.	केन्द्रीय राजस्व बोर्ड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotion of S.C's. & S. T's. in Central Board of Revenue .	1063
1208.	राजोरी गार्डन एक्सटेंशन में श्मशान भूमि	Shamshan Bhoomi in Rajouri Garden Extension . . .	1063
	स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में	Re. Motions for Adjournment and Calling attention Notices	1063
	श्री गुलजारीलाल नन्दा का त्यागपत्र	Resignation by Shri Nanda as Minister of Home Affairs . .	1063
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	1066
	अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1966–67	Demands for Supplementary Grants (General) 1966-67	1070
	सभा का कार्य	Business of the House	1070
	तारांकित प्रश्न संख्या 249 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to S.Q. 249	1071

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
बोकारो इस्पात परियोजना के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Bokaro Steel Project	1072
श्री प्र० चं० सेठी	Shri P. C. Sethi	1072
निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक—पुरःस्थापित	Preventive Detention (Continuance) Bill—Introduced .	1073
हिन्दुस्तान टाइम्स द्वारा विशेषाधिकार भंग करने के बारे में	Re. Breach of Privilege by Hindustan Times	1075
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक	Representation of the People (Amendment) Bill	1075
तथा	And	
संविधान (इक्कीसवां संशोधन) विधेयक	Constitution (Twenty-first Amendment) Bill	1075
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider . .	1075
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida	1076
श्री कृ० चं० शर्मा	Shri K. C. Sharma	1076
श्री मलाइछामी	Shri M. Malaichami	1076
श्री उ० मू० त्रिवेदी	Shri U. M. Trivedi .	1077
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma	1077
श्री राधेलाल व्यास	Shri Radhelal Vyas . .	1078
चाय पर निर्यात शुल्क के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Export Duty on Tea .	1079
श्री मनुभाई शाह	Shri Manubhai Shah . .	1079
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions	1079
सत्तानवेंवां प्रतिवेदन	Ninety-Seventh Report . .	1079
मद्रास के लिये पीने के पानी सम्बन्धी योजना के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	Resolution Re. Scheme for Drinking Water for Madras—Negatived	1080
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan . .	1080
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida	1081
श्री नम्बियार	Shri Nambiar . .	1081
श्री व० बा० गांधी	Shri V. B. Gandhi . .	1082
श्री मुथिया	Shri Muthiah . .	1082

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री मनोहरन	Shri Manoharan	1082
श्री मुहम्मद इस्माइल	Shri Muhammed Ismail . .	1083
डा० सुशीला नायर	Dr. Sushila Nayar	1084
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	Resolution Re. Nationalisation of Banks—negatived . . .	1085
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen .	1085
श्री अ० ना० विद्यालंकार	Shri A. N. Vidyalankar .	1086
श्री अल्वारेस	Shri Alvares . .	1087
श्री च० का० भट्टाचार्य	Shri C. K. Bhattacharyya	1087
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh .	1088
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती	Shri P. R. Chakraverti	1088
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain .	1088
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee . .	1088
श्री पें० वेंकटासुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah . .	1089
श्री श्रीनारायण दास	Shri Shree Narayan Das	1089
श्री ब० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat . . .	1089
प्रशासन सुधार आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन के बारे में संकल्प	Resolution Re. Interim Report of Administrative Reforms Commission	1091
राजस्थान के श्री छागन लाल गोदावट के यहां छापे के बारे मे आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion Re. Raid on Shri Chaggan Lal Godavat of Rajasthan	1091
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	1091
श्री शचीन्द्र चौधरी	Shri Sachindra Chaudhuri	1095

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 10 नवम्बर, 1966/19 कार्तिक, 1888 (शक)
Thursday, November 10, 1966/Kartika 19, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
(MR. SPEAKER *in the Chair*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सरकारी खर्च में मितव्ययता

+

*211. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री जं० व० सिं० विष्ट
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री ह० चा० लिंग रेड्डी :
श्री दाजी :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रिमण्डल-सचिव की अध्यक्षता में नियुक्त सचिवों की समिति ने विभिन्न सरकारी विभागों में खर्च कम करने के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों की क्रियान्विति के फलस्वरूप कितनी मितव्ययता होने की संभावना है और किन-किन कार्यों में मितव्ययता की जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). जी, हां । सचिवों की समिति ने मंत्रालयों के 1966–67 के बजट की समीक्षा करने के बाद 91 करोड़ रुपये की सम्भावित बचत की सिफारिश की है । इसके अलावा रेलवे को 10 करोड़ रुपये की उस रकम की आवश्यकता नहीं होगी जो उन्हें 1966–67 में अतिरिक्त सहायता के रूप में देना स्वीकार किया गया था । मंत्रालयवार आंकड़ों का एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 7288/66]** राजस्व खर्चे में 3 प्रतिशत

और पूंजी सम्बन्धी व्यय में 5 प्रतिशत कटौती का लक्ष्य था। यह लक्ष्य जहां कहीं सम्भव हो सका, पूरा किया गया है। विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं के अन्तर्गत की गई प्रगति तथा वर्ष में धन की संभावित आवश्यकताओं का वास्तविक रूप से दुबारा अनुमान लगा करके और कुछ कम आवश्यक कार्यों को रद्द करके अथवा स्थगित करके बचत के जरियों का पता लगाया गया है।

श्री स० मो० बनर्जी : विवरण के अनुसार समिति ने 1966–67 में सबसे अधिक बचत—पन्द्रह करोड़ रुपये की—प्रतिरक्षा मंत्रालय के व्यय में दिखाई है। क्या यह बचत चौथी पंचवर्षीय योजना में ली जाने वाली कुछ प्रतिरक्षा परियोजनाओं के खर्च में कटौती करके की गई है और यदि नहीं, तो यह बचत वास्तव में किस व्यय में कटौती करके की जा रही है ?

श्री ल० ना० मिश्र : हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि इस बचत के लिए किसी अत्यावश्यक अथवा महत्वपूर्ण परियोजना के व्यय में कटौती न की जाये।

श्री स० मो० बनर्जी : इसके अतिरिक्त क्या सरकार ने अर्थ-व्यवस्था के हित में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में बढ़ते हुए असंतोष के बावजूद भी दो वर्ष तक उनके वेतन में वृद्धि न करने का निर्णय किया है और यदि हां, तो क्या यह सच है और क्या सरकार को पता है कि सरकार के इस निर्णय से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में असंतोष है ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह सच है कि मंत्रिमंडल ने कुछ समय पूर्व, विशेष रूप से रुपये के अवमूल्यन के बाद यह निर्णय किया था कि केन्द्रीय सरकार के वेतन क्रम दो वर्ष तक न बढ़ाये जायें।

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। क्या सरकार के इस विवेक शून्य निर्णय के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में बढ़ते हुए असंतोष के बारे में उन्हें पता है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि मूल्य बहुत बढ़ गये हैं और यह स्वाभाविक है कि निश्चित आय वाले लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। किन्तु हमें देश की समूची अर्थ-व्यवस्था पर भी विचार करना है। देश की अर्थ-व्यवस्था को देखते हुए वेतन में वृद्धि नहीं की जा सकती है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह प्रस्तावित कटौती सामान्य राजस्व में की गई है अथवा विभिन्न मंत्रालयों में विशेष मदों के व्यय में ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैं बता चुका हूं कि यह कटौती मदवार की गई है। 1966–67 से राजस्व व्यय में 24 करोड़ रुपये की तथा पूंजीगत व्यय में 67 करोड़ रुपये की कटौती की गई है।

Shri Yashpal Singh: May I know whether Government have taken this fact into account that the post of the Governor has become out of date and does not fit in the democratic set up and millions of rupees are being spent on it which can be saved by abolishing this post?

Shri L. N. Mishra: It is not true that either millions can be saved by abolishing this post or it has become out of date because at the time of political crisis the presense of Governor becomes essential.

श्री प्रिय गुप्त : रेलवे मंत्रालय एक ओर तो 'आया' के चौथी श्रेणी के पदों तथा तीसरी श्रेणी के अन्य छोटे पदों को फालतू घोषित कर रहा है और संविहित पुस्तक में न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित प्रतिशत के अनुसार पदों को ऊंचा नहीं कर रहा है और दूसरी ओर भारत सरकार के रेलवे प्रशासन ने इस बचत अभियान के समय कई करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय से नवां रेलवे जोन स्थापित किया है । सरकार द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही कहां तक न्यायसंगत है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के समय केवल जानकारी मांगी जा सकती है और न कि औचित्य के बारे में पूछा जा सकता है ।

श्री ल० ना० मिश्र : मुझे 'आया' तथा चतुर्थ श्रेणी के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी नहीं है । इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य को अधिक जानकारी हो सकती है । अतिरिक्त जोन कार्यकुशलता और अच्छे प्रशासन की दृष्टि से स्थापित किया गया है ।

श्री अ० प्र० शर्मा : विवरण के अनुसार 5 करोड़ रुपये की बचत की संभावना है और 1966–67 में 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बचत करने का वचन दिया गया है । इस प्रकार कुल 15 करोड़ रुपये की बचत होगी । रेलवे मंत्रालय द्वारा यह 10 करोड़ रुपये की बचत का वचन किस प्रकार पूरा किया गया है ? क्या सरकार को पता है कि रेलवे में इस बचत अभियान के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर छंटनी के आदेश दिये जा रहे हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैं नहीं समझता कि छंटनी करके इस दस करोड़ रुपये की बचत की गई है । छंटनी का कोई दूसरा कारण हो सकता है । किन्तु यह बचत गैर आवश्यक परियोजनाओं को स्थगित करके की गई है ।

श्री अ० प्र० शर्मा : क्या सरकार को पता है कि बचत के नाम पर छंटनी के आदेश दिये जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने बताया है कि बचत के कारण छंटनी नहीं की जा रही है ।

श्री प्रिय गुप्त : छंटनी की जा रही है । क्या सरकार हमें आश्वासन देगी कि बचत के कारण छंटनी नहीं की जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय से केवल उत्तर दिलवा सकता हूं; मैं उनका खंडन नहीं करता, चाहे उत्तर सही हो अथवा गलत । मैं आश्वासन नहीं दिला सकता हूं ।

श्री रंगा : क्या हम यह समझें कि अनुत्पादक अथवा योजना से भिन्न परियोजना के व्यय में कटौती करके यह बचत प्रधान मंत्री के इस कथन का परिणाम है कि सरकार के विभिन्न मंत्रालय अपने कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करते न जायें और यदि हां, तो क्या सरकार व्यय में 10 प्रतिशत की कमी करने के अपने आश्वासन को पूरा करने का भरसक प्रयत्न करेगी ?

श्री ल० ना० मिश्र : व्यय में 10 प्रतिशतकी कटौती करने का हमारा प्रयास रहा है । यह कटौती योजना तथा गैर-योजना, दोनों क्षेत्रों में की गई है । हम गैर आवश्यक तथा उन मदों को जो अर्थ-व्यवस्था के हित में कुछ समय तक स्थगित किये जा सकते हैं, स्थगित करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

Shri Bhibhuti Mishra: Is it a fact that the expenditure on the establishment was five per cent during British days but now it has increased to 15 per cent after independence whereas our per capita income is 5 or 7 annas only. Do government propose to enforce some rule to check this expenditure?

Shri L. N. Mishra: It is true that government expenditure has increased and the income of the poor is very small. We try our best to check it, but we could not get complete success so far in this direction.

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : महोदय, मेरा प्रश्न उस पत्र के सन्दर्भ में है जो मैंने प्रधान मंत्री को लिखा था। मुझे बताया गया था कि वह पत्र वित्त मंत्रालय तथा अन्य सभी मंत्रालयों में परिचालित किया गया था। उस पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि 1962 में चीनी आक्रमण के समय इसी प्रकार की एक समिति नियुक्त की गई थी और व्यय में कटौती की सूची के बारे में इसी प्रकार का विवरण प्रस्तुत किया गया था, किन्तु सरकारी व्यय 1962 में 258 करोड़ रुपये से बढ़ कर अब 500 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। चीनी आक्रमण के समय बचत अभियान के पहले वर्ष में केन्द्रीय सरकार मे 10,000 से अधिक और कर्मचारी भर्ती किये गये। मैंने अपने पत्र में बताया था कि इस प्रकार की सचिवों की समिति अनुपयोगी सिद्ध हुई और बचत अभियान को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। क्या मेरे द्वारा उल्लिखित बातें सच हैं तथा इस प्रकार की समिति को सुदृढ़ तथा कारगर न बनाये जाने के क्या कारण हैं ? यदि मेरे पत्र के बारे में मंत्री महोदय तथा उपमंत्री महोदय को जानकारी नहीं है, तो इस प्रश्न को स्थगित करके इसका उत्तर बाद में सांयकाल 3–4 बजे दिया जा सकता है। यह देश की अर्थ-व्यवस्था से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : वास्तव में यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। किन्तु इसका विचाराधीन मुख्य प्रश्न से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। इसका उत्तर देने से पहले मैं इस पर विचार करूंगा और इसके बारे में माननीय सदस्य को पत्र द्वारा सूचित कर दूंगा।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं तब तक कोई प्रश्न नहीं उठाता हूं जब तक मैं यह न समझ लूं कि यह आवश्यक है और देश के हित में अनिवार्य है। देश के हित में ऐसे महत्वपूर्ण मामले के बारे में मैं किसी के पत्र से सन्तुष्ट नहीं हूं। इसीलिये मैंने यह प्रश्न उठाया है।

श्री शचीन्द्र चौधरी : श्री माथुर द्वारा प्रधान मंत्री को भेजे गये पत्र की एक प्रति मुझे मिली है। मैं इसमें उठाई गई प्रत्येक बात पर विचार करूंगा और उनका उत्तर देते समय प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दूंगा। यदि श्री माथुर चाहते हैं कि इसे स्थगित किया जाये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : श्री माथुर द्वारा उठाई गई बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम पिछले पन्द्रह वर्षों से देख रहे हैं कि व्यय कम करने के लिये सरकार केवल कागज़ों में ही प्रयत्न करती रही है। 1952 से अब तक हमारा व्यय निरन्तर बढ़ता गया है। सरकार का सभी मदों पर प्रशासनिक व्यय बढ़ता गया है। मैंने इस सम्बन्ध में एक दिन भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री कृष्णमाचारी से बातचीत की थी। वह व्यय कम करने के बारे में मुझ से सहमत थे और उन्होंने कहा था कि उन्होंने प्रत्येक विभाग पर इस बात के लिये जोर दिया है कि व्यय में 15 प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। यह बात पुरानी हो गई है। अब लगभग नौ-दस महीने बाद यह मामला फिर उठाया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में कुछ कार्यवाही की जा रही है अथवा यह केवल कागज़ी कार्यवाही मात्र है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : श्री त्रिवेदी द्वारा कही गई बात को मैं चुनौती देना अथवा उसका खंडन नहीं करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि माननीय सदस्य के अनुसार सरकारी व्यय में वृद्धि हुई है किन्तु इसके साथ-साथ सरकारी राजस्व भी बढ़ा है। अतः इस पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए। सरकार के कार्यों में वृद्धि हुई है और विभिन्न विभाग खोलने पड़े। जहां तक व्यय कम करने का सम्बन्ध है, प्रत्येक मंत्रालय में इसके लिये भरसक प्रयत्न किया जा रहा है। जहां तक मेरे मंत्रालय का सम्बन्ध है, वह व्यय कम करने का प्रयत्न कर रहा है और मैं एक सप्ताह में सभा को बता सकूंगा कि क्या ठोस परिणाम निकले हैं। मैं सभा को बता सकता हूं कि विभिन्न व्यय में कटौती करने से 91 करोड़ रुपये की बचत हो सकेगी। किन्तु कुछ मदों में हम चाहने पर भी व्यय में कमी नहीं कर सकते। उदाहरणार्थ देश के विभिन्न भागों में आकस्मिक तथा अप्रत्याशित सूखे के कारण हमें व्यय करना पड़ता है। यद्यपि हम व्यय करने के तरीके निकाल रहे हैं किन्तु कभी-कभी स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। इसके बावजूद भी मैं इस सभा से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि सरकारी व्यय को नियंत्रित करने के लिये यथासंभव प्रयत्न किया जाना चाहिए।

श्री प्रिय गुप्त : मंत्रियों के व्यय समेत।

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं श्री प्रिय गुप्त से पूर्णतः सहमत हूं कि मंत्रियों का व्यय भी नियंत्रित किया जाना चाहिए।

रिजर्व बैंक ऋण नीति

+

*212. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि यद्यपि अभी हाल में रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया ने चुने हुए छोटे उद्योगों के बारे में अपनी ऋण नीति उदार बना दी है तथापि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के, विशेषतया आसाम के बैंक उल्टी नीति पर चल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने आसाम सरकार के माध्यम से अथवा किसी अन्य तरीके से उस क्षेत्र के बैंकों की ऋण सम्बन्धी नीति को राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण नीति के अनुरूप लाने के लिए कोई उपाय किये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) सरकार को ऐसे कोई अभ्यावेदन नहीं मिले हैं कि आसाम में छोटे पैमाने के उद्योगों को ऋण सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। ऋण नीति को हाल में उदार बनाने से होने वाले लाभ उन्हें भी मिलेंगे।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri M. L. Dwivedi: Is it a fact that banks, particularly State Bank, are facing great difficulties in providing credit facilities to small scale industries either no loan could be granted or it was delayed to such an extent that it

could not serve the desired purpose. If so, what steps are being taken by Government to improve the position?

Shri B. R. Bhagat: These facilities provided to the small scale industries have been in existence for a number of years. It will be observed from the statistics that the amount of assistance is going up every year. Moreover, the conditions for grant of assistance are also being made liberal. There may be a few instances of delay or some difficulty, but we are trying to remove them and government have advanced about Rs. 91 crores as loan to them during the last 4—5 years.

Shri M. L. Dwivedi: May I know whether the liberalised policy of the Reserve Bank has resulted in increase in the credit facilities provided and which suggestions are under consideration of government to further liberalise the credit facilities?

Shri B. R. Bhagat: The reply to the first part of the question is yes. For instance I may state that 7,000 applications were received in 1964 and an amount of Rs. 22 crores was sanctioned. In 1965 the applications received totalled about 11,700 and credit facilities amounting to more than Rs. 42 crores were extended. Certain points, the extent of margin and conditions for guarantee etc. are being considered sympathetically.

Shri Sheo Narain: Will the Finance Minister state the nature of these facilities and whether all 7,000 applications, referred to by him were got this loan?

Shri B. R. Bhagat: We have provided Reserve Bank guarantee for the risk in case of advances to small scale industrialists, who may not have repaying capacity, which is the main difficulty faced by the Banks. This is an important facility which is not available to big industries.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

+

*213. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० म० मो० दास :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **वित्त** मन्त्री 1 सितम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 787 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस दौरान सरकारी उपक्रमों के प्रधानों द्वारा की गई सभी सिफारिशों पर पूर्णत: विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी सिफारिशों को स्वीकार और कार्यान्वित किया गया है और किस प्रकार ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). प्रधान मन्त्री द्वारा आयोजित सम्मेलन में जिन प्रश्नों पर विचार किया गया था, उनकी जांच की गयी है और आशा है कि उनके बारे में जल्दी ही फैसले कर लिये जायेंगे ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इस सम्मेलन की एक मुख्य सिफारिश यह थी कि यह पता लगाने के उद्देश्य से कि सरकारी उपक्रमों के कितने प्रधान तथा निदेशक अपने पदों पर वास्तव में काम करने योग्य हैं, सरकार को तुरन्त एक सर्वेक्षण करना चाहिये। क्या ऐसा सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले तथा क्या किन्हीं वर्तमान कार्यकारी प्रधानों को वास्तव में हटाया गया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : प्रधान विशेषों की नियुक्ति अथवा हटाये जाने के बारे में मुझे पूर्व सूचना चाहिये। सम्मेलन में उठाई गई सभी बातों पर पूर्ण रूप से विचार किया गया है और सरकारी उद्यम ब्यूरो तथा समन्वय विभाग की राय भी ली गई है तथा मन्त्रिमण्डल के सामने रखने के लिये एक पत्र (पेपर) तैयार किया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि इन सिफारिशों पर शीघ्र ही निर्णय कर लिया जायेगा।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या यह सच है कि कुछ समय पहले ही वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् ने एक सर्वेक्षण किया था जिससे पता चला कि सरकारी क्षेत्र के हमारे उपक्रमों में, विशेष रूप से हमारे इस्पात कारखानों में, लगभग 25 प्रतिशत तकनिशियनों और जूनियर इंजीनियरों को वास्तव में कम रोजगार मिला हुआ है ? यदि यह सही है, तो हमारी प्रबन्ध प्रणाली में इस दोष को दूर करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : मुझे वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् द्वारा सर्वेक्षण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन यह सच है कि कार्मिक-प्रबन्ध (पर्सनल) नीति तथा कर्मचारियों की आवश्यकता आदि के प्रश्न पर भी विचार किया गया था और इस बारे में भी कुछ निर्णय किये जा रहे हैं।

Shri M. L. Dwivedi: Recruitment at the centre is made through U.P.S.C. Have Government made any similar rules in case of recruitment in public sector undertakings? Is it also a fact that central government officers are deputed to these undertakings that they may draw more money in the form of deputation allowance, which adversely affects the employees of those undertakings. If so, what steps are being taken by government to stop this practice?

Shri L. N. Mishra: Rules and procedure have been laid down for recruitment. They are empowered to make recruitment for posts upto a certain limit of pay beyond which the recruitment is to be made through U.P.S.C. As regards the payment of deputation it is uniform everywhere and it is not given specially in case of public sector undertakings.

श्री पें० वैंकटासुब्बया : सरकारी उपक्रमों के प्रशासकों को शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के सरकार के निर्णय को कहां तक क्रियान्वित किया गया है और क्या इन उपक्रमों के सन्तोषजनक ढंग से काम करने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से प्रशासकों पर डाली गई है ?

श्री ल० ना० मिश्र : सरकारी उपक्रम समिति के एक अथवा दो प्रतिवेदन संसद् में प्रस्तुत किये गये थे। उसने कुछ सिफोरिशें की हैं, जिम्मेदारी निश्चित करने के बारे में तो पहले से ही व्यवस्था है और उस समिति की सिफारिश भी, प्रधान मन्त्री जिसकी सभापति थीं, सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री अ० प्र० शर्मा : इन उपक्रमों में कितने सेवा-निवृत्त कर्मचारी काम कर रहे हैं और इसके क्या कारण हैं ? क्या इसका कारण यह है कि युवक प्रशासनिक अधिकारी नहीं मिल रहे हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह सच है कि कुछ सेवा-निवृत्त कर्मचारी सरकारी उपक्रमों में आ गये हैं और यह प्रश्न भी उठाया गया था और इस बारे में भी सरकार को निर्णय करना है।

श्री अ० प्र० शर्मा : वे कितने हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैं संख्या नहीं बता सकता ।

Shri Yashpal Singh: Have Government considered the question of making the talented engineers and technicians independent of the authority of I.C.S. officers, a class created by the Britishers to sow the seeds of segragation between black and white?

Shri L. N. Mishra: We have received some such complaints from the technicians, who do not want such people as their administrative heads. It is a question of changing the government's policy. Of course, personally I agree with the hon. member.

Shri Tulsidas Jadhav: Is it not a fact that production in the public sector undertakings is less as compared to private sector as there is less incentive? Have government considered to give more incentive so as to increase production?

Shri L. N. Mishra: I do not agree with the hon. Member that production in the public sector is less than the private sector. The performance of many state undertakings is for much better than that of private sector. The difficulty is that the things pertaining to the private sector remain private but matters relating to public sector become public.

श्री उ० मू० त्रिवेदी : जब 1 सितम्बर, 1966 को प्रश्न संख्या 787 पूछा गया था तो मैंने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि क्या इन सरकारी उपक्रमों को हिदायतें दी गई हैं कि तीसरी और चतुर्थ श्रेणी में स्थानीय लोगों को भर्ती किया जाये ? क्या सरकार ने इसे क्रियान्वित कर दिया है अथवा सरकार ने उन्हें लिखा है कि यह प्रक्रिया अपनानी चाहिए ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह तो पुरानी शिकायत है । स्थानीय लोगों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है क्योंकि उस परियोजना के लिये उनकी भूमि अर्जित की जाती है लेकिन यह जरूरी नहीं है । माननीय सदस्य वकील हैं उन्हें मालूम होना चाहिए । यह संविधान के भी विरुद्ध है ।

अमीनचन्द प्यारे लाल सार्थ-समह

+

***214. श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अमीनचन्द प्यारेलाल सार्थ-समूह द्वारा, इस्पात नियन्त्रक द्वारा गैर-कानूनी रूप से जारी किये गये सीमा शुल्क निकासी प्रमाणपत्र (कस्टमस क्लीयरेंस परमिट) के आधार पर, लाइसेंस में लिखित माप के अतिरिक्त अन्य माप की इस्पात की चादरों के आयात की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सीमा-शुल्क अधिकारियों ने सीमा-शुल्क निकासी प्रमाणपत्र को स्वीकार करने से इंकार कर दिया और माल को जब्त कर लिया ;

(ग) क्या विशेष पुलिस संस्थान ने उल्लंघन के इस मामले में कोई जांच-पड़ताल की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले तथा इस फर्म इस्पात नियन्त्रक तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) वर्ष 1963 में मेसर्स अमीनचन्द प्यारेलाल द्वारा वाणिज्यिक किस्म की ऐसी हाट रोल्ड काली सपाट चादरों के टीन जत्थों का आयात, एक कलकत्ता,एक बम्बई, एक मद्रास के बन्दरगाहों पर पकड़ा गया। इनका माप लाइसेंस में दर्ज नहीं था।

(ख) इन तीनों मामलों में सीमा शुल्क कार्यालयों से माल छुड़ाने के लिये जारी किये गये मूल परमिटों में लोहा तथा इस्पात नियन्त्रक ने बाद में संशोधन किया था, जिससे आयात किये गये माप की चादरें भी परमिटों के अन्तर्गत आ जायें, लेकिन सम्बन्धित सीमाशुल्क समाहर्ताओं ने यह निर्णय किया कि सीमा-शुल्क कार्यालयों से माल छुड़ाने सम्बन्धी ये परमिट मान्य नहीं थे, और इसलिए माल को इस शर्त के साथ जब्त कर लिया गया कि जुर्मानों की अदायगी होने पर माल छोड़ दिया जाय, और दो मामलों में दण्ड भी लगाया गया। परन्तु अपील किये जाने पर, विधि मन्त्रालय से परामर्श लेने के बाद, बोर्ड ने लोहा तथा इस्पात नियन्त्रक द्वारा जारी किये गये संशोधित परमिट स्वीकार कर लिये, दण्ड माफ कर दिया और जब्ती के आदेश रद्द कर दिये।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Madhu Limaye: The whole affair has been exposed. Three ministries are involved. I will, therefore, submit that such questions should be answered by the Prime Minister or there should be a Minister of coordination as the Prime Minister keeps mum and does not answer any questions.

There are many inter-related matters. One case related to Commerce Ministry, Home Affairs Ministry and Finance Ministry. This case pertains to Steel Ministry, Finance Ministry and Home Affairs Ministry. Law Ministry has also come into the picture. What was the basis of advice by the Law Ministry and who was the Steel Minister at that time?

Mr. Speaker: This question cannot be asked.

Shri Madhu Limaye: The hon. Member should explain the advice of Law Ministry and on what basis it has given that advice.

Mr. Speaker: You can only ask the advice given.

Shri Madhu Limaye: Then let me know the advice given by the Law Ministry?

श्री ब० रा० भगत : विधि मन्त्रालय ने निम्नलिखित सलाह दी थी :

"किसी संविधि द्वारा आदेश जारी करने की दी गई शक्ति में इस प्रकार जारी किये आदेश में संशोधन अथवा परिवर्तन करने, उसे मूल आदेश के समान उसी प्रकार परन्तु उसी प्रकार की अनुशास्ति तथा शर्तों (यदि कोई हों), के अनुसार लागू करने की शक्ति सम्मिलित है। इस प्रकार, लोहा और इस्पात नियन्त्रक द्वारा जारी किये गये आदेश के सीमा-शुल्क निकासी परमिट में दिये गये रूप में सीमा शुल्क निकासी परमिट में परिवर्तन करके संशोधन किया जाता है, तो नियन्त्रक के मूल आदेश को इस प्रकार लागू किया जाना चाहिए जैसा कि बाद में किये गये परिवर्तन इसमें पहले ही सम्मिलित थे।"

Shri Madhu Limaye: Mr. Speaker, I have a point of order under Rule 368, which reads as under:

Papers quoted to be laid on the Table:

368. If a Minister quotes in the House a despatch or other State paper which has not been presented to the House, he shall lay the relevant paper on the Table.

Provided that this rule shall not apply to any documents which are stated by the Minister to be of such a nature that their production would be inconsistent with public interest.

Mr. Speaker: Had the Minister stated it in his own words, it was not necessary to lay it on the Table but since he has quoted it, what is his view about laying it on the Table?

श्री ब० रा० भगत : इसे सभा-पटल पर रखने में कोई हानि नहीं है ।

Mr. Speaker: The hon. Minister will lay it on the Table.

Shri Madhu Limaye: Mr. Speaker, then I will request you kindly to postpone this question so that we may look into the advice.

Mr. Speaker: There is no question of postponement.

Shri Madhu Limaye: Have government established a machinery to provide suitable answers to questions concerning three-four ministries. Does the Prime Minister answer such questions or there is a minister of a coordination?

Mr. Speaker: He cannot answer it. It should be addressed to the Prime Minister.

Shri Madhu Limaye: The Prime Minister never replies to my question.

Mr. Speaker: You should put a separate question to the Prime Minister, she will answer.

Shri Kishen Pattnayak: The question of dealings between the Firm of Aminchand Pyarelal and the steel controller and the Steel Ministry has been raised on many occasions and it smells of corrruption. In view of this have government taken any steps to enquire into the connection between the Firm of Aminchand Pyarelal and steel controller and are the government thinking to refer this issue to the commission appointed under the chairmanship of Justice Sircar?

Shri B. R. Bhagat: As far as these three cases of imports are concerned, there is no corruption.

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि—जैसाकि श्री नन्दा द्वारा श्रीमती इन्दिरा गांधी को लिये गये पत्र से स्पष्ट है—ये अधिकारी प्राय: सरकार की नीतियों में हेर फेर करते हैं, सरकार ने इस बात के लिए क्या कार्यवाही की है कि ये अधिकारी सरकार की नीतियों में संशोधन आदि न कर सकें ?

श्री ब० रा० भगत : इस मामले में नीति में कोई संशोधन नहीं किया गया है, अत: प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री हेम बरुआ : लोहा और इस्पात नियन्त्रक ने आदेशों में संशोधन किया था ?

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय कहते हैं कि किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया।

Shri Sinhasan Singh: May I know whether Government is prepared to lay on the Table of the House the papers regarding the modifications made by the Iron and Steel Controller after issuing the original Custom Clearance permits and confiscation of goods by the Collector of Customs and the Ministry which referred the matter to the Ministry of Law?

Shri B. R. Bhagat: It is not necessary to lay all the papers on the Table of the House. I would like to tell the House that this decision was not taken by one man. Since it was a case involving more than five lakhs rupees, it was examined by the full Board consisting of three or four members. They unanimously decided to consult the Ministry of Law in regard to its legal aspects, as it was to be amended.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: May I know whether the hon. Minister's attention has been drawn to the fact that there is one more firm parrallel to M/s. Amin Chand Pyarelal owned by a prominent Minister of Orissa. As the interests of these two firms clash with each other, the Minister of Orissa has a hand in blackmailing this firm?

Shri B. R. Bhagat: I have no information about it.

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सच है नहीं है कि अमींचन्द प्यारेलाल ग्रुप की फर्में बार बार नाम बदल कर विभिन्न नामों से उसी प्रकार ठेके प्राप्त करती हैं जिस प्रक र प्रथम महायुद्ध में 'एमर्डन सबमैरीन' ने किया था। सरकार ने अमींचन्द प्यारे लाल ग्रुप की फर्मों को इन बेनामी हस्तांतरणों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है। क्या सरकार ने उन्हें काली सूची में शामिल कर दिया है।?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सामान्य प्रश्न है।

श्री रंगा : क्या केवल कुछ महीने पहले इस फर्म के अथवा किसी दूसरे फर्म के कहने पर सरकार ने मूल नियम अथवा विनियमों में यह संशोधन किया था अथवा नहीं? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कई मामलों में अमीचन्द प्यारेलाल फर्म विभिन्न विभागों से अपना कार्य सरलता से करवा लेती थी, क्या सरकार इस बात का अध्ययन करने के लिए कोई व्यापक जांच करवायेगी कि यह फर्म मंत्रालयों से अपना कार्य किस प्रकार करवा लेती थी तथा क्या सभी काय सच्चाई के आधार पर होते थे अथवा क्या सरकार को इस अत्यन्त महत्वपूर्ण किन्तु खतरनाक फर्मों के ग्रुप के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन करना पड़ेगा?

श्री ब० रा० भगत : जहां तक जांच करने का संबंध है, इस मामले की व्यापक रूप से जांच की जा रही है।

जहां तक प्रणाली का संबंध है कि इस मामले में कोई विशेष प्रणाली नहीं अपनाई गई थी। किन्तु चूंकि ये आयात कुछ दुर्लभ सामग्री से संबंधित थे, अतः लोहा और इस्पात नियंत्रक के कार्यालय में उस समय आरम्भ में विभिन्न नियंत्रण परमिट देने की प्रणाली थी। बाद में, आयात करने के बाद अथवा उनको माल को सरकारी अथवा सार्वजनिक उपयोग के लिये लेने तथा उसे आयातक की इच्छा के अनुसार बेचने की अनुमति न देने की दृष्टि से आयात करते समय यह कस्टम क्लीयरेंस परमिट के अन्तर्गत आता है। इस मामले में माल राज्य व्यापार निगम के पास आया था न कि इस फर्म के पास। यह इसलिये किया गया था कि आयात के बाद माल का दुरुपयोग न हो।

श्री रंगा : मैंने जिस जांच का सुझाव दिया था, उसका क्या हुआ?

श्री ब० रा० भगत : इस मामले में व्यापक जांच की जा रही है। इन सभी मामलों की जांच की जायेगी।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि यद्यपि उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश जस्टिस सरकार की अध्यक्षता में इस फर्म के मामलों की जांच की जा रही है, इस फर्म के सेठ जीतपाल ने कांग्रेस के दुर्गापुर अधिवेशन में कांग्रेस को 20 लाख रुपये दिये थे और आगामी चुनावों के लिए 25 लाख रुपये का आश्वासन दे कर जांच आयोग का प्रतिवेदन विलम्ब से प्रस्तुत करने के लिए उनपर दबाव डाला जा रहा है ?

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह न केवल सरकार के विरुद्ध अपितु जांच करने वाले उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध भी आक्षेप है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं ने इस प्रकार की कोई बात नहीं कही है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यदि कोई सरकार यह चाहती हो कि न्याय हो तो जांच के लिये प्रमुख न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति नियुक्त करने के अतिरिक्त और कोई दूसरा अच्छा उपाय नहीं है। माननीय सदस्य का कहना है कि सरकार चाहती है कि प्रतिवेदन चुनावों के बाद प्रस्तुत किया जाये मानो सरकार को सन्तुष्ट करने के लिए न्यायाधीश उसके हाथ का खिलौना बन गया हो। अत : यह निश्चित रूप से न्यायाधीश तथा आयोग के विरुद्ध आक्षेप है।

श्री त्यागी : मेरा एक दूसरा प्रश्न है। विरोधी दल के किसी सदस्य को मंत्रियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाने का पूरा अधिकार है किन्तु प्रत्येक आरोप का आधार कोई जानकारी होनी चाहिये। यदि कोई समाचार समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ हो, तो उसके आधार पर प्रश्न पूछा जा सकता है किन्तु उन्हें स्वयं कोई बात नहीं गढ़ सकते हैं। यदि उन्हें कोई व्यक्तिगत जानकारी हो, तो उन्हें उसके बारे में पहले लिखित रूप में स्वीकार करना चाहिए और तब प्रश्न पूछना चाहिए। माननीय सदस्य का यह कहना गलत है कि कांग्रेस को इतने लाख रुपये नहीं दिये गये। माननीय सदस्य को अपनी जानकारी का स्रोत बताना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने दो व्यवस्था प्रश्नों को सुना है।

श्रीमती रेणुका राय : क्या इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाला जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, उन्हें नहीं निकाला गया है।

श्री स० मो० बनर्जी : श्री हरिश्चद्र माथुर ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि मैंने उच्चतम न्यायालय के सुविख्यात भूतपूर्व न्यायाधीश के विरुद्ध आरोप लगाया है। मैं भी न्यायपालिका का उतना ही आदर करता हूं जितना माननीय सदस्य श्री माथुर। मेरा प्रश्न सरल था। लोग बड़े उद्योगों से धन लेते हैं। मेरा प्रश्न यह था कि क्या प्यारे लाल अथवा जीतपाल द्वारा कांग्रेस को चुनावों के लिये 25 लाख रुपये देने का आश्वासन देकर समिति की कार्यवाही में विलम्ब कराने का प्रयत्न किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : हमारे न्यायाधीशों पर यह आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए कि उन पर दबाव डाला जा सकता है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है।

श्री त्यागी : मेरे द्वारा उठाये गये प्रश्न पर आप अपना विनिर्णय दीजिये। क्या बिना किसी आधार के आरोप लगाये जा सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जब तक माननीय सदस्य को विश्वास न हो और जब तक लगाये जाने वाले आरोप में कोई सचाई न हो तथा जब तक माननीय सदस्य ने उनके बारे में कोई पूछ ताछ न की हो तब तक उन्हें इस प्रकार के आरोप नहीं लगाने चाहिए।

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : नियम 41(2)(v) के अनुसार किसी व्यक्ति के पदेन या सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त उसके चरित्र या आचरण के बारे में नहीं पूछा जा सकता है।

Shri Madhu Limaye: He has not said anything about Justice Sarkar.

* *

श्री फखरुद्दीन अहमद : यह मुझ पर आक्षेप है। मुझे इसके बारे में आपत्ति है।

अध्यक्ष महोदय : सभा को इस पर असंतोष है। बिना सोचे समझे शब्दों का प्रयोग किया गया है।

श्री कृ० चं० शर्मा : उन शब्दों को निकाला जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें निकालता हूं।

Shri Madhu Limaye: What has been expunged.

Mr. Speaker: It can not be told. The hon. Minister may see the record.

श्री फखरुद्दीन अहमद : किसी व्यक्ति के पदेन या सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त उसके चरित्र या आचरण के बारे में प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए। किसी व्यक्ति के, जो सार्वजनिक अधिकारी अथवा मंत्री न हो, चरित्र या आचरण के बारे में प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है।

Shri Bagri: May I know whether on the basis of the enquiry being conducted in the allegations levelled against Amin Chand Pyarelal firm the attention of the Minister has been drawn to the statement made by Shri Gulzari Lal Nanda to the effect that the steps he took to stop corruption were blocked officially; in this context may I know whether the enquiry against the firm is being conducted on the lines devised by Shri Nanda?

Mr. Speaker: There is no mention of Amin Chand Pyarelal there.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

+

*215. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य में सुधार करने के बारे में योजना आयोग के सदस्य श्री एस० जी० बर्वे द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

Expunged as orderd by the chair.

(ख) क्या ऐसे उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के कार्यकाल को बढ़ाने के बारे में कोई प्रस्ताव है ;

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यकुशलता में सुधार करने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र के बड़े व्यवसायिकों की प्रतिभा का उपयोग करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) जहां तक आयव्ययक को तैयार करने और उत्पादन के लिये सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के लिये इसके आवंटन का संबंध है, सरकार ने एककों को अब तक अधिकतम कितनी स्वायत्तता दी है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य में सुधार करने के सुझावों के बारे में निरन्तर विचार किया जा रहा है। इसमें श्री एस० जी० बर्वे द्वारा दिये गये सुझाव भी शामिल हैं।

(ख) यह निर्णय किया गया है उनको कम से कम 4 वर्ष के लिये नियक्त किया जाये जिसे छः वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

(ग) गैर सरकारी क्षेत्र के योग्य व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिये निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(घ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों स्वायत्तता इन उपक्रमों के अन्तर्नियमों के अनुसार होती है जिनमें सामन्यतः यह व्यवस्था होती है कि मुख्य प्रबन्ध करने वाले वित्तिय मैनेजरों की नियुक्ति सरकार द्वारा होगी, निर्धारित सीमा से अधिक पूंजी गत व्यय की स्वीकृति सरकार द्वारा दी जायेगी तथा उपक्रमों निर्धारित सीमा अधिक वेतन वाले उच्च पदों पर नियुक्तिमों के लिये सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। इन में सरकार द्वारा इन उपक्रमों को हिदायतें दिये जाने की व्यवस्था है किन्तु इस अधिकार का उपयोग बहुत कम किया जाता है। अन्य सभी मामलों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि योग्य युवक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की अपेक्षा गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में जाना अधिक पसन्द करते हैं और यदि हां, तो इस बात के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि जो सेवानिवृत कर्मचारी कार्य कर रहे है उनके स्थान पर इन युवकों की सेवाओं का उपयोग किया जाये।

श्री ल० ना० मिश्र : यह एक पुराना प्रश्न है जो इस सभा में पहले उठाया जा चुका है। जब मैं गृह–कार्य मंत्रालय में था मैंने इस बारे में अध्ययन किया था। हमें बताया गया था कि योग्य नवयुवकों के लिये सरकारी पद वेतन क्रम आदि के मामले में गैर-सरकारी पदों की अपेक्षा कम आकर्षक है। सरकार इस संबंध में प्रयत्न कर रही है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या इस समय बड़ी संख्या में भारतीय विदेशों में तकनीकी पदों पर कार्य करते है और यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें भारत आकर हमारी विकास परियोजनाओं में कार्य करने के लिये सहमत कराने का प्रयत्न कर रही है ?

श्री ल० ना० मिश्र : कुछ समय पहले सभा में प्रश्न का उत्तर भी दिया जा चुका है। यह सच है कि कुछ तकनिशनों डाक्टरों तथा इंजीनियरों को विदेशों में अच्छे पद मिलते हैं । उनके लिये सरकारी नौकरी की व्यवस्था करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं और इसका परिणाम भी अच्छा रहा है ।

Shri Rameshwar Tantia: May I know the extent of loss suffered by the Ranchi Heavy Engineering and the Bhopal Heavy Electricals during the last five years and whether it is a fact that there is a general feeling that these factories will be running at a loss during the coming five years also and if so, the reasons therefor?

Shri L. N. Mishra: In the initial stages the projects in the Public Sector have to loss as is the case in the Private Sector also. The Ranchi Heavy Engineering has not gone into full production so far, it is therefore not proper to arrive at such a conclusion. I would request the hon. Member to create a good climate for that as it is attacked from all sides.

श्री वासुदेवन नायर : मंत्री महोदय ने बताया है कि सरकार व्यावसायिक लोगों को सरकारी क्षेत्र में नौकरी देने का प्रयत्न कर रही है । क्या उन्हें सरकारी क्षेत्र में नौकरी देते समय कोई शर्तें निर्धारित की जा रही है; उदाहरणार्थ, नियुक्त किये जाने के समय तक वे जिस गैर-सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे हों, उसमें उनका कोई निहित स्वार्थ वित्तीय स्वार्थ नहीं होना चाहिये ।

श्री ल० ना० मिश्र : मैं समझता हूं कि यह शर्त है। गैर-सरकारी क्षेत्रों से आने वाले कुछ लोगों ने सरकारी क्षेत्र में अत्यन्त सराहनीय कार्य किया है ।

श्री वासुदेवन नायर : क्या इसके लिए कुछ विशेष शर्तें हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : जी, हां : कुछ शर्तें हैं ।

श्री अ० ना० विद्यालंकार : सरकारी उपक्रमों के प्रमुखों की संख्या क्या है और उनमें कितने व्यक्ति तकनीकी विशेषज्ञ हैं और कितने तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : इस के लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिए ।

श्रीमती रेणुका राय : मंत्री महोदय ने भाग (क) में यह बताया है कि बजट बनाने और नियतन करने की उन्हें पर्याप्त स्वतन्त्रता है । क्या कुछ ऐसे कदम भी उठाये गये हैं जिनसे धनराशि की मंजूरी तथा उसका नियतन शीघ्रता से किया जा सके और सरकारी उपक्रमों के प्रबन्धकों को बहुत समय तक इस सम्बन्ध में किसी की प्रतीक्षा न करनी पड़े ।

श्री ल० ना० मिश्र : सरकारी उद्योगों की वित्तीय व्यवस्था सरकार के अन्य मंत्रालयों तथा विभागों की वित्तीय व्यवस्था से भिन्न है । उन्हें इस मामले में स्वतन्त्रता है और वहां ये काम शीघ्रता से किये जाते हैं ।

श्री के० दे० मालवीय : क्या यह सच नहीं है कि गैर-सरकारी क्षेत्र से विशेषज्ञों का चयन और अवधि-काल 4 वर्ष से 6 वर्ष बढ़ाया जाने से सरकारी क्षेत्र के संचालन में बहुत अधिक सुधार नहीं हुआ है और अब यह आवश्यक हो गया है कि इस समस्या पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाए ?

श्री ल० ना० मिश्र : माननीय सदस्य कुछ धैर्य रखें । मेरा विश्वास है कि इसमें अवश्य ही सुधार होगा ।

श्री रंगा : क्या सरकार ने सरकारी उपक्रम समिति द्वारा दिये गये सुझावों और टिप्पणियों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया है ? क्या सरकार ने उच्च अधिकारियों के बार बार तबादले के बारे में समिति द्वारा दी गई टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए यह निश्चय किया है कि उच्च अधिकारियों

का तबादला शीघ्र न किया जाय और उन्हें एक निश्चित अवधि तक अपने पद पर रहने दिया जाय। जहां तक सम्भव हो इन उपक्रमों में भारतीय प्रशासनिक सेवा या आई० सी० एस० स्तर के अधिकारियों को नियुक्त करके न भेजा जाय जैसा कि तेल और गैस कम्पनी के सम्बन्ध में हुआ था। वहां पर तो तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति की जानी चाहिए ;

श्री ल० ना० मिश्र : श्री बर्वे ने भी इस बात पर बल दिया था। महत्वपूर्ण बात है जिस पर ध्यान दिया जा रहा है। हमने इनकी नियुक्ति 4 वर्ष से 6 वर्ष के लिए करने का निश्चय किया है। कार्य कुशलता के हित में अधिकारियों के बार बार तबादले को रोका जा रहा है। यह भी प्रयास किया जा रहा है कि इन उपक्रमों के प्रमुख अधिकारी ऐसे व्यक्ति रखे जायं जो तकनीकी विशेषज्ञ हों।

केन्द्रीय राजस्थान नहर प्राधिकार की स्थापना

+

216. डा० कर्णी सिंहजी :
श्री यशपाल सिंह :
डा० रानेन सेन :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बड़े :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय राजस्थान नहर प्राधिकार की स्थापना में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ख) जिस रास्ते से होकर राजस्थान नहर जायेगी, उस क्षेत्र का विकास करने के लिए सरकार का कब बड़े पैमाने पर कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और बिजली मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु०ल० राव) : (क) प्रशासन तथा अन्य सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययनों का अध्ययन किया जा रहा है।

(ख) राजस्थान नहर क्षेत्र में विकास कार्य पहले से ही किये जा रहे हैं और उनकी प्रगति में तेज़ी लाने का विचार है।

डा० कर्णीसिंह जी : बिरद्वाल से शुरू होने वाली नहर (लिफ्ट चेनल) पर काम कब शुरू होगा ? क्या राजस्थान सरकार से कोई ऐसा प्रस्ताव भी मिला है कि इस नहर को चुरू जिले तक बढ़ाया जाय ?

डा० कु० ल० राव: स्वीकृत योजना में यह नहर पहले से ही सम्मिलित है। किन्तु इसको आगे बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। प्रारम्भ में इससे $2\frac{1}{2}$ लाख एकड़ की सिंचाई करने का लक्ष्य था परन्तु अब इसे बढ़ाकर 5—6 लाख एकड़ कर दिया गया है। जहां तक चुरू क्षेत्र को सम्मिलित करने का सम्बन्ध है, हमने राज्य सरकार से इसकी जांच करने के लिए कहा है कि इसकी निर्माण संबंधी सम्भावनाओं का पता लगाये। इस बारे में हमें अभी तक कोई प्रतिवेदन नहीं मिला है। यदि अनुकूल प्रतिवेदन मिला तो वह क्षेत्र भी इसमें शामिल कर लिया जायेगा।

डा० कर्णी सिंह जी : भूतपूर्व मंत्री श्री ति० त० कृष्णमाचारी के इस आश्वासन के बावजूद कि राजस्थान नहर परियोजना को केन्द्र अपने हाथ में ले लेगा, ऐसा क्यों नहीं किया गया ? वर्तमान

वित्त मंत्री ने भी इस परियोजना का निरीक्षण करने की इच्छा प्रकट की थी परन्तु इसको स्थगित क्यों कर दिया गया ?

डा० कु० ल० राव : जब भूतपूर्व वित्त मंत्री ने इस क्षेत्र को देखा था, उस समय से परिस्थितियां बहुत हद तक बदल गयी हैं। उस समय यह विचार किया गया था कि केन्द्रीय सरकार इस परियोजना को अपने नियंत्रण में ले लेगी परन्तु वैधानिक सलाह यह दी गयी कि जब तक किसी परियोजना में दो राज्य भागीदार न हों तब तक भारत सरकार उसे अपने हाथ में नहीं ले सकती। अतः यह प्राधिकार अब राज्य सरकार के अधीन ही स्थापित कर दिया गया है। वर्तमान वित्त मंत्री, राजस्थान नहर पर जो कार्य अब तक हुआ है, उसकी जानकारी चाहते हैं। राजस्थान नहर प्राधिकार के सम्बन्ध में उन्हें कुछ भी नहीं करना है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग

217. **श्री व० कु० दास :**
डा० म० मो० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में भी बैंकों के साथ लेन-देन करने की आदत बहुत शीघ्रता से बढ़ रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि डाकघर बचत बैंक, स्टेट बैंक आफ इंडिया की कुछ शाखायें तथा कुछ अन्य वाणिज्यिक बैंक इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं ;

(ग) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं; और

(घ) क्या मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के संसाधनों को जुटाने के लिए एक पृथक् राष्ट्रीय बचत बैंक स्थापित करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां. जैसा कि ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों के बैंकिंग कार्यालयों में निक्षेपों में हाल के कुछ वर्षों में हुई वृद्धि से संकेत मिलता है।

(ख) और (ग). स्टेट बैंक और इसकी सहयोगी बैंकों तथा वाणिज्यिक और सरकारी बैंकों के ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों में पहले से ही लगभग 2250 कार्यालय हैं। बचत बैंक का काम करने वाले शाखा डाकघरों की संख्या भी जो कि मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ही काम करते हैं, अब लगभग 37,800 है। इसके अतिरिक्त राज्य बैंक, इसकी सहयोगी बैंकें तथा अन्य वाणिज्यिक बैंकें बिना बैंक वाले अधिक से अधिक क्षेत्रों में बैंक खोलने के लिए, एक शाखा विस्तार कायक्रम

को क्रियान्वित कर रहे हैं। सहकारी बैंकें और डाकघर बचत बैंकें भी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक शाखाएं खोलने का प्रयत्न कर रहीं हैं।

(घ) जी, नहीं।

विदेशी ऋणों का भुगतान

218. **श्री सेझियान** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 सितम्बर, 1966 को बम्बई में हुई निर्यात-आयात परिषद् की बैठक में योजना आयोग के एक सदस्य द्वारा विदेशों से प्राप्त ऋणों का भुगतान करने में आयोजन के असफल रहने के बारे में की गई टिप्पणी की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस बात का कोई अनुमान लगाया है कि कहां तक असफलता रही है; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, हां। निर्दिष्ट बैठक में योजना आयोग के सदस्य प्रो० वी० के० आर० वी० राव ने कहा कि अब तक पर्याप्त रूप से नहीं समझा जाता था कि यदि देश ने विदेशों से ऋण लिया तो ब्याज और ऋण की अदायगी केवल अधिक उत्पादन तथा अधिक निर्यात द्वारा ही हो सकती है।

(ख) और (ग). विदेशी सहायता के पुनर्भुगतान में योजना की असफलता का प्रश्न नहीं उठता। क्योंकि ऋण के समय पर भुगतान करने में सरकार ने कभी भी चूक नहीं की है। आयोजित विकास और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सम्बन्ध में भुगतान संतुलन की समस्या का समय समय पर, विरोध रूप से तृतीय योजना के तैयार किये जाने के समय से अध्ययन किया गया है। चतुर्थ योजना के प्रारूप में यथा शीघ्र आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर विशेष रूप से बल दिया गया है और इसके अध्याय 'दो' में इस लक्ष्य को छठी योजना के आरम्भ तक पूरा करने के उपाय विस्तार से दिये गये हैं।

Urban Development

219. **Shri M. L. Dwivedi:**
Shri P. C. Borooah:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri S. C. Samanta:
Dr. M. M. Das:
Shri Subodh Hansda:
Shri Indrajit Gupta:

Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) the broad outlines of the scheme, if any, formulated by Government for urban development in the country;

(b) the amount asked for by his Ministry from the Planning Commission for urban development and the amount sanctioned for this purpose under the aforesaid scheme;

(c) the estimated amount earmarked for the development of Bombay, Delhi, Calcutta and Madras and the State-wise amount of expenditure for the remaining cities; and

(d) whether only big cities are covered under this scheme or all those cities where Municipal Committees, Town Area Committees and Notified Area Committees have been set up, are also included therein?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna): (a) In the Fourth Plan, it is contemplated to complete the master plans/regional plans numbering 75 on which work was started in the Third Plan and, in addition, to take up preparation of master plans for 52 class I and 105 class II cities and 49 tourist/pilgrim centres.

(b) The amount asked for was Rs. 70.0 crores, against which Rs. 28 crores have been allocated—Rs. 13 crores for preparation of master plans, etc., and Rs. 15 crores for implementation of certain vital aspects of urban development plans and municipal works.

(c) State-wise allocations of funds are made from year to year after taking into consideration the requirements of each State/Union Territory. A statement is laid on the Table of the Sabha giving the allcoations of 1966-67.

STATEMENT

Name of the State	Amount (in lakhs of rupees)
1. Andhra Pradesh.	4.50
2. Assam.	2.50
3. Bihar.	5.00
4. Gujarat.	4.50
5. Jammu and Kashmir.	0.75
6. Kerala.	5.00
7. Madhya Pradesh.	4.00
8. Madras.	8.00
9. Maharashtra.	5.00
10. Mysore.	6.00
11. Orissa.	3.00
12. Punjab (including Haryana).	8.00
13., Rajasthan.	5.00
14. Uttar Pradesh.	8.00
15. West Bengal.	4.25

(d) During the Fourth Plan, all cities having a population of 50,000 or more will be covered by the Scheme. In addition, 49 tourist/pilgrim centres will also be covered.

औषध निर्माण संबंधी कच्चे माल के लिये आयात लाइसेंस

*220. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा अपनाई गई उदार आयात नीति के परिणामस्वरूप तैयार कच्चे माल, विशेष कर औषध निर्माण क्षेत्र के माल, जिसके लिए अपने देश में ही पर्याप्त अधिष्ठापित क्षमता विद्यमान है, के लिए आयात लाइसेंस दिये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने संबंधित लाइसेंसिंग अधिकारियों से इस मामले में बात चीत की है ; और

(ग) क्या इस त्रुटि को दूर करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) अप्रैल, 1966 से मार्च, 1967 तक की अवधि में लघु उद्योगों के निजी इस्तेमाल के लिए आयात किये जाने वाले कच्चे माल के संबंध में आयात नीति को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा उदार बनाया गया । इस उदार नीति के अधीन लघु उद्योगों के एककों को कच्चे माल के लिए विशेष आयात लाइसेंस देने का निश्चय किया गया । विशेष लाइसेंस के अधीन आयात किये जाने वाले कच्चे माल का मूल्य अप्रैल, 1964 से मार्च, 1965 तक की अवधि में लाइसेंसों के अधीन आयात किये गये कच्चे माल के मूल्य से तिगुना अथवा यदि प्रार्थी 1964 से मार्च 1965 की अवधि में कोई आयात लाइसेंस नहीं दिये गये हों तो ऐसे आयात लाइसेंसों के अधीन आयात किये गये कच्चे माल के मूल्य से बारह गुना तक हो सकता है जिसके आयात के लिए उसे अप्रैल 1965 से मार्च, 1966 की अवधि तक लाइसेंस दिये गये हों । यह भी शर्त लगाई गई है कि विशेष आयात लाइसेंस उसी कच्चे माल के आयात के लिए दिए जायेंगे जिन्हें अप्रैल, 1964 से मार्च, 1965 अथवा अप्रैल, 1965 से मार्च, 1966 तक की अवधि के लिए दिये गये लाइसेंस के अन्तर्गत आयात किया गया हो अतः यह सम्भव है कि विशेष लाइसेंस ऐसे कतिपय कच्चे माल के लिए भी दिये गये हों जो आधार वर्षों में दिये गये लाइसेंसों में सम्मिलित हों और जिनकी पर्याप्त उत्पादन-क्षमता आधार वर्षों में न रही हो किन्तु जिनकी पर्याप्त उत्पादन-क्षमता बाद में स्थापित की जा चुकी हो जैसा कि थियासेटाज़ोन विटामिन -सी आदि के मामले में ।

(ख) और (ग) कतिपय स्थानों से प्राप्त प्रत्यावेदनों के परिणामस्वरूप इस सम्बन्ध में स्थिति का पुनर्निरीक्षण किया गया और यह निर्णय किया गया कि चालू लाइसेंसिंग अवधि में निम्नलिखित वस्तुओं के आयात के लिए कोई वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंस न दिया जाय :

1. क्लोरमफैनिकल
2. सोडियम पास
3. कैलसियम पास
4. थियासेटाजोन
5. आइसोनिकोटीनिक एसिड हाइड्राजाइड
6. विटानिम-सी
7. मस्क एक्सलोल
8. मस्क एम्ब्रेट
9. बोरेक्स
10. बोरिक एसिड

यह भी निर्णय किया गया है कि चालू लाइसेंसिंग अवधि में लघु स्तर के (1) बेंजिल बेंजोइट और (2) कैलशियम कारबाइड एककों के लिए कोई वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंस न दिये जायं ।

नेपाली मुद्रा

* 221. **श्री विश्वनाथ पांडेय :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० म० मो० दास :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री शिंकरे :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री किन्दर लाल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल की सरकार ने नेपाल में बागमती से मेची तक अपने पूर्वी तथा दक्षिणी क्षेत्रों में, जो सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल की सीमा से लगते हैं तथा जहां नेपाल की मुद्रा के साथ-साथ भारतीय मुद्रा भी चलती थी, अब केवल नेपाली मुद्रा को ही एक मात्र मान्य मुद्रा घोषित कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) यह एक पड़ोसी मित्र देश की आन्तरिक आर्थिक नीति का प्रश्न है ।

गांवों में बिजली की व्यवस्था

*222. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय
श्री प्र० चं० बरुआ
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० च० सामन्त :
श्री सुबोद हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी
श्री कृ० चं० पंत :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में गांवों में बिजली लगाने के लिए कितना धन निर्धारित किया गया था और इसमें से कितना खर्च किया गया ;

(ख) देश में, राज्यवार, कितने गाँवों में बिजली लगाई गई और कितने सिंचाई पम्पों के लिए बिजली दी गई ;

(ग) यदि खर्च में कोई भी कमी हुई है , तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में बिजली लगाने का क्या कार्यक्रम है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) ग्रामीण विद्युतन के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना में लगभग 105 करोड़ रुपये का प्रबन्ध किया गया था । अनुमित वास्तविक व्यय लगभग 125 करोड़ रुपये का हुआ है ।

(ख) अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 7289/66]** ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) योजना अवधि के दौरान लगभग 57,700 ग्रामों को और लगभग 7 लाख पम्पों/नलकूपों को बिजली देने का विचार है ।

परिवहन नीति तथा समन्वय सम्बन्धी समिति

*223. **श्रीमती विमला देवी :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री 28 जुलाई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 113 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिवहन नीति तथा सम्मन्वय सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता): (क) और (ख). परिवहन नीति तथा समन्वय सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन अभी सम्बन्धित मंत्रालयों और योजना आयोग में विचाराधीन है । प्रतिवेदन को शीघ्र ही परिवहन सम्बन्धी कैबिनेट समिति के सामने रखने का विचार है ।

सिंचाई परियोजनाएं

*224. **श्री स० च० सामन्त :**
श्री म० ला० त्रिवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० म० मो० दास :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में नियत की गई राशि, जिसमें बांधों के लिए नियत की गई राशि भी शामिल है, मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित राशि के बराबर है और यदि नहीं, तो कितनी कटौती की गई है और इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश ने इस सम्बन्ध में अपनी आवश्यकताएं भेज दी हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनके द्वारा मांगी गई राशि तथा मंत्रालय के प्राक्कलनों के आधार पर केन्द्रीय योजना में निर्धारित राशि में कितना अन्तर है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार द्वारा बनाये गये सिंचाई सम्बन्धी प्रस्तावों पर अब योजना आयोग के साथ विचार विमर्श हो रहा है और उन्हें अभी अन्तिम रूप देना है । लघु सिंचाई कार्यों का प्रबन्ध कृषि क्षेत्र में किया जायेगा और मध्यम तथा बड़ी स्कीमों का सिंचाई क्षेत्र में किया जायेगा ।

(ख) जी हां।

(ग) इस समय इसका प्रश्न नहीं उठता क्योंकि योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

दिल्ली में भूमि से निकाले गए पानी में हैजे के कीटाणु

*225. **श्रीमती सावित्री निगम :** **श्री उमानाथ :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : **श्री नम्बियार :**
श्री श्रीनारायण दास : **डा० सारादीश राय :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या हाल में दिल्ली में कुओं और बर्मों (हैंड पम्प) से निकाले गये पानी में हैजे के कीटाणु पाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथा उन स्थानों पर, जहां कुओं और बरमों से पानी निकाला जाता है जल सम्भरण की समुचित व्यवस्था करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी हां। दिल्ली के कुओं से नहीं अपितु तीन बरमों से लिए गए पानी के नमूनों से राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली में वी कालरे पथक किये गये हैं।

(ख) (1) रोग ग्रसित क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को एलटार तत्वों वाले हैजा निरोधी वैक्सीन के टीके लगाकर हैजा-निरोधी टीका अभियान चलाया जा रहा है।

(2) मक्खी निरोधी उपाय, जिनमें कूड़ा हटाना और उसका निपटान भी सम्मिलित है, तीव्र कर दिये गये हैं।

(3) खाद्यान्न बेचने वाली दुकानों पर सफाई सम्बन्धी सख्त नियंत्रण रखा जा रहा है जिसमें गन्दी दुकानों को बन्द करना भी सम्मिलित है।

(4) हैजा तथा ऐसी ही अन्य बीमारियों के खतरे से अपना बचाव करने की सलाह देकर लोगों को स्वांस्थ्य सम्बन्धी शिक्षा दी जा रही है।

हैजा पीड़ित क्षेत्र में पेय जलपूर्ति की व्यवस्था को सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :—

(1) जहां कहीं व्यावहारिक हो नल द्वारा पानी पहुंचाने की व्यवस्था करना;

(2) जहां उपर्युक्त साधन सम्भव न हों वहां टैंकरों अथवा नल के लगे बड़े बड़े ड्रमों से स्वच्छ और पेय पानी बांटना ;

(3) दूषित और उथले नल कूपों को तब तक के लिए बन्द करना जब तक वे सुरक्षित नहीं कर दिये जाते;

(4) खुले कुओं का नियमित रूप से विसंक्रमण करना ; और

(5) हैजा पीड़ित ऐसे क्षेत्रों में जहां नलों द्वारा पानी नहीं पहुंचाया जाता तथा अन्य साधनों से पर्याप्त सुरक्षित पेय जल नहीं दिया जा सकता, उथले नल कूपों के मत्तहीं दूषण को कम करने के विचार से उनका नियमित विसंक्रमण करना तथा सफाई की व्यवस्था में सुधार करना।

जिला-वार राष्ट्रीय आय सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन

*226. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला-वार राष्ट्रीय आय सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन करने के सुझाव पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन विभिन्न राज्य सांख्यिकीय विभागों तथा राज्य आय सम्बन्धी कार्यकारी दलों के परामर्श से तकनीकी प्रश्नों की जांच कर रहा है और केवल प्रयोगात्मक आधार पर कुछ क्षेत्रों के लिए ही जिला-वार आय प्राक्कलन तैयार करने की सम्भावनाओं को खोज रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नदी जल विवाद

*227. **श्री बासप्पा :** **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री ह० चा० लिंग रेड्डी : **श्री विश्वनाथ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : **श्री जशवन्त मेहता :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री 18 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 527 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों के बीच के अनिर्णीत जल विवादों की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उनका हल निकालने के लिये अब तक और क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7290/66**] ।

राज्यों में बिजली की दरें

*228. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक एककों के लिये बिजली की दरें अन्य राज्यों की तुलना में अधिक हैं;

(ख) क्या इन अधिक दरों के कारण उद्योगों को हानि उठानी पड़ रही है; और

(ग) यदि हां, तो समस्त राज्यों में एक जैसी दरें निश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत पूर्वी क्षेत्र में 50 के० डब्ल्यु० (एल० टी) को छोड़ कर बहुत से राज्यों में उद्योगों के लिए प्रयोग में लाई

जाने वाली बिजली की दरें उत्तर प्रदेश की दरों से अधिक हैं। विभिन्न राज्यों में बिजली की औसत औद्योगिक दरों का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 7291/66]** ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) अखिल भारतीय आधार पर सभी राज्यों में बिजली की एक-सम दरों को तुरन्त लागू करना सम्भव नहीं है। किन्तु लगभग 8 राज्यों में से प्रत्येक के अधिकार क्षेत्र में विविध श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिये दी जा रही दरों में समता ला दी गई है। बाकी राज्य भी इस ओर प्रगति कर रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पेय जल का संभरण

*229. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० म० मो० दास :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हेम राज :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) राज्यवार ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल सम्भरण योजना के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस मामले में ग्रामीण क्षेत्र कब तक पूरी तरह आत्म-निर्भर हो जायेंगे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 7292/66]**

(ख) देश के समस्त देहाती क्षेत्रों में पेय जल की व्यवस्था में निश्चित रूप से कितना समय लगेगा यह बताना सम्भव नहीं है क्योंकि यह कार्य साधन-उपलब्ध होने पर निर्भर करता है।

विश्व बैंक मिशन

230. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये भारत की वदेशी मुद्रा की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिये विश्व बैंक का कोई मिशन भारत आ रहा है ;

(ख) मिशन का कार्यक्रम क्या है ; और

(ग) सरकार की आर्थिक नीतियों के निर्माण में विश्व बैंक का क्या हाथ और प्रभाव है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) श्री बरनर्ड बैल के नेतृत्व में विश्व बैंक के विशेषज्ञों का एक दल चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता का मूल्यांकन कर रहा है। दल ने अभी अपना कार्य पूरा नहीं किया है।

(ग) विश्व बैंक 'एड इण्डिया कंसरशियम' का आयोजक तथा सचिवालय है। इस रूप में विश्व बैंक ने योजना की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता के अध्ययन कार्य में अपने आपको लगाया है, ताकि वह उन आवश्यकताओं को 'कंसरशियम' के देशों के सामने रख सके। जब कि विश्व बैंक को योजना के आर्थिक पहलुओं पर अपने सुझाव देने की स्वतन्त्रता है, भारत सरकार की नीतियां बनाने पर इसके किसी प्रभाव के होने का प्रश्न नहीं उठता।

नगरीय आय की अधिकतम सीमा

*231. **श्री कोल्ला बकैया :**
श्री विश्राम सिंह :
श्री नरवेव स्नातक :
श्री काशीराम गुप्त :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री छ० म० केदरिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नगरीय आय की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में आरम्भिक रूपरेखा तैयार कर ली है अथवा करने का प्रयास किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस योजना को तैयार करने में कितना समय लगेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क), (ख), (ग) और (घ) सरकार का यह विचार है कि अत्यधिक आय को जिसमें नगरीय आय भी शामिल है, बढ़ने से रोकने का प्रभावशाली तरीका अधिक आयकर लगाना है। आयकर की दरें प्रति वर्ष निर्धारित की जाती हैं।

राज्यों द्वारा अधिक धन निकाला जाना

*232. **श्री अ० क० गोपालन :**
डा० सारादीश राय :
श्री उमानाथ :
श्री नम्बियार :
श्री बासप्पा :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने यह सुनिश्चित करने के लिये कोई प्रक्रिया बनाई है कि राज्य सरकारें रिजर्वबैंक से अनधिकृत अधिक धन (ओवरड्राफ्ट) न ले सकें ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) प्रक्रिया को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ; और

(घ) सरकार राज्यों द्वारा इस प्रकार अधिक धन निकाले जाने (ओवरड्राफ्ट) को रोकने के लिए कौन से उपाय करने का विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (घ). राज्य सरकारों द्वारा रिजर्व बैंक से जमा से अधिक धन निकालने के प्रश्न पर बैंक से परामर्श करने के बाद विचार किया गया था और बाद में गत जुलाई में हुई मुख्य मंत्रियों की बैठक में भी इस बात पर विचार किया गया

था। राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में जिन उपायों को अपनाने के लिये कहा गया है, उनका पूरा विवरण 28 जुलाई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 499 के उत्तर में दिया गया है।

तवा बहु-प्रयोजनीय परियोजना के लिए अतिरिक्त धन

*233. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री वाडीवा :
श्री उ० मू० त्रिवेदी :
डा० चन्द्रभान सिंह :
श्री हुक्म चन्द कछवाय :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में तवा बहुप्रयोजनीय परियोजना को कार्यान्वित करने के लिये अपेक्षित अतिरिक्त धन की व्यवस्था करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद): (क) और (ख). चालू वर्ष में संसाधनों की अति संकट स्थिति के कारण यह संभव नहीं हो सका है कि तवा परियोजना के लिये अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाये।

जयन्ती शिपिंग कम्पनी

*234. **श्री किशन पटनायक :**
श्री मधु लिमये :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रवर्तन निदेशालय तथा/अथवा किसी अन्य केन्द्रीय अभिकरण/विभाग ने स्वर्ण नियंत्रण प्रशासक से अनुरोध किया था कि उन्हें जयन्ती शिपिंग कम्पनी के डा० धर्म तेजा के विरुद्ध अनियमितताओं के विभिन्न आरोपों को सत्यापित एवं सिद्ध करने में भारतीय नौवहन निगम की सहायता प्राप्त करने की व्यावहारिकता पर विचार करना चाहिये।

(ख) क्या भारतीय नौवहन निगम से इस बारे में बातचीत की गई थी ; और

(ग) इसके बारे में नौवहन निगम की क्या प्रतिक्रिया रही ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग). आजकल भारतीय नौवहन निगम, जयन्ती शिपिंग कम्पनी के प्रबन्ध एजेन्ट के रूप में काम कर रहा है। पहले इस शिपिंग कम्पनी के अध्यक्ष डा० धर्म तेजा थे। इसलिये इस कम्पनी के प्रसंगानुकूल कागज निगम के कब्जे में हैं। सरकारी कम्पनी होने के नाते नौवहन निगम स्वभावतः उन सरकारी एजेन्सियों के साथ पूरा सहयोग करेगी जो डा० धर्म तेजा के विरुद्ध जांच कराना चाहती हैं। लेकिन नौवहन निगम द्वारा जांच करने वाली एंजेंसियों को किस प्रकार की तथा कितनी सहायता दी जा रही है, यह ठीक-ठीक बताना लोक हित में नहीं होगा।

पेट्रोलियम उत्पादकों पर कर

*235. **श्री उटिया :**
श्री मधु लिमये :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के, नगरपालिकाओं तथा राज्यों के बहुत से परिवहन उपक्रमों को हाल में किराये बढ़ाने पड़े थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस वृद्धि का मुख्य कारण यह था कि पेट्रोलियम उत्पादों, टायरों और पुर्जों पर उत्पादन-शुल्क तथा अन्य कर बढ़ा दिये गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो लोगों को राहत देने के लिये तथा मूल्य-वृद्धि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) सूचना केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध नहीं है ।

(ख) इन में से किसी भी वस्तु पर लगने वाले केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में पिछले बारह महीनों में कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मूल्यों को स्थिर रखना

*236. **श्री हेम बरुआ :** **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
श्री हरि विष्णु कामत : **श्रीमती राम दुलारी सिन्हा :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के रिजर्व बैंक ने 30 जून, 1966 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में अपने प्रतिवेदन में देश में मूल्यों को स्थिर रखने के बारे में कुछ सुझाव दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन सुझावों की मोटी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) उन के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग). प्रतिवेदन में इस बात पर जोर दिया गया है कि मुद्रा स्फीतियुक्त अर्थव्यवस्था से बचा जाय और मजदूर वर्ग के लिये आवश्यक सामान (वेज गुड्स) की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में की जाय । सरकार का हमेशा यह प्रयत्न रहता है कि मुद्रा स्फीति बढ़ाने वाली अर्थ व्यवस्था से बचा जाय और अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं को पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराया जाय ।

डाक्टरों को राज सहायता

*237. **श्री हेम राज** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री 11 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 402 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डा० लिप्स द्वारा की गई सिफारिशों का क्या अन्तिम परिणाम हुआ है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस कार्य के लिये अतिरिक्त समय देने वाले डाक्टरों को अधिक राज सहायता देने का निर्णय किया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 7293/66]**

खाद्य अपमिश्रण

*238. **श्री नाथपाई :**
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश भर में व्याप्त खाद्य अपमिश्रण की खबरों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि बम्बई में हाल में खाने वाले तेलों में मिलावट के कारण बहुत से लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ा था ; और

(ग) यदि हां, तो इसको रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) बड़े पैमाने पर मिलावट होने की सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ख) खाने वाले तेलों में मिलावट के फलस्वरूप लगभग 300 व्यक्तियों पर बुरा प्रभाव पड़ा बतलाया गया है ।

(ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के प्रावधानों को अधिक कठोर कर दिया गया है और राज्यों से कहा गया है कि वे इस अधिनियम को उचित रूप से लागू करें ।

साम्य पूंजी

*239. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार मे मुद्रा का बहुत अभाव है और इसके परिणामस्वरूप साम्य पूंजी उपलब्ध नहीं हो रही है ;

(ख) क्या मुद्रा बाजार में आई इस मन्दी के कारणों की जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग). गत वर्ष चीन के आक्रमण, भारत-पाकिस्तान संघर्ष जैसी कुछ घटनाओं के कारण, उसके बाद विभिन्न संसाधनों से विदेशी सहायता रुक जाने के कारण, देश की सुरक्षा को दृढ़ बनाने में संसाधनों का उपयोग करने के कारण, गत चार वर्षों में सूद की दर बढ़ जाने के कारण और अन्य स्थानों पर निवेश करने से अधिक लाभ होने के कारण साम्य पूंजी बाजार में निवेश करने वालों के हितों को ठेस पहुंची है ।

केरल में भूमि सुधार उपाय

*240. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने केरल सरकार से भूमि सुधार उपायों को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये अनुरोध किया है ;

(ख) क्या केरल में अधिकारों सम्बन्धी रिकार्ड तैयार करने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) भूमि सुधार उपायों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिये योजना आयोग ने क्या मुख्य हिदायतें दी हैं ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता): (क) केरल सरकार सहित सब सरकारों से भूमि सुधार उपाय शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित करने के लिये अनुरोध किया गया है ।

(ख) सर्वेक्षण और मामलों के फैसले के दृष्टिकोण से अधिकारों सम्बन्धी रिकार्ड तैयार करने की एक योजना चौथी योजना में सम्मिलित की जा रही है ।

(ग) भूमि सुधार उपायों को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित करने के लिये दिये गये सुझावों को चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में उल्लेख कर दिया गया है ।

कलकत्ता न्यायालय में तस्कारी का मामला

1059. **श्री उटिया :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री मधु लिमये : **श्री च० का० भट्टाचार्य :**
श्री किशन पटनायक :

क्या **वित्त** मन्त्री कलकत्ता न्यायालय में तस्करी के मामले के बारे में 28 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 594 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच कलकत्ता की फर्मों द्वारा आयात की गई विदेशों में बनी घड़ियों और दिवार घड़ियों तथा उनके पुर्जों के पकड़े जाने के पश्चात् कलकत्ता के एक सीमा-शुल्क अधिकारी द्वारा उचित तथा कारगर कार्यवाही न किये जाने के बारे में आरम्भ की गई जांच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) उचित और कारगर कार्यवाही करने में सीमा शुल्क के किसी अधिकारी की ओर से कोई चूक नहीं हुई थी । उक्त जाली आयात लाइसेन्स बनाने के आरोपित षड्यन्त्र की जांच-पड़ताल केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही है और उस विभाग के साथ हुई बातचीत को ध्यान में रखते हुए, शिकायत दायर करने के लिए चीफ प्रेज़ीडेन्सी मजिस्ट्रेट कलकत्ता से मियाद बढ़ाने के लिए प्रार्थना की गयी थी । न्यायालय ने मियाद बढ़ाना नामंजूर कर दिया और अभियुक्त व्यक्तियों को रिहा कर दिया । केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच-पड़ताल पूरी होने

के बाद, कानूनी व्यवस्था के अनुसार, शिकायत-याचिका दायर किये जाने के प्रश्न पर विचार किया जायगा ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कमला बाला बांध में दरारें

1060. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले उनके मन्त्रालय के विशेषज्ञ कमला वाला बांध में आई हुई दरारों को देखने गये थे और यदि हां तो उन्होंने ये दरारें पड़ने के क्या कारण बताये हैं ; और

(ख) भविष्य में ऐसी दरारों को पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उन्होंने क्या सिफारिशें की हैं ?

सिंचाई और विद्युती मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अहमद): (क) और (ख). दरार स्थलों का निरीक्षण करने, उनके कारणों, रेल तथा अन्य पुलों के नीचे के जल मार्गों को पर्याप्त, तटों की स्थिरता आदि की जांच करने तथा उपयुक्त प्रतिकारात्मक उपायों को सुझांने के लिये इस मन्त्रालय के एक सलाहकार को नियुक्त किया गया था जांच कार्य अभी प्रगति पर है और दिसम्बर, 1966 को समाप्ति से पूर्व इस अधिकारी की सिफारिशों के मिल जाने की सम्भावना है ।

जनसंख्या तथा डाक्टरों के बीच का अनुपात

1061. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में राज्यवार तथा अन्य देशों में कितनी जनसंख्या के पीछे एक डाक्टर होता है ; और

(ख) भारत में राज्यवार तथा अन्य देशों में कितनी जनसंख्या के पीछे अस्पताल में एक व्यक्ति के दाखिल होकर इलाज कराने की व्यवस्था होती है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : (क). राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

उपलब्ध सूचनानुसार भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक डाक्टरों की कुल संख्या अनुमानत: 86,000 से अधिक थी तथा 5000 से अधिक जनसंख्या के पीछे एक डाक्टर है । कुछ चुने हुए देशों की इसी प्रकार की सूचना निम्नलिखित है :—

देश	वर्ष	प्रति डाक्टर आबादी
अफगानिस्तान	1962	32,000
बर्मा	1963	9,400
लंका	1962	4,600
थाईलैण्ड	1963	7,600
इण्डोनेशिया	1964	34,000
संयुक्त राज्य अमेरिका	1961	760
ब्रिटेन	1961	910
स्वेडन	1961	1,000

(ख) राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

उपलब्ध सूचनानुसार भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अस्पताली पलंगों की कुल संख्या अनुमानतः– 240100 थी तथा 2061 जनसंख्या के पीछे एक पलंग था । कुछ दूसरे देशों से उपलब्ध इसी प्रकार की सूचना निम्नलिखित है :—

देश	वर्ष	प्रति पलंग आबादी
अफगानिस्तान	1962	8,400
बर्मा	1963	1,400
लंका	1962	290
थाईलैण्ड	1963	1,260
इण्डोनेसिया	1961	1,350
संयुक्त राज्य अमेरिका	1961	110
ब्रिटेन	1961	100
स्वेडन	1961	70

भारत में औसत आयु

1062. **श्रीमती राम दुलारी सिन्हा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) भारत में तथा अन्य देशों में औसत मृत्यु आयु क्या है ; और

(ख) भारत में राज्यवार तथा अन्य देशों में 1,000 की जनसंख्या के पीछे औसत मृत्यु दर क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 7294/66**] ।

योजनायें बनाना

1063. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगवार योजनायें बनाते समय योजना आयोग तकनीकी विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों तथा अन्य प्रमुख व्यक्तियों के अतिरिक्त अनुभवी प्रबन्ध विशेषज्ञों का भी सहयोग प्राप्त करता रहा है;

(ख) क्या समस्या के एकीकृत हल के लिये कोई ऐसी योजना बनाई गई है तथा क्रियान्वित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (ग). सभी मुख्य उद्योगों के लिये औद्योगिक कार्यक्रम उद्योग विशेष के प्रतिनिधियों तथा उस क्षेत्र में सरकारी तथा गैर-सरकारी विशेषज्ञों के परमर्श से तैयार किये जाते हैं । इन परामर्श में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों में से कुछ को प्रबन्ध सम्बन्धी पर्याप्त अनुभव होता है । सरकारी क्षेत्र में विभिन्न मन्त्रालयों के अधीन योजनाओं के

बनाने और क्रियान्वयन से सम्बन्धित मन्त्रालय भी प्रबन्ध विशेषज्ञों का अधिक से अधिक सहयोग लेती हैं ।

जीवन बीमा निगम गृह-निर्माण ऋण

1064. **श्री वं० तेवर** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम द्वारा शहरों में गृह-निर्माण के लिए दिया जाने वाला ऋण गांवों में भी दिया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो यह कब दिया जायेगा ।

(ग) क्या यह भी सच है कि सहकारी समितियों को गृह-निर्माण के लिए जीवन बीमा निगम से ऋण लेने हेतु कानूनी शुल्क और कस्टम शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है ;

(घ) यदि हां, तो यह सुविधा पालिसीधारियों को भी न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) जीवन बीमा निगम के पालिसीधारियों को गृह-निर्माण के लिये उसी ब्याज दर पर ऋण क्यों नहीं दिया जाता है जिस दर पर इसी कार्य के लिये राज्य सरकारों और सहकारी समितियों को दिया जाता है ।

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली में निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर सोने का बरामद किया जाना

1065. **श्री राम हरख यादव :**
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री किन्वर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 25 अक्तूबर, 1966 को दिल्ली के दो जौहरियों से, जो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी से अपने साथ सोना लेकर उतरे थे, बड़ी मात्रा में निषिद्ध सोना बरामद किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख). दिल्ली के केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क समाहर्ता कार्यालय के अधिकारियों ने 25 अक्तूबर, 1966 को दो व्यक्तियों को रोका, जो बम्बई से आ रही जनता एक्सप्रेस से निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर उतरे थे और इन व्यक्तियों के पास से विदेशी मार्के का 800 तोला सोना पकड़ा, जिसका अन्तर्राष्ट्रीय दर पर मूल्य 78,736 रुपये होता है ।

(ग) दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया । मामले की जांच की जा रही है ।

पंजाब में अफीम का तस्कर व्यापार

1066. **श्री उटिया :** **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :

क्या **वित्त** मंत्री 11 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2063 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1966 से अब तक अफीम के तस्कर व्यापार करने के लिये पंजाब में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) उनसे कितनी अफीम बरामद की गई है; और

(ग) न्यायालयों द्वारा 1 जनवरी, 1966 से अब तक कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज़ पर रख दी जायेगी ।

मैसर्स गोलचा प्रापर्टीज लिमिटेड, दिल्ली से लेनदार लोग

1067. **श्री मधु लिमये :** **श्री किशन पटनायक :**
श्री उटिया :

क्या **वित्त** मंत्री 4 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1340 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स गोलचा प्रापर्टीज, लिमिटेड, दिल्ली पर उसके लेनदारों के दावों का भुगतान करने के सम्बन्ध में आवश्यकता पड़ने पर उसकी कुछ सम्पत्ति को बेचने तथा उसकी सहायक फर्मों को दिये गये ऋण को वसूल करने के बारे में स्वीकार्य योजना तैयार कर ली गई है ताकि यह फर्म इस पर किये दावों को निबटा सके; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब तक क्रियान्वित की जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख). उक्त कम्पनी ने राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 के अधीन इस प्रकार की व्यवस्था की एक योजना प्रस्तुत की है । मामले की सुनवाई 22 नवम्बर, 1966 तक के लिये स्थगित कर दी गयी है ।

अधिकारियों के विदेशों के दौरे

1068. **श्री मधु लिमये :** **श्री किशन पटनायक :**

क्या वित्त मंत्री 11 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 417 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जनवरी, 1966 से 31 जुलाई, 1966 तक और इस तारीख से सितम्बर, 1966 के मध्य तक की अवधि में अधिकारियों द्वारा किये गये विदेशों के दौरों के बारे में इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है; और

(ख) क्या इन दौरों की संख्या में कमी करने और विदेशी मुद्रा को बचाने के बारे में कोई कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचिन्द्र चौधरी) : (क) तारांकित प्रश्न संख्या 417 में जनवरी से जुलाई, 1966 तक की ही अवधि की सूचना मांगी गई थी । यह सूचना इकट्ठी की जा रही है और शीघ्र ही सदन की मेज़ पर रख दी जायेगी । सितम्बर, 1966 के मध्य तक की अगली अवधि के लिए जो अतिरिक्त सूचना अब मांगी गयी है वह भी विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों से इकट्ठी की जायेगी और सदन की मेज़ पर रख दी जायेगी ।

(ख) जी, हां । सरकारी कर्मचारियों को विदेश भेजने के सभी प्रस्तावों की छान-बीन वरिष्ठ सचिवों की एक समिति द्वारा बड़ी कड़ाई से की जाती है; और केवल उन अफसरों को ही भेजने की अनुमति दी जाती है जिनको भेजना अनिवार्य होता है अथवा जिनको भेजने से विदेशी मुद्रा में भारी बचत की संभावना होती है अथवा जिनका सम्बन्ध रक्षा सम्बन्धी प्रयत्न या प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओं से होता है ।

प्रति व्यक्ति आय

1069. श्री उटिया: **श्री किशन पटनायक :**
श्री मधु लिमये : **डा० राम मनोहर लोहिया :**

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने से पूर्व सरकार ने राज्यवार और जिलावार प्रति व्यक्ति आय सम्बन्धी आंकड़े एकत्र कर लिये थे;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित राशि क्षेत्रों/नगरों तथा ग्रामों में असमानता सम्बन्धी समस्याओं से किस प्रकार संगत है; और

(ग) क्या सरकार का विचार राज्यवार तथा जिलावार प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े सभा पटल पर रखने का है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें प्रत्येक राज्य की प्रति-व्यक्ति आय के गत चार वर्षों (1960-61 से 1964-65 तक) के आंकड़े दिये गये हैं, जिन्हें प्रत्येक राज्य के आंकड़े सम्बन्धी ब्यूरो ने केन्द्रीय स्टेटिस्टीकल आर्गेनाइजेशन द्वारा सुझाये गये मानक तरीके से एकत्र किया है । **(पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 7195/66)** इसी प्रकार के जिलेवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) चूंकि योजनाधीन परियोजनाओं के लिये राशि निर्धारित करते समय कई विभिन्न प्रकार की बातों पर विचार करना होता है, इसलिये योजना के किसी एक उद्देश्य विशेष की पूर्ति के लिये ही राशि निर्धारित करना सम्भव नहीं है । तथापि, इन राशियों को निर्धारित करते समय देश के विभिन्न भागों के संतुलित विकास का उद्देश्य अवश्य ही सामने रहता है ।

व्यापार-गृहों में छापे

1070. श्री उटिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :

क्या **वित्त** मंत्री 4 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1277 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 और 17 मार्च, 1966 को बम्बई के व्यापार-गृहों में मारे गये छापों के मामलों की जांच छः महीने से पहले ही पूरी करने के सम्बन्ध में अनुदेश जारी कर दिये गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) प्रवर्तन निदेशालय यह जानता है कि प्रत्येक मामले में जांच पड़ताल जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूरी की जानी चाहिए। इसलिए इस खास मामले में मंत्रालय द्वारा कोई विशेष आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

सोने का जब्त किया जाना

1071. श्री किशन पटनायक : **श्री मधु लिमये :**

क्या **वित्त** मंत्री 11 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2045 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) कितने मामलों में पकड़ा गया सोना स्वर्ण नियंत्रण नियमों के अन्तर्गत जब्त कर लिया गया है;

(ख) कितने मामलों में व्यक्तिगत जुर्माने किये गये हैं;

(ग) कुल कितना जुर्माना किया गया है और कितना सोना जब्त किया गया है; और

(घ) उन व्यक्तियों के क्या नाम हैं जिनके विरुद्ध मुकदमें चलाये गये, कानूनी कार्यवाही पूरी की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज़ पर रख दी जायगी।

मंत्रियों के लिए आयातित कारें

1072. श्री किशन पटनायक : **श्री मधु लिमये :**

क्या **वित्त** मंत्री 4 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1349 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रियों के प्रयोग हेतु आयातित कारों का क्रय मूल्य क्या है तथा ये किस-किस 'मेक' की हैं;

(ख) किन-किन मंत्रियों ने आयातित कारों का प्रयोग करना छोड़ दिया है; और

(ग) क्या इन मंत्रियों के निवास स्थान पर स्थित उनके कार्यालयों से सम्बद्ध अधिकारी विदेशी कारों का प्रयोग कर रहे हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा की मेज़ पर रख दी जायेगी ।

(ग) चूंकि मंत्रियों का घरेलू कामकाज करने के लिये सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होती, यह सवाल ही नहीं उठता ।

कूड़ा कचरे का ढेर लगाना

1073. श्री नम्बियार : **श्री उमानाथ :**

(क) क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1966 में जन-उद्धार संस्था, दिल्ली ने इन्द्रपुरी बस्ती में मकानों के निकट कूड़ा-कचरे का ढेर लगाने के विरुद्ध ज़ोरदार आपत्ति की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में दिल्ली नगर निगम को दिये गये अभ्यावेदन पर वहां के अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया है ; और

(ग) उसके परिणामस्वरूप राजधानी में महामारी फैलने के खतरे को दूर करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) दिल्ली नगर निगम ने बतलाया है कि उन्हें निवास स्थानों के पास कूड़ा इकट्ठा होने के बारे में एक शिकायत मिली थी ।

(ख) शिकायत पर तुरन्त ही ध्यान दिया गया और कूडा-पात्र के स्थान से कूड़े को नियमित रूप से हटाया जा रहा है ।

(ग) इस कारण से महामारी फैलने का कोई खतरा नहीं है ।

*

Shaulmari Ashram, Cooch-Bihar

1074. Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri S. C. Samanta:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri Subodh Hansda:
Dr. M. M. Das:
Shri P. C. Borooah:
Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government have ordered an enquiry into the income of Shaulmari Ashram, Cooch-Bihar;

(b) if so, whether the said enquiry has been completed; and

(c) if so, the findings thereof?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

केन्द्रीय चिकित्सा अधिकारियों सम्बन्धी चयन समिति

1075. श्री बृजराज सिंह : श्री यशपाल सिंह :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय चिकित्सा अधिकारियों के पिछले कार्य के रिकार्डों का पुनरीक्षण तथा पुनर्मूल्यांकन करने के लिए एक चयन समिति नियक्त की है, जिसकी सिफारिशों के आधार पर उन्हें केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के संशोधित वेतन-क्रम दिये जायें ; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा कब तक अपना कार्य पूरा कर लिये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के नियम 7 और 7क के प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के संशोधित ग्रेडों में नियुक्ति के लिए चिकित्सा अधिकारियों की उपयुक्तता का निश्चय करने के लिए चयन समितियों का गठन किया गया है। आशा है ये समितियां अपना कार्य लगभग एक महीने में पूरा कर लेंगी ।

जनरल ड्यूटी अफसरों की भर्ती

1076. श्री बृजराज सिंह : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) द्वितीय श्रेणी तथा प्रथम श्रेणी के जनरल ड्यूटी अफसरों के पदों पर नियुक्ति के लिए क्या अर्हत्तायें तथा अनुभव अपेक्षित हैं और यदि इनमें कोई अन्तर है तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त तदर्थ आधार पर नियुक्त द्वितीय श्रेणी के जनरल ड्यूटी अफसरों के कर्त्तव्यों, पदोन्नति के अवसरों तथा उत्तरदायित्वों म कोई अन्तर है ; और

(ग) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है और उस म क्या अन्तर है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) ग्रेड 1 जनरल ड्यूटी अफसरों की सीधी भर्ती के लिए प्रार्थी के पास एम० बी० बी० एस० अथवा उसके समकक्ष डिग्री के अतिरिक्त चिकित्सा स्नातक के रूप में पंजीकृत हो जाने के बाद पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए जबकि ग्रेड 2 जनरल ड्यूटी अफसरों (स्नातक अधिकारी) की सीधी भर्ती के लिए एम० बी० बी० एस० अथवा उसके समकक्ष डिग्री के साथ-साथ प्रार्थी द्वारा रोटेटिंग इण्टर्नशिप पूरी की हुई होनी चाहिए। ग्रेड 1 जनरल ड्यूटी अफसर प्रथम श्रेणी के अधिकारी होते हैं और इसलिए उस वर्ग में नियुक्ति के लिए यह आवश्यक समझा गया कि चिकित्सा स्नातक के रूप में पंजीकृत हो जाने के बाद प्रार्थी के पास कम-से-कम पांच वर्ष का अनुभव भी हो।

(ख) और (ग). संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त तथा तदर्थ आधार पर नियुक्त ग्रेड 2 जनरल ड्यूटी अफसरों के दैनिक कर्त्तव्यों, अनुभव प्राप्त करने के अवसरों एवं उत्तरदायित्वों में कोई खास अन्तर नहीं है।

M/s. Oriental Timber Trading Corporation and M/s. Mechanzies Ltd., Bombay

1077. Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri S. L. Verma:
Shri Raghunath Singh:

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3333 on the 25th August 1966 and state:

(a) whether the figures shown by Messrs Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd., M/s. Mechanzies Ltd., Bombay and by some other firms in their balance-sheets have been ex-aggerated as compared to those shown by them under heads 'Wages and Salaries' while taking Insurance Policies under the Workmen Compensation Act and Personnel Injuries Act with a view to deposit less amounts as income-tax as also to get unauthorised benefit for companies bothways;

(b) if so, the amount of income-tax evaded in this manner by these firms during the last five years;

(c) whether any investigations have been made by Government in this connection;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, whether Government propose to make such investigations?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) Investigations so far made not revealed any such inflation in the figures.

(b) Does not arise.

(c) Enquiries are in progress.

(d) Details can be known only after the enquiries are completed.

(e) The allegations will be borne in mind while completing the income-tax assessments of the concerns.

नई दिल्ली स्थित अशोक होटल लिमिटेड में सेवा की शर्तें लिमिटड

1078. श्री काजरोलकर : क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित अलोक होटल लिमिटेड में कोई सेवा की शर्तें लागू की गई हैं ;

(ख) क्या उनके लागू होने के बाद इस उद्देश्य से उनका कभी पुनर्विलोकन किया गया है कि क्या वे भारत में अन्य ऐसी संस्थाओं में विद्यमान शर्तों के समान हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो कब ऐसा करने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). दिल्ली में होटल उद्योग के लिए दिल्ली प्रशासन ने एक मजूरी बोर्ड की स्थापना की है। अशोक होटल के कर्मचारियों की सेवा-शर्तों का पुनर्विलोकन मजूरी बोर्ड की सिफारिशों और उन पर दिल्ली प्रशासन के निर्णय के सन्दर्भ में किया जायेगा।

आई० एन० ए० मार्किट, नई दिल्ली

1079. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किदवई नगर के निकट नई आई० एन० ए० मार्किट में अ बिजली नहीं दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख). बाजार की सभी 224 दुकानें सुपर बाजार को दे दी गई हैं। इन में से 120 दुकानों को, जो शुरू में दी गई थीं, अस्थायी तौर पर बिजली दी गयी है। चूंकि दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग ने पहले मांगे गये भुगतान आधार में कुछ परिवर्तन कर दिया गया है जो सरकार को मान्य नहीं है, इसलिए स्थायी रूप से बिजली नहीं दी गई है। शेष 104 दुकानें सुपर बाजार को इस शर्त पर दी गयीं हैं कि उन्हें अन्डरटेकिंग से स्वयं बिजली लेनी होगी।

ब्रिकेटों का निर्माण

1080. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के निकट चेमवानूर में बुरादे तथा बांस के चूरे से ब्रिकेट बनाने के लिए एक कारखाना स्थापित करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) उस पर कुल कितना व्यय होगा ?

योजना तथा सामाजिक कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता): (क) से (ग). योजना आयोग को कलकत्ते के समीप चमवानूर नामक किसी स्थान का पता नहीं है जो योजना आयोग द्वारा शुरू किये गये देहाती उद्योग परियोजनाओं के अन्तर्गत आता हो। तथापि केरल में कालिकट (कोझीकोड़) के पास एक चेरुवानूर नामक स्थान अवश्य है जो कोझीकोड़ के देहाती उद्योग परियोजना के अन्तर्गत आता है।

बारूदे तथा बांस के चूरे से ईंधन-ब्रिकेट बनाने की एक आदर्श योजना देहाती उद्योग योजना समिति द्वारा तैयार की गयी है और कोझीकोड़ के देहाती उद्योग परियोजना के परियोजना अधिकारी को भेज दी गयी है। परियोजना अधिकारी किसी ऐसी उपयुक्त व्यक्ति की तालाश में है जो इस उद्योग में रुचि लेता हो। इस समय यह बताना मुश्किल है कि इस प्रकार का उद्योग कब तक स्थापित किया जा सकेगा और उस पर कुल कितनी लागत लगेगी।

रुपये का विनिमय मूल्य

1081. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के बाहर और भीतर मख्य मणिडयों में डालर और पाऊंड के लिए रुपये की वर्तमान गैर-सरकारी विनिमय दर क्या हैं ; और

(ख) क्या रुपये के अवमूल्यन के पश्चात् जून, 1966 से, डालर और पाउंड के लिए रुपये की गै-सरकारी विनिमय दरों में जो उदार चढ़ाव हुआ है उसकी महीनेवार जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने का सरकार का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री सचीन्द्र चौधरी) : (क) न्यूयार्क की मंगी में सितम्बर, 1966 के अन्त में अमरीकी डालर के लिए रुपये को ग़ैर-सरकारी विनिमय दर दस रुपये है और 19 अक्तूबर 1966 को पाउंड स्टर्लिंग के लिए रुपय की गैर-सरकारी दर 29.85 रुपये है। अपने देश की मंडियों में विद्यमान विनिमय की गैर-सरकारी दरों का पता नहीं चल सका।

(ख) अवमूल्यन के बाद न्यूयार्क की मन्डी में अमरीकी डालर के लिए रुपये की गैर-सरकारी विनिमय दर 9.75 से 10.15 रुपये के बीच रही और लन्दन की मंडी में पाऊंड स्टर्लिंग के लिए रुपये की गैर-सरकारी दर 29.28 रुपये से 31.85 रुपये के बीच रही।

कलकत्ता में वृत्ताकार रेलवे

1082. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : श्री ही० चं० शर्मा : श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में वृत्ताकार रेलवे लाइन बिछाने का कार्य आरम्भ करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या सरकार ने संसार के अन्य बड़े नगरों की तरह भूमिगत रेलवे लाइन बिछाने की संभावना पर विचार किया है ; और

(ग) इस काम पर कितना धन व्यय होगा ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख). कलकत्ता महागनर योजना संघ और रेलवे के परामर्श से प्रारम्भिक इंजीनियरी की सम्भावना सम्बन्धी अध्ययन के निष्कर्षों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

वाशिंगटन में भारतीय दूतावास

1083. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह करार, जो वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास ने 9 अगस्त, 1966 को 'पब्लिक रिलेशन्स अटाशे इन्टरनेशनल' नामक लोक सम्पर्क सलाहकारों की एक फर्म के साथ किया था चालू वित्तीय वर्ष के लिए पुन: दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या पुराने करार में कुछ परिवर्तन किये गये हैं या वह वर्तमान शर्तों पर ही पुन: दिया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, नहीं। इस विषय पर विचार किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Economy in Construction in Public Undertakings

1084. Shri M. L. Dwivedi:
Shri P. C. Borooah:
Shri Subodh Hansda:
Shri Bahgawat Jha Azad:
Shri S. C. Samanta:
Dr. M. M. Das:

Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether he has written to the Prime Minister about effecting economy in the matter of construction in public sector industries;

(b) if so, the broad details thereof; and

(c) the action-taken thereon?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna): (a) Yes.

(b) The broad details are indicated below:

(i) The public sector undertakings might discontinue maintenance of rented guest houses in Delhi and Calcutta and, instead, seek accommodation for their officers in Central Government hostels in these cities.

(ii) The guest houses owned by the undertakings might be pooled and their number reduced. The guest houses might be placed under the charge of the Ministry of Works, Housing and Urban Development for being run as Central Government hostels available both for officers of Central Government and those of undertakings.

(c) The matter is still under consideration.

सिंचाई और विद्युत् योजनायें

1085. श्री ह० चा० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी सिंचाई और विद्युत् योजनाओं की संख्या और नाप क्या हैं जिनकी लागत 50 करोड़ रुपये से अधिक है और जिन्हें तीसरी पंचवर्षीय योजना मे सम्मिलित किया गया था और जिन्हें चौथी पंचवर्षीय योजना में भी शामिल करने का सुझाव है ; और

(ख) इनमें से तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित योजनाओं में से कितनी को पूरा कर लिया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) पचास करोड़ रुपये से अधिक लागत की निम्न स्कीमों को तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था ।

तृतीय योजना में सम्मिलित सिंचाई परियोजनायें

1. तुंगभद्रा परियोजना (वाम तथा दक्षिण तट), 2. नागार्जनसागर, 3. गंडक, 4. कोसी 5. उकाई, 6. चम्बल (चरण—1 और 2), 7. अपर कृष्णा (चरण—1), 8. व्यास यूनिटस 1 और 2, 9. भाखड़ा, 10. राजस्थान केनाल, 11. रामगंगा, 12. दामोदर घाटी निगम परियो-योजनायें, 13. परम्बीकुलम अलियार ।

तृतीय योजना में सम्मिलित बिजली परियोजनाएं

1. पथरातू ताप परियोजना, 2. इदिक्की पन-बिजली परियोजना, 3. बालीमेला पन-बिजली परियोजना, 4. यमुना पन-बिजली परियोजना (चरण–2), 5. तारापुर, अणु बिजली केन्द्र, 6. राणाप्रताप सागर अणु बिजली केन्द्र चरण–1, 7. भाखड़ा नंगल (भाखड़ा वाम तट बिजली केन्द्र और नांगल बिजली केन्द्र)

चतुर्थ योजना में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित नई सिंचाई परियोजनायें

अभी निश्चय नहीं किया गया है ।

चतुर्थ योजना में सम्मिलित किये जाने के लिये प्रस्तावित नई बिजली परियोजनायें

1. पथरातू ताप बिजली केन्द्र विस्तार ।
2. नागपुर ताप परियोजना ।
3. सन्तालडीह ताप परियोजना ।
4. कल्पक्कम अणु बिजली केन्द्र ।

(ख) तीसरी परियोजना में सम्मिलित तथा 50 करोड़ रुपयों से अधिक लागत की सिंचाई परियोजनाओं में से भाखड़ा परियोजना लगभग पूरी हो गई है । जहां तक बिजली परियोजनाओं का सम्बन्ध है—भाखड़ा नांगल (भाखड़ा वाम तट बिजली केन्द्र तथा नांगल बिजली केन्द्र) पूर्ण हो गई हैं ।

केरल की पंचायतों के कर्मचारियों के वेतनक्रम

1086. श्री प० कुन्हन :
श्री इम्बीचीबावा :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल पंचायत कर्मचारी संघ ने सरकारी कर्मचारियों के समान वेतनक्रमों की मांग की है ;

(ख) क्या कर्मचारी संघ ने इस सम्बन्ध में हाल ही में राज्य सरकार के सचिवालय के सामने भूख हड़ताल आरम्भ की थी ;

(ग) क्या सरकार ने उनकी मांगों पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का निर्णय क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) और (घ). केरल सरकार इस विषय पर विचार कर रही है

नेपाल को सिगरेटों का चोरी छिपे ले जाया जाना

1087. **श्री प० कुन्हन :** **श्री म० न० स्वामी :**
श्री इम्बीचीबावा :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार ने राज्य में ऐसी भारतीय सिगरेटों का आयात बन्द कर दिया है जिन पर नेपाल को "निर्यात के लिये" न लिखा गया हो;

(ख) यदि हां, तो क्या यह पग इसलिये उठाया गया था कि भारत से नेपाल में सिगरेटें चोरी छिपे न ले जाई जा सकें; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस तस्कर व्यापार को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) पता चला है कि महामहिम नेपाल नरेश की सरकार ने नेपाल के सीमाशुल्क अधिकारियों को हाल ही में निदेश दिया है कि भारत और पाकिस्तान से सिगरटों के आयात सम्बन्धी कुछ शर्तों का पालन नहीं होने की हालत में सिगरेटों का आयात नहीं होने दिया जायगा । इन शर्तों में एक शर्त यह भी है कि सिगरेटों के पैकटों पर "नेपाल के लिए निर्यात" शब्द ऊपर से छपे होने चाहियें ।

(ख) अभी तक सरकार को यह पता नहीं चला है कि महामहिम नेपाल नरेश की सरकार ने किन कारणों से ऐसा किया है ।

(ग) भारत नेपाल सन्धि, 1960 के अन्तर्गत एक देश में बने माल के दूसरे देश में बिना किसी रुकावट के आने जाने की व्यवस्था है और नेपाल भेजी जाने वाली भारतीय सिगरेटों पर भारत सरकार द्वारा कोई प्रस्तबन्ध नहीं लगाया गया है । इसलिए भारत से सिगरेटों के चोरी-छिपे नेपाल ले जाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

एर्नाकुलम में चिकित्सा कालेज

1088. **श्री वासुदेवन नायर :** **श्री वारियर :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केरल सरकार ने एर्नाकुलम् में एक गैर-सरकारी चिकित्सा कालेज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा०सुशीला नायर) : (क) से (ग). केरल सरकार ने एर्नाकुलम में एक गैर-सरकारी मेडिकल कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है । तथापि

एर्नाकुलम् के धर्माध्यक्ष ने एर्नाकुलम में एक चिकित्सा कालेज चलाने का प्रस्ताव रखा है। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई निर्णय किये जाने से पहले केरल विश्वविद्यालय के विचारों की प्रतीक्षा की जा रही है।

पालम कांलोनी

1089. **श्री बागड़ी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सेवक :
श्री रा० बख्शा :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री लीलाधर कटकी :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1966 के तीसरे सप्ताह में दिल्ली नगर निगम के दस्ते द्वारा पालन कॉलोनी के 58 मकान गिराये गये ;

(ख) क्या ये मकान 1957 में बनाये गये थे;

(ग) यदि हां, तो क्या यह प्रधान मन्त्री के उन आश्वासनों के विरुद्ध हैं, जो उन्होंने 5 सितम्बर, 1966 को अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के एक शिष्टमण्डल को दिये थे ; और

(घ) मकानों का इस प्रकार से गिराया जाना रोकने के लिये और अन्य अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) 16 नवम्बर, 1966 को दिल्ली नगर निगम ने केवल सतरह मकान गिराये थे।

(ख) जी नहीं ।

(ग) अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के प्रतिनिधियों से प्रधान मन्त्री 2 सितम्बर, 1966 को मिली थीं और 5 सितम्बर, 1966 को नहीं। परन्तु उन्होंने उनको कोई आश्वासन नहीं दिया था।

(घ) अनधिकृत निर्माण को जारी रखने के लिये अनुमति देना दिल्ली के नियोजित विकास के हित में नहीं है। इसे रोकना ही होगा। फिर भी 1 सितम्बर, 1962 अर्थात् मास्टर प्लान लागू होने से पहले बनाये गये सभी अनधिकृत मकानों को इस शर्त पर नियमित करने का फैसला किया जा चुका है कि वे उस क्षेत्र की अनुमोदित रूपरेखा के अनुरूप होंगे और वे "ग्रीन" शीर्ष के अधीन सड़कों, स्कूलों कालेजों, औषधालयों तथा दवाखानों आदि के लिये निर्धारित भूमि पर न बने हों। जिन मकानों को नियमित किया जायेगा उनके मालिकों को विकास प्रभार देना होगा।

सड़कों आदि के लिये जिस भूमि की आवश्यकता होगी उसे सरकार अभिग्रहण कर लेगी और ऐसी जमीन या मकानों के मालिकों को बदले में समीप की किसी बस्ती में किस्तों की निर्धारित दरों पर विकसित प्लाट दिये जायेंगे बशर्ते दिल्ली में उनके पास कोई अन्य मकान/प्लाट न हो।

बस्तकर गोलीकांड सम्बन्धी प्रतिवेदन

1090. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बस्तर गोली काण्ड के बारे में एक सदस्यीय जांच आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) क्या सरकार को प्रतिवेदन की एक प्रति प्राप्त हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप बस्तर में आदिवासियों की दशा को सुधारने के लिये किसी विशेष कार्यवाही को करने पर विचार किया जा रहा है ?

समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर): (क) तथा (ख) यह आयोग मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था तथा वह अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करेगा। रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) **प्रश्न ही नहीं उठता।**

फरक्का बांध परियोजना

1091. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवदी :
डा० म० मो० दास :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरक्का बांध परियोजना को क्रियान्वित में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इसके क्रियान्विति पर अब तक कितना व्यय हुआ है ;

(ग) यह कार्य मूल कार्यक्रम-अनुसूची से कितना पीछे रह गया है और कब पूरा हो जायेगा ; और

(घ) जितनी और जब विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है क्या वह मिल जाती है, और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) नदी के दोनों किनारों पर से परियोजना कार्य हाथ में लिए गये हैं और ये शीर्ष नियामक, निम्न-कपाट तथा अन्य द्वारों समेत नदी के भाग में समय समय पर बनाई गई अनुसूची के अनुसार प्रगति कर हैं। फोडर नहर में खुदाई का काम हो रहा है तथा दूसरे आनुषंगिक कार्य भी हाथ में हैं जिन में फरक्का बराज के गाईड तथा उठाव बंध तथा जंगीपुर बराज का वाम उठाव बंध सम्मिलित हैं। मुख्य फरक्का बराज के लिये शीर्ष नियामक के कपाटों का संरचना कार्य भी प्रगति कर रहा है।

(ख) सितम्बर, 1966 के अन्त तक हुआ व्यय 34.76 करोड़ रुपये है।

(ग) परियोजना को 1970–71 तक काफी खत्म करना अनुसूचित है और अनुसूची के अनुसार काम खत्म करने के लिये हर कोशिश की जा रही है।

(घ) इस परियोजना के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा आवश्यकतानुसार दी जा रही है।

D.E.S.U.

1092. **Shri Bhagwat Jha Azad:**
Shri P. C. Borooah:
Shri S. C. Samanta:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri Subodh Hansda:
Dr. M. M. Das:

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether the Delhi Electricity Supply Undertaking has decided to lift all restrictions on domestic and commercial consumption of power in Delhi;

(b) when these restrictions would be lifted; and

(c) the specific schemes of the Delhi Electricity Supply Underaking which make it possible to move this difficulty?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed): (a) and (b). Restrictions on the use of light, and fan loads have been removed after the commissioning of the 15 MW power plant and restoration of the cut in power supply from the Punjab System. Restrictions on domestic and commercial power loads are still continuing but their liberalisation is under consideration.

(c) The position will improve further after the three thermal units have been commissioned at the 'C' Station.

Working Women in Delhi

1093. Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri Subodh Hansda:
Shri P. C. Borooah:
Shri S. C. Samanta:
Dr. M. M. Das:

Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) the estimated number of working women in Delhi;

(b) the residential facilities available for them at present; and

(c) the number of hostels and seats available in them for the working women?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna): (a) and (b). The working women in Delhi can be divided under two heads: those employed in Government service and those in private employment professions, trades, etc. Information in regard to the former category can be supplied if required. As regards the latter category, no statistics are available. Moreover, the Ministry is not concerned in the matter of the provision of residential facilities to them. We cater only to the needs of Government servants.

(c) Government has a Hostel for working women on Curzon Road with a seating capacity of 226 and, in addition, those working women who are in Government employment are eligible for allotment of regular accommodation like any other Government servants.

कृषि सम्बन्धी बड़ी परियोजनाओं पर सूखे का प्रभाव

1094. श्री ब० कु० दास :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष देश में व्यापक रूप से सूखे की स्थिति के कारण कृषि सम्बन्धी बड़ी परियोजनाओं पर कहां तक विपरीत प्रभाव पड़ा ;

(ख) क्या इसके कारण सिंचाई जल की सामान्य सप्लाई में होने वाली कमी का अनुमान लगाया गया है ; और

(ग) पन बिजली के उत्पादन पर भी कहां तक प्रभाव पड़ा है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद): (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

स्टर्लिंग पेंशन में बर्मा का हिस्सा

1095. डा० म० मो० दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टर्लिंग पेंशनों में वर्मा का हिस्सा जिनका भुगतान ब्रिटेन सरकार से भारत द्वारा खरीदी गई ब्रिटेन स्टर्लिंग वार्षिकियों से किया जाता है, 1965–66 में वर्मा से वसूल नहीं किया जा सका; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि वसूल नहीं की गई और वर्मा से राशि वसूल न होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) जी, हां ।

(ख) यह राशि 17.20 लाख पौंड की है । इस सम्बन्ध में बर्मा सरकार से पत्र व्यवहार किया जा रहा है । उन्होंने हाल ही में स्टर्लिंग पेशन की पूंजीगत मूल्य के सम्बन्ध में ब्रिटेन के बीमाविज्ञ (एक्चूऊरी) द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपियां और अन्य दस्तावेज मांगे थे, जो उन्हें भेज दिये गये हैं ।

Backward Areas

1096. Shri M. L. Dwivedi:
Shri P. C. Borooah:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri S. C. Samanta:
Dr. M. M. Das:
Shri Subodh Hansda:

Will the Minister of **Planning and Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether any time-limit has been fixed for the State Governments to send their estimated requirements of foreign exchange for power and irrigation projects for 1966-67 and 1967-68 and for the submission of memorandum regarding targets of their plans resources and the achievements of the Third Five Year Plan; and

(b) if so, what?

The Minister of Planning and Social Welfare (Shri Asoka Mehta): (a) and (b). In Planning Commission's letter dated September 5, 1966, the State Government were requested to send by 30th September, 1966 the draft Fourth Plan proposals, the Annual Plan proposals for 1967-68 together with foreign exchange component and a short memorandum containing a review of the progress during the Third Five Year Plan.

Backward Areas

1097. Shri M. L. Dwivedi
Shri P. C. Borooah:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri S. C. Samanta:
Dr. M. M. Das:
Shri Subodh Hansda:

Will the Minister of **Planning and Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether the States, where there are many backward areas and due to which they cannot mobilise their resources according to stress made by Planning Commission, would be treated at par with the developed States in the matter of allocation of funds by the Central Government; and

(b) if so, how those States in which there are many backward areas would be able to develop these areas for want of funds and how the balanced development of the country would be possible?

The Minister of Planning and Social Welfare (Shri Asoka Mehta): (a) and (b) In suggesting allocation of outlays and resources for States' Fourth Five Year Plans one of the points kept in view is the need for the development of backward areas. The details will be indicated in the Planning Commission's Final Report on the Fourth Plan.

Foreign Exchange

1098. Shri M. L. Dwivedi:
Shri P. C. Borooah:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri S. C. Samanta:
Dr. M. M. Das:
Shri Subodh Hansda:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the restrictions regarding foreign exchange imposed on persons going abroad from India are also applicable to Government servants, Ministers and Members of Parliament; and

(b) if not, whether a statement will be laid on the Table of House showing the amount of foreign exchange admissible to Government servants, Ministers and Members of Parliament for their visits abroad as also the amount of foreign exchange spent on their visits during 1965-66 and three quarters of 1966-67?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) Yes, Sir.
(b) Does not arise.

चौथी पंचवर्षीय योजना

1099. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या योजना तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के रक्षित बैंक ने जून, 1966 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में अपने वार्षिक प्रतिवेदन में यह बताया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में आर्थिक प्रगति असमान रही है और आशा के विपरीत प्रगति बड़ी धीमी रही है ;

(ख) क्या रक्षित बैंक ने अनियंत्रणीय बाजार स्थिति के प्रभाव को दूर करने के लिये निश्चित लाभ बनाये रखने की मूल आवश्यकता तथा बचत, मजूरी-माल की सप्लाई तथा मूल्यों पर दबाव के रुख को ध्यान में रखते हुए वार्षिक परिव्यय को विनियमित करने की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ग) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर पुनर्विचार करते समय सरकार ने उन विचारों को ध्यान में रखा है, जो रक्षित बैंक ने व्यक्त किये हैं ;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) चौथी पंच वर्षीय योजना के प्रारूप से सम्बन्धित अन्य टिप्पणियों की भांति इन निष्कर्षों पर भी योजना को अन्तिम रूप देते समय विचार किया जायेगा ।

दौलेश्वरम् एनोकट सम्बन्धी मित्रा समिति का प्रतिवेदन

1100. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री 11 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2016 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश की सरकार ने दौलेश्वरम् एनीकट सम्बन्धी मित्रा समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया था तथा राज्य सरकार को भेज दिया था, इस बीच कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) राज्य सरकार गोदावरी बराज सम्बन्धी योजनाओं और प्राक्कलनों को तैयार कर रही है । उन्होंने सूचना दी है कि सर्वे और हाइड्रोलिक सम्बन्धी कुछ आंकड़े पहले से ही केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसन्धान केन्द्र पूना को प्रारूप प्रयोगों के लिये भेज दिये गये हैं । अनुसन्धान केन्द्र से पहली रिपोर्ट के प्राप्त करने के पश्चात् विस्तृत डिजाइन तैयार करने के लिये राज्य सरकार का अपने अधिकारियों को केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में डेपुटेशन पर भेजने का विचार है । राज्य सरकार ने इस परियोजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

त्रिवेन्द्रम् आयुर्वेदिक केन्द्र

1101. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री त्रिवेन्द्रम् आयुर्वेदिक केन्द्र के बारे में 11 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2015 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार के परामर्श से उस आयुर्वेदिक केन्द्र का स्तर ऊंचा करने के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां ।

(ख) यह मामला अभी विचाराधीन है ।

विदेशी मुद्रा का पकड़ा जाना

1102. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : श्री ह० चा० लिंग रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में मिन्ट रोड पर स्थित एक दुकान से, 19 सितम्बर, 1966 को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने 12,000 रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा पकड़ी थी, क्योंकि यह सन्देह किया गया था कि यह विदेशी मुद्रा अवैध रूप से खरीदी हु है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां । यह विश्वसनीय सूचना मिलने पर कि विदेशी मुद्रा गैर-कानूनी तरीके से खरीदी जा रही थी, प्रवर्तन निदेशालय के अफसरों ने 19 सितम्बर, 1966 को बम्बई में मिन्ट रोड पर एक दूकान की तलाशी ली और लगभग 10,000 रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा और 3600 रुपये मूल्य की भारतीय मुद्रा पकड़ी ।

(ख) सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम के अधीन आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

भूमि सुधार उपाय

1103. श्री ह० चा० लिंग रेड्डी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा:
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ
डा० म० मो० दास :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री इम्बीचीबाबा :
श्री दशरथ देव :
श्री कौल्ला वैंकैया :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि सुधार क्रियान्विति समिति ने अपनी सिफारिशों सहित अपना प्रतिवेदन राष्ट्रीय विकास परिषद् को दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) भूमि सुधार क्रियान्विति समिति के प्रतिवेदन की प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में रख दी गई हैं । यह प्रतिवेदन छपने के लिये भेज दी गई हैं । इसकी प्रतियां शीघ्र ही संसद सदस्यों में परिचालित की जायेंगी ।

(ग) समिति की सिफारिशों को चौथे पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में भूमि सुधार सम्बन्धी अध्याय के अन्तर्गत दिया गया है और राज्य सरकारों का ध्यान उनकी ओर दिलाया गया है ।

सिन्धु आयोग

1104. श्री दी० चं० शर्मा
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री हेम राज :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्धु जल सन्धि के कार्यान्वयन के बारे में विचार विमर्श करने के लिये, सितम्बर, 1966 में नई दिल्ली में सिन्धु आयोग की बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) जी, हां । स्थायी जल सिन्धु आयोग की 21वीं बैठक 28 सितम्बर से 4 अक्तूबर, 1966 तक नई दिल्ली में हुई थी । इस बैठक में आयोग ने भविष्य में की जाने वाली अगली बैठकों तथा भारत व पाकिस्तान में निरीक्षण दौरों के कार्यक्रम और कुछ अन्य सम्बद्ध मामलों पर विचार किया । आयोग की आगामी बैठक जनवरी, 1967 में पाकिस्तान में होनी निश्चित हुई है ।

लेखावाह्य धन का पता लगाने के लिए छापे

1105. श्रीमती सावित्री निगम : क्या वित्त मंत्री 1 सितम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 781 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर जांच अभिकरणों ने जो छापे मारे थे उनके मामले अन्तिम निर्णय के लिये सात अथवा आठ वर्ष से न्यायालयों में अथवा आय-कर कार्यालय में अभी तक लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उन्हें जल्दी से निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) ऐसा केवल एक ही मामला है जो 1956 में मारे गये एक छापे के सम्बन्ध में है । न्यायालय के आदेश द्वारा इस मामले की जांच पड़ताल 196 तक रोक दी गई थी । अब जांच-पड़ताल चल रही है और आशा है कि शीघ्र ही पूरी हो जायगी ।

(ग) इस अभिप्राय के आदेश पहले ही जारी किये जा चुके हैं कि अधिकारियों को तलाशी वाले मामलों में कर निर्धारण की कार्यवाही यथासम्भव शीघ्र पूरी कर देनी चाहिये ।

परिवार नियोजन के लिए खाई जाने वाली गर्भानिरोधक दवाई

1106. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री ह० चा० लिंग रेड्डी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० म० मो० दास :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय औषध अनुसंन्धान संस्था, लखनऊ में एक ऐसी गोली तैयार की गई है, जो परिवार नियोजन की दृष्टि से खाई जाने वाली एक बहुत ही कारगर गर्भनिरोधक दवाई है ;

(ख) क्या इसका परीक्षण कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग) केन्द्रीय औषध अनुसन्धान संस्था ने खाई जाने वाली एक गोली तैयार की है और इसके उत्पादन-रोधी प्रभाव जानने के लिये पशुओं पर इसके व्यापक परीक्षण, किये जा रहे हैं। औषध प्रभाव तथा प्रयोगशाला सम्बन्धी प्रयोग अभी जारी हैं। मनुष्यों पर तकनीकी क्लिनीकी परीक्षण अभी प्रारम्भ नहीं किये गये हैं।

बीमार लोगों के लिए नई बीमा योजना

1107. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के रोगियों के लिये एक नयी बीमा योजना आरम्भ की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) जीवन बीमा निगम शुरू से ही उचित अतिरिक्त प्रीमियम पर सामान्य से निम्न-स्तर के स्वास्थ्य वाले व्यक्तियों का बीमा करता रहा है। इस योजना के अन्तर्गत, उन लोगों का बीमा किया जाता है जो तपेदिक, कैंसर, कुष्ठरोग जैसी बीमारियों से पीड़ित रहे हैं परन्तु अब उन बीमारियों से आराम पा चुके हैं। इन लोगों का बीमा उचित अवधि तक प्रतीक्षा करने के बाद किया जाता है। अन्य परिस्थितियों के सन्तोषजनक होने पर दिल की कमजोरी तथा लम्बे समय से चली आ रही मधुमेह की बीमारी से पीड़ित मरीजों का भी बीमा किया जाता है।

फोटो लिथो प्रेस

1108. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो फोटो लिथो प्रेस स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें कहां स्थापित किया जायेगा ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के अधीन कुछ नये प्रेस स्थापित करने का प्रस्ताव है परन्तु इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

केरल में बिक्री-कर और कृषि आय-कर की बकाया राशि

1109. **श्री अ० ब० राघवन :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **वित्त** मंत्री 4 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1239 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, 1966 तक एकत्र किये जाने वाले बकाया कर की राशि का 50 प्रतिशत एकत्र करने के लिये चलाये गये व्यापक अभियान के परिणामस्वरूप केरल में बिक्री कर और कृषि आय-कर की कुल कितनी बकाया राशि वसूल की गयी है ;

(ख) क्या केरल सरकार ने इस दौरान मामले का पुनर्विलोकन किया है ; और

(ग) इस अवधि में कितनी धन राशि बट्टे-खाते डाली गयी है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) अगस्त, 1966 के अन्त तक बिक्री कर का 57,20,853·52 रुपया और कृषि आय कर का 21,13,805·56 रुपया इकट्ठा किया गया।

(ख) जी, हां।

(ग) केवल बिक्री कर से 35,200·48 रुपया।

केरल भूमि सुधार अधिनियम

1110. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या योजना तथा समाज कल्याण मंत्री 18 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2628 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963 में किये जाने वाले प्रस्तावित संशोधनों को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो ये प्रस्तावित संशोधन क्या हैं ; और

(ग) मालिक-किरायेदार झगड़े को पूर्णतः समाप्त करने और किरायेदारों को पूर्णतः मालिक बना देने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) बेदखली और समर्पण को रोकने के उद्देश्य से केरल बेदखली रोक विधेयक, जो राष्ट्रपति के नाम में अधिनियमित किया जा रहा है, के माध्यम से केरल भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन किये जा रहे हैं। केरल भूमि सुधार अधिनियम में और आगे संशोधन करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(ग) मुआवजा देकर मालिक बनने के अधिकार दिलाने वाले उपबन्धों को लागू कर दिया गया है। अगस्त, 1966 के अन्त तक स्वेच्छा से मालिक बनने के लिये किरायेदारों द्वारा 1703 आवेदन पत्र दिये गये हैं

नगरीय भूमि और सम्पत्ति पर सरकारी नियन्त्रण

1111. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है कि संविधान में संशोधन करके निजी सम्पत्ति को बेचने पर रोक लगा दी जाय ताकि नगरीय भूमि और सम्पत्ति पर सरकारी नियंत्रण किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). पिछले 10 वर्षों में शहरी भूमि के मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में इस समस्या पर विचार किया गया है और इसके समाधान के लिये कुछ सुझाव दिये गये हैं। तथापि, इन सुझावों पर अभी विचार नहीं किया गया है।

विकलांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

1112. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विकलांग विद्यार्थियों को छात्रावृत्तियां देते समय उन विद्यार्थियों को छोड़ दिया जाता है जिन्होंने पिछली परीक्षा में 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किये हों ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उन निर्धन विद्यार्थियों को, जो अर्हता प्राप्त करने के लिये आवश्यक अंक नहीं ले पाते, होने वाली कठिनाई के बारे में जानकारी है ;

(ग) क्या सरकार का विचार वास्तव में निर्धन विद्यार्थियों को सहायता देने के लिये एक योजना बनाने का है ;

(घ) यदि हां, तो क्या उन विद्यार्थियों के मामलों पर पुनः विचार किया जायेगा जिनके आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया गया था ?

समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) हां। यह केवल शैक्षिक-पाठ्यक्रमों पर ही लागू होता है।

(ख) तथा (ग). इस योजना का रूपान्तर करने का प्रश्न परीक्षाधीन है।

(घ) जी, नहीं।

बंजारों तथा अन्य अस्थिरवासी आदिम जातियों का कल्याण

1113. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंजारों तथा देश में रह रही अन्य अस्थिरवासी आदिम जातियों तथा वर्गों के कल्याण के लिये केन्द्रीय सरकार ने यदि कोई उपाय किये हैं, तो क्या ;

(ख) सरकार ऐसे लोगों की स्थिति में सुधार करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को अब तक कितना अनुदान दे सकी है ;

(ग) क्या इन लोगों की संख्या तथा स्थिति के बारे में कोई नवीनतम अनुमान लगाये गये है ; और

(घ) यदि हां, तो इनका परिणाम क्या निकला ?

समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) अधिकतर अस्थिरवासी आदिम जातियां, जिनमें बंजारे भी शामिल हैं, अनुसूचित आदिम जातियों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के अन्तर्गत आती है। इसलिये, ऐसी अस्थिरवासी आदिम जातियों को, जो अननुसूचित आदिम जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अनुसूचित जातियों की श्रेणियों के अन्तर्गत आती है, वे सभी लाभ मिलते हैं, जो अनुसूचित आदिम जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अनुसूचित जातियों को प्राप्य हैं। तो भी, यह अस्थिरवासी आदिवासी अपनी अस्थिरवसिता के प्रकार तथा विस्तार के आधार पर योजना के पिछड़ी जाति क्षेत्र में भी विशिष्ट श्रेणी रखते हैं। उनके सामाजिक तथा आर्थिक संगठन, मूल्यों, कुशलताओं अभिप्रेरणों तथा जिस क्षेत्र के वे वासी हैं, उसके स्त्रोतों को देखते हुए उनके आर्थिक उत्थान, चरागाहों के विकास, आवास, शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण इत्यादि के लिये योजनायें बनाई गई हैं। इसलिये, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार ये योजनायें भी भिन्न हैं, परन्तु उनका मुख्य उद्देश्य एक ही है और वह है उन्हें यथा सम्भव शीघ्र स्थिरवासी बनाने में योग देना ताकि देश में जो सामाजिक, आर्थिक तथा टेक्नोलोजिकल विकास हो रहे हैं, उनसे वे लाभ उठा सकें।

(ख) अस्थिरवासी तथा अर्ध-अस्थिरवासी आदिवासियों के लाभ के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में 108.75 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी।

(ग) तथा (घ). नहीं।

चिकित्सा शिक्षा का समान स्तर

1114. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारे देश में चिकित्सा शिक्षा का समान स्तर बनाने के लिये अब तक कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि दाखिले तथा पाठ्यक्रम के मामले में विभिन्न चिकित्सा कालेज तथा संस्थाओं ने शिक्षा संबंधी विभिन्न अर्हताएं लागू कर रखी हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसी प्रथाओं को रोकने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां। भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार देश में चिकित्सा शिक्षा के स्तर निर्धारित करने तथा उन स्तरों को बनाये रखने का काम औद्योगिक रूप से भारतीय चिकित्सा परिषद् को दिया गया है।

(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्धारित मैडिकल शिक्षा का स्तर सभी संस्थाओं को रखना पड़ता है। किसी संस्था द्वारा ऐसा न कर सकने पर परिषद् को यह अधिकार दिया गया है

कि वह केन्द्रीय सरकार को उस संस्था के छात्रों को दिये गये यो यता प्रमाण-पत्र को अमान्य घोषित करने का सुझाव दे सकती है।

(ग) और (घ). ये प्रश्न नहीं उठते।

संसद् में राजनैतिक दलों के कर्मचारियों को आवास-सुविधा

1115. श्री यश ाल सिंह :
श्री हुक्म चन्द कछवाय :

क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् में राजनैतिक दलों के कर्मचारियों को आवास संबंधी सुविधाएं देने का निश्चय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितने मकान अ वंटित किये जा चुके हैं ;

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (ग). सरकार ने निश्चय किय है कि संसद में उन राजनीतिक दलों के एक तिहाई कर्मचारियों को सामान्य पूल से आवास आवंटित करने पर विचार किया जायेगा जिनको अध्यक्ष द्वारा मान्यता दी गई है। ऐसा, मकानों की कमी के बारे में सरकार को मिली शिकायतों के कारण किया गया है ? इस योजना के अन्तगत अभी तक 5 मकान आवंटित किये गये हैं।

स्वर्गकारों को रोजगार दिलाना

1116. श्री सुबोध हंसदा:
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
[**श्री भागवत झा आजाद :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
डा० म० मो० दास :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्ण नियंत्रण आदेश में संशोधन होने तक स्वर्णकारों को रोजगार दिलाने के लिये ऋण के रूप में कुल कितनी धनराशि दी गई थी ;

(ख) क्या स्वर्ण नियंत्रण आदेश में संशोधन के बाद भी ये स्वर्णकार जिनको रोजगार दिलाया गया था, अभी भी अपना नया व्यवसाय ही कर रहे हैं ; और

(ग) उनमें से कितनों ने स्वर्णकारों का अपना पुराना व्यवसाय अपना लिया है ?]

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : स्वर्ण नियन्त्रण आदेश में संशोधन होने तक केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्य । संघ राज्यक्षेत्र सरकारों को स्वर्णकारों के पुनर्वास के लिये ऋण के रूप में 10.84 करोड़ रुपये की रकम पेशगी दी गयी है।]

(ख) तथा (ग). स्वर्ण नियंत्रण आदेश में किये गये संशोधनों को कार्यान्वित करने संबंधी भारत रक्षा (चतुर्थ संशोधन) नियम, 1966 केवल 1 नवम्बर, 1966 को अधिसूचित किये गये थे, इसलिए इतना जल्दी यह कहना संभव नहीं है कि जिन स्वर्णकारों ने पुनर्वास सहायता का लाभ उठाया है, वे अभी भी अपने नये व्यवसाय में लगे हैं या उनमें से कुछ ने फिर से स्वर्णकारी के पुराने व्यवसाय को अपना लिया है।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अ यक्ष की पद-स्थिति

1117. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
डा० म० मो० दास :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अवैतनिक अध्यक्ष और निदेशकों के स्थान पर पूर्णकालिक वैतनिक अध्यक्ष होंगे ;

(ख) यदि हां, तो इस परिवर्तन के क्या कारण हैं ; और

(ग) अध्यक्ष की पद-स्थिति क्या होगी और यदि पुराने अध्यक्ष की पद-स्थिति में अब कोई परिवर्तन किया जायेगा, तो उसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के पास पहले से ही पूर्णकालिक वैतनिक अध्यक्ष है। पर, वहां कोई निदेशक नहीं हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अध्यक्ष की पद-स्थिति पर बोर्ड की भावी स्थिति के प्रश्न के साथ-साथ विचार किया जा रहा है।

इद्दिकी योजना

1118. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल की इद्दिकी योजना के लिये कनाडा से वित्तीय सहायता लेने संबंधी करार को अभी अन्तिम रूप दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इद्दिकी परियोजना का कार्य कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं।

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) और (ख). बाह्य सहायता कार्यालय, कनाडा, द्वारा परियोजना संबंधी ऋण करार के मसौदे को 10 वर्ष की अनुग्रह अवधि समेत पचास वर्षीय परिपक्वता के आधार पर पुनः तैयार किया जा रहा है। इस पर न तो कोई ब्याज ही लगेगा और न ही कोई सर्विस चार्ज अथवा कमिटमेंट चार्ज लगेगा। मसौदे को दुबारा बनाना भी करार पर हस्ताक्षर किये जाने में देरी का एक कारण है ? देरी का दूसरा कारण प्राप्ति प्रक्रिया के प्रश्न से संबंधित था। इसको अब सन्तोषजनक रूप से हल कर लिया गया है। प्राप्ति प्रक्रिया के मसौदे को केरल राज्य बिजली बोर्ड के पास इस पर उनके विचारों के लिए भेज दिया गया है।

(ग) कार्य सम्बन्ध अनुसूची के अनुसार किये जा रहे हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में प्रादेशिक लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालायें

1119. **श्री राम सेवक यादव :**
श्री बागड़ी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री केरल में प्रादेशिक लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के बारे में 1 सितम्बर, 1966 को अतारांकित प्रश्न संख्या 4042 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच अतिरिक्त कर्मचारियों, प्रयोगशालाओं के स्थानों, उनकी योजनाओं तथा प्राक्कलनों के प्रस्तावों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). ये प्रस्ताव अभी केरल सरकार के विचाराधीन हैं ।

सलाल पन-बिजली योजना

1120. **श्री राम सेवक यादव :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री 1 सितम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3974 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सलाल पन-बिजली परियोजना संबंधी जांच-कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) क्या परियोजना प्रतिवेदन अन्तिम रूप से तैयार हो गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कब तक तैयार हो जाने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) से (ग). सलाल पन-बिजली परियोजना का अनुसंधान कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है । इस कार्य को जम्मू और काश्मीर सरकार कर रही है । अनुसंधान कार्य के पूर्ण होने के बाद परियोजना रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

आंध्र प्रदेश में पोचम्पाद परियोजना

1121. **श्री राम सेवक यादव :** **श्री बागड़ी :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री कोल्ला बैंकैया :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री 1 सितम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3973 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में पोचम्पाद परियोजना को अतिरिक्त राशि देने के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ।

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) और (ख). संसाधनों की तंग स्थिति के कारण इस वर्ष अतिरिक्त धन देना संभव नहीं हो सका है । किन्तु चतुर्थ योजना में इस परियोजना पर 18 करोड़ रुपये के खर्च के राज्य सरकार के प्रस्ताव की सिफारिश कर दी गई है ।

लोक स्वास्थ्य सम्बन्धी विधान

1122. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री 18 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2682 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या अन्य राज्य विधान मण्डलों ने भी संसद् को लोक स्वास्थ्य संबंधी विधान बनाने के अधिकार देने के लिये संकल्प पारित कर दिये हैं।

(ख) क्या एक विधेयक बनाया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो यह किस अवस्था में है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). विधेयक का प्रारूप संशोधित किया जा रहा है।

नेताजी की मूर्ति

1123. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मूर्ति स्थापित की जायेगी;

(ख) यदि हां, तो कहां और कब; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (ग). दिल्ली मूर्ति स्थापित करने सम्बन्धी समिति ने लाल किले के बाहर एक स्थान पर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा स्थापित करने की सिफारिश की है परन्तु सरकार ने अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया है। स्थान के अन्तिम रूप से चुन लिये जाने के पश्चात्, प्रतिमा के वास्तविक रूप से लगाये जाने का प्रश्न किसी संस्था या किसी व्यक्ति के लिये है जो कि उसका भुगतान करेगा।

लेखा-बाह्य धन

1124. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1966 में 1965 की अपेक्षा लेखा-बाह्य धन का पता लगाने के लिये कम छापे मारे गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) 1966 में सितम्बर के अन्त तक मारे गये छापों की संख्या पिछले साल की इसी अवधि में मारे गये छापों की तुलना में कम है।

(ख) छापों की संख्या में कमी मुख्यत: निम्नलिखित कारणों से हुई है :—

(1) संसद् द्वारा अधिनियमित योजनाओं के अन्तर्गत कर दाताओं की एक बड़ी संख्या द्वारा लेखा-बाह्य आय को स्वेच्छा से प्रकट करने के कारण कर अपवंचन का क्षेत्र जिसमें अन्यथा रूप से छापे मारने की अपेक्षा की जा सकती थी काफी कम हो गया था।

(2) 1965 में बड़े पैमाने पर छापे मारकर बेनामी हुंडी ऋणों की किस्म के कर अपवंचन की कुछ व्यवस्थित कूट योजनाओं के विरुद्ध कार्यवाही की गयी थी और 1965 में मारे गये अधिकांश छापे इसी प्रकार के थे।

(3) 1966 के प्रथम नौ महीनों की अवधि में इसी प्रकार की 1965 की अवधि की तुलना में कर अपवंचन की विश्वस्त सूचना थोड़े मामलों में प्राप्त हुई।

बट्टे खाते में डाली गई आयकर की बकाया राशि

1125. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 में तथा 1 जुलाई, 1966 तक आय-कर की कितनी बकाया धनराशि बट्टे खाते में डाली गई है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जिन व्यक्तियों अथवा फर्मों के आयकर की बकाया राशि बट्टे खाते में डाली गई है उनके नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) आयकर की बट्टे खाते डाली गयी बकाया रकमों के आंकड़े आयकर के रिकार्डों में वित्तीय वर्ष के अनुसार रखे जाते हैं। वित्तीय वर्ष 1965–66 तथा 1966–67 में (31 जुलाई, 1966 तक) आयकर की बट्टे खाते डाली गयी बकाया कुल रकम क्रमश: 36,77,823 रुपये तथा 9,10,152 रुपये थी।

(ख) बट्टे खाते डालने के कारण साधारणत: निम्नलिखित थे :

(1) निर्धारिती बिना कुछ परिसम्पत्ति छोड़े मर गये थे।

(2) निर्धारिती दिवालिया हो गया था।

(3) निर्धारिती, जो एक कम्पनी थी, दिवालिया हो गयी थी।

(4) निर्धारिती का पता नहीं लगता था।

(5) निर्धारिती बिना कुछ परिसम्पत्ति छोड़े भारत छोड़ कर चला गया था।

(6) निर्धारिती के पास जब्त करने लायक कोई परिसम्पत्ति नहीं थी।

(7) जिन मामलों में कर की वसूली के लिए मांगी गई रकम निर्धारिती की परिसम्पत्तियों से कहीं ज्यादा अधिक थी, मांग को घटा कर उस हद तक कर दिया गय था जिस हद तक उसकी वसूली हो सके और बाकी की रकम बट्टे खाते डाल दी गई है।

(ग) नाम अनुबन्ध में दिये गये हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7296/66।]

पेंशनरों को महंगाई भत्ता

1126. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेंशनरों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने के बारे में सरकार ने कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि करने का निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख). पेंशनरों को महंगाई भत्ता नहीं मिलता परन्तु थोड़ी पेंशन पाने वाले पेंशनरों को समय-समय पर तदर्थ आर्थिक सहायता दी गयी है। पेंशनरों को आर्थिक सहायता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अल्प बचत योजना

1127. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्प बचत योजना किस हद तक लोकप्रिय हो पाई है विशेषकर ग्रामों में कम आय-वर्ग के लोगों में यह कितनी लोकप्रिय हुई है;

(ख) गत तीन वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) कम आय वाले कर्मचारियों और अन्य लोगों को इस योजना में सक्रिय भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख). छोटी बचतों के अन्तर्गत इकटठी होने वाली रकम, सामान्यत: छोटी बचत योजना की लोकप्रियता की सूचक है। पिछले तीन वर्षों में इस योजना के अन्तर्गत क्रमश: लगभग 128 करोड़ रुपये, 130 करोड़ रुपये और 147 करोड़ रुपये की वास्तविक वसूलियां हुईं। लेकिन यह बताना सम्भव नहीं कि इसमें, गांवों के लोगों से प्राप्त हुई रकमों और थोड़ी आमदनी वाले लोगों द्वारा किये गये अंशदानों का अनुपात क्या है। सबसे पहली बात तो यह है कि गांवों के सम्बन्ध में अलग आंकड़े नहीं रखे जाते और दूसरे, निवेशकों के लिए यह ज़रूरी नहीं है और न उनसे यह आशा की जा सकती है कि वे निवेश के समय अपनी आमदनी प्रकट करें।

(ग) इस सम्बन्ध में ये कदम उठाये गये हैं :

(1) राज्य सरकारें—जिन्हें प्रकाशन सम्बन्धी अनुदान दिये जाते हैं—चलचित्रों (फिल्म्स), लोक-गीतों, नाटकों, कठपुतलियों आदि के द्वारा प्रकाशन और प्रचार करती हैं।

(2) राज्य सरकारों के जिला प्रकाशन अधिकारियों, पंचवर्षीय आयोजना प्रकाशन एककों और राष्ट्रीय बचत संगठन के जिला संगठकों द्वारा भी प्रचार किया जाता है।

(3) महत्वपूर्ण सामुदायिक विकास खंडों के मुख्यालयों में विज्ञापनों के लिए लकड़ी के तख्ते (होर्डिंग्स) लगाये गये हैं जिनमें आयोजना पर किये जाने वाले खर्च तथा छोटी बचतों के लिए निर्धारित किये गये लक्ष्य दिखाये जाते हैं और लोगों को

अपने व्यक्तिगत तथा सामाजिक कल्याण के लिए उन योजनाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है ।

(4) बचतपत्रों की बिक्री के लिए स्कूलों के अध्यापकों को अधिकृत एजेंटों के रूप में नियुक्त किया जाता है ।

(5) पंचायत राज से सम्बद्ध संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया गया है ।

(6) जहां प्रत्येक घर ने डाकघर बचत बैंक में खाता खोल लिया हो या बचतपत्र खरीद लिया हो, वहां बचत ग्रामों का संगठन और इन ग्रामों के संगठन तथा इनके सम्बन्ध में किये गये गैर-सरकारी प्रयत्नों का व्यापक प्रचार ।

(7) वेतन से सीधी बचत करने की योजना के द्वारा औद्योगिक बस्तियों में बचत कारखानों की स्थापना ।

(8) स्कूलों की पाठ्य-पुस्तकों में छोटी बचत का विषय शामिल करना ।

दिल्ली में पकड़ी गई लोहे की चादरें

1128. श्री बागड़ी : **श्री राम सेवक यादव :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री दिल्ली में पकड़ी गई चादरों के बारे में 1 सितम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4077 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच इस मामले की जांच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख). जांच-पड़ताल दिल्ली प्रशासन द्वारा की गयी थी । जांच-पड़ताल से पता चला कि इन मामलों में पकड़े गये माल की प्राप्ति से लोहा तथा इस्पात नियंत्रण आदेश, 1956 के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं होता था । इसलिए जिन व्यापारियों के पास से यह माल पकड़ा गया था उनके खिलाफ दर्ज किये गये मामले वापस ले लिये गये ।

दिल्ली में पकड़ी गई अफीम

1129. श्री बागड़ी : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री बड़े :**
श्री राम सेवक यादव : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस ने 17 सितम्बर, 1966 को निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली पर एक यात्री के पास से 30,000 रुपये के मूल्य की अफीम पकड़ी थी;

(ख) इस बारे में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं; और

(ग) सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) 17 सितम्बर, 1966 को रेलवे पुलिस ने निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास एक यात्री से 30 किलोग्राम अफीम पकड़ी जिसका कारखाने में सरकारी मूल्य 3,000 रुपये था।

(ख) एक।

(ग) अभियुक्त को चार्ज-शीट किया गया था और उस पर अदालत में मुकदमा चल रहा है।

जावरा रेलवे स्टेशन पर अफीम का पकड़ा जाना

1130. **श्री बागड़ी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सेवक यादव :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **वित्त** मंत्री जावरा रेलवे स्टेशन पर अफीम के पकड़े जाने के बारे में 1 सितम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4088 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच इस मामले की जांच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) अभियुक्त पर रेलवे न्यायालय, इन्दौर में मुकदमा चलाया जा रहा है।

चीन में बनी हुई घड़ियों का पकड़ा जाना

1131. **श्री बागड़ी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **वित्त** मंत्री चीन में बनी हुई घड़ियों के पकड़े जाने के बारे में 1 सितम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4000 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच इस मामले की जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जांच पड़ताल अभी भी चल रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बम्बई तथा राजस्थान में छापे

1132. **श्री राम सेवक यादव :**
श्री बागड़ी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दिगे :
श्री विश्राम पाण्डेय :

क्या **वित्त** मंत्री बम्बई तथा राजस्थान में छापों के बारे में 28 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 496 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग द्वारा इन बीच छापेमारी पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम रहा ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जांच पड़ताल अभी पूरी नहीं हुई है। प्रश्न ही नहीं उठता ।

Smuggled Goods seized at Dum Dum Airport

1133. Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2679 on the 18th August. 1966 and state:

(a) whether the investigations into the action taken in connection with the confiscation of smuggled goods at Dum Dum Airport have since been completed;

(b) if so, the outcome thereof; and

(c) if not, the time likely to be taken to complete the investigation?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) Yes, Sir. The adjudication proceedings in respect of the goods seized at Dum Dum Airport on 23.6.66 have been completed.

(b) The goods seized from the passenger have been confiscated with an option to pay a fine of Rs. 5000, in lieu of confiscation. A personal penalty of Rs. 1000, has also been imposed on him. A complaint has been filed against the passenger in the Court of the Magistrate.

(c) Does not arise.

Dealing in Unaccounted Money

1134. Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Raghunath Singh:

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3981 on the 1st September, 1966 and state:

(a) whether documents seized from one Shri Jwaladutt Bhoot, a broker of Bombay, revealed any information regarding black money about firms and persons other than himself;

(b) if so, the amount in respect of which details were available in these documents and the persons involved therein;

(c) whether any action was taken against the persons concerned individually or collectively;

(d) whether there are some such cases also in respect of which no action has been taken; and

(e) if so, the reasons therefor?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) Yes, Sir.

(b) As the investigations are not yet over, it would not be in public interest to disclose the details of amounts and the names of the persons involved.

(c) Necessary action will be taken on completion of the investigations.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

Messrs. J.P. & Sons

1135. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Raghunath Singh:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a certain firm of Messrs J. P. & Sons, Bombay has never paid any Income-tax;

(b) whether it is also a fact that its existence as also its business worth lakhs of rupees was traceable from the accounts of Messrs. Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd., and Messrs. Mackanzies Ltd., Bombay; and

(c) if so, whether Government have taken any action to find out why this firm did not pay any Income-tax?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) and (b). This is being ascertained.

(c) Action will depend on the outcome of enquiries.

Seizure of Gold in Bombay

1136. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Bade:
Shri Utiya:
Shri Kishen Pattnayak: ....
Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2011 on the 11th August, 1966 and state:

(a) whether Government have since completed the inquiry into the case of seizure of gold in Bombay:

(b) if so, the details thereof; and

(c) the country from which the gold was smuggled into India?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) Yes, Sir.

(b) The seized gold has been disclaimed by the owner of the premises from which it was recovered and he has alleged that the gold was deposited in his premises by a third person. That third person has also denied ownership of the gold. The case is being adjudicated.

(c) The country from which the gold was smuggled into India is not known. But the gold bears markings such as "Johnson Mathey" and "Sheffield Smelting Co. 9990, 10 TOLAS, London" indicating foreign origin.

Demands of Employees of Raj Ghat

1137. **Shri Bade:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Yashpal Singh:

Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4011 on the 1st September, 1966 and state:

(a) whether the Rajghat Samadhi Committee has forwarded the memorandum of demands of Rajghat employees to Government;

(b) if so, the decision taken thereon; and

(c) if not, when the Committee is likely to forward the Memorandum?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna): (a) to (c). A memorandum of demands of the class IV employees of the Rajghat Samadhi Committee, together with the Committee's recommendations, was received by Government on the 9th November, 1966 and will now be examined.

सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा सरकारी आवासस्थान में रहना

1138. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री ह्व० च० लिंग रेड्डी :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेवानिवृत्त व्यक्ति अवैतनिक सलाहकार पद अथवा समितियों या आयोगों का अध्यक्ष पद सामान्यत: इस लिए स्वीकार करते हैं ताकि वे उन्हीं मकानों में रह सकें जिनमें पहले रहते थे अथवा उनको सरकारी आवास स्थान प्राप्त हो सके ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के कुछ अवैतनिक सलाहकार सामान्य पूल में शामिल मकानों में रहते रहे हैं और इस प्रकार सरकारी कर्मचारियों को उनके वैध अधिकारों से वंचित किया हुआ है ; और

(ग) क्या सरकार ने ऐसे व्यक्तियों को सरकारी मकान न देने का निर्णय किया है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) सरकार को पता नहीं है कि सेवानिवृत्त व्यक्तियों ने समितियों या अयोगों के अवैतनिक परामर्शदातृ या सभापतित्व को किन बातों को ध्यान में रख कर स्वीकार किया है।

(ख) सामान्य पूल में से ऐसे 15 परामर्शदाताओं को आवास दिया गया है।

(ग) जी हां, सामान्य नीति के एक मामले के रूप में।

गन्दी बस्तियां

1139. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री ब० कु० दास :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में 30 प्रतिशत लोग गन्दी बस्तियों में रहते हैं ;

(ख) गन्दी बस्तियों की समस्या किस हद तक सुलझायी गई है ;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने इस आवास-कार्यक्रम के लिए निर्धारित पूंजी को दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया है ; और

(घ) यदि हां, तो राज्यों को आवास कार्यक्रम के लिए नियत राशि को अन्य कार्यों पर खर्च करने से रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) इस सम्बन्ध में कोई प्राधिकृत जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) माननीय सदस्यों का ध्यान निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय के वर्ष 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ 51 की ओर आकर्षित किया जाता है।

(ग) तृतीय योजना में आवास योजनाओं के लिए किये गये आवंटनों का राज्य सरकारों ने पूरा उपयोग नहीं किया है।

(घ) कई अवसरों पर राज्य सरकारों को एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में आवास के महत्व को बताया गया है और उनसे कहा गया है कि वे आवास योजनाओं के लिए आवंटित निधियों का उपयोग केवल इसी प्रयोजन के लिए करें।

लेखा-बाह्य धन का पता लगाने के लिए छापे

1140. श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **वित्त** मंत्री 11 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 416 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्होंने कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् कितने मामलों में प्रवर्तन/सीमा-शुल्क/आयकर अधिकारियों तथा वित्त मंत्रालय के अधीन अन्य एजेन्सियों द्वारा पकड़े गये कागजातों सहित छापों/तलाशियों के परिणामों पर विचार किया है ;

(ख) कितने मामलों में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि छापे/छापे मारने का तरीका उचित था तथा कितने मामलों में अनुचित था ; और

(ग) क्या ऐसे मामलों में, जिनमें उन्होंने तलाशी को अनुचित समझा अथवा जिनमें दोष सिद्ध करने वाली कोई सामग्री नहीं मिली और सरकार ने सम्बन्धित लोगों से खेद प्रकट किया ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) से (ग) यद्यपि मंत्री अपने मंत्रालय में लिए गए निर्णयों तथा की गयी कार्यवाहियों के लिए जिम्मेवार होता है और पकड़े गये दस्तावेज़ों की अथवा अन्य दस्तावेज़ों की जब तब आवश्यक होने पर जांच करता है परन्तु यह बताना सार्वजनिक हित में नहीं होगा कि ये निर्णय वास्तव में किस स्तर पर लिये गये हैं अथवा किन मामलों में मंत्री ने स्वयं दस्तावेज़ों की जांच की है।

मैसर्स चमन लाल एण्ड ब्रदर्स

1141. श्री मधु लिमये : **श्री किशन पटनायक :**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **वित्त** मंत्री 4 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 249 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स चमन लाल एण्ड ब्रदर्स से अभी तक कितनी विदेशी मुद्रा वसूल करनी बाकी है ;

(ख) ब्रिटेन की उस फर्म के विरुद्ध जिसने भारत को विदेशी मुद्रा प्रेषित करने के मामले में नियमोल्लंघन किया था, क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या निर्यात से प्राप्त यह विदेशी मुद्रा , प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत दिये गये आयात लाइसेंसों के लिए थी ; और

(घ) विदेशी मुद्रा के वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्रीशचीन्द्र चौधरी) : (क) निर्यात से प्राप्त आय के 465,842 पौण्ड 2 शिलिंग 9 पेंस अभी भी वसूल होने के लिए बाकी हैं।

(ख) (1) बम्बई और कलकत्ता में कुछ पार्टियों द्वारा ब्रिटेन की कम्पनी को देय 227,048 पौण्ड की कुल रक़म की जब्ती के आदेश देना बैंक ने बम्बई उच्च-न्यायालय से प्राप्त कर लिए हैं।

(2) भारत के रिर्जव बैंक ने विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम की धारा 10 (2) के अन्तर्गत मैसर्स चमन लाल एण्ड ब्रदर्स तथा उनकी सहयोगी कम्पनियों को आदेश जारी कर दिये हैं कि वे ब्रिटेन की कम्पनी के विरुद्ध निर्यात से होने वाली आय की बकाया रकम की वसूली के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही करें जिसमें कानूनी कार्यवाही भी शामिल है। इन आदेशों के जवाब में कम्पनियों ने सूचित किया है कि वे ब्रिटेन की कम्पनी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का प्रबन्ध कर रही है ।

(ग) जी, हां।

(घ) भाग (ख) के उत्तर में बतायी गयी बात के अलावा प्रवर्तन निदेशालय ने मैसर्स चमन लाल एण्ड ब्रदर्स तथा उनकी सहयोगी कम्पनियों को प्रासंगिक निर्यात के सम्बन्ध में न्याय निर्णय की कार्यवाही शुरू करने के लिए कारण बताओ आदेश जारी कर दिये हैं ।

श्री चिरंजीतलाल गोयन्का के विरुद्ध न्यायनिर्णयन की कार्यवाही

1142. श्री मधु लिमये : **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री किशन पटनायक : **श्री उटिया :**

क्या **वित्त** मंत्री 18 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 555 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री चिरंजीत लाल गोयन्का के विरुद्ध न्यायनिर्णयन की कार्यवाही पूरी हो चुकी है ;

(ख) क्या राजस्थान उच्च-न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही आरम्भ कर दी है ;

(ग) क्या उसकी आयकर की देनदारी के बारे में अनुमान लगाने तथा जांच करने का काम इस बीच पूरा हो चुका है ;

(घ) क्या कानून के उल्लंघन तथा आयकर के अपवंचन के विरुद्ध कोई न्याय-निर्णयन/दंड देना/मुकदमा चलाने की कार्यवाही इस बीच पूरी हो गई है अथवा आरम्भ की है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) आयकर विभाग द्वारा कोई कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की गई है क्योंकि श्री गोयन्का ने राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायाल में अपील दायर की है । अपील अभी विचाराधीन है ।

(ग) वर्ष 1961-62 का आयकर निर्धारण पूरा हो चुका है । बाद के वर्षों का कर-निर्धारण अभी बाकी है क्योंकि पकड़ी गई लेखा बहियों और दस्तवेज़ों की छानबीन अभी पूरी नहीं हुई है ।

(घ) जहां तक आयकर विभाग का सम्बन्ध है मुकद्दमा चलाने की अभी तक कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है । कर-निर्धारण वर्ष 1961-62 में आय छिपाने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271(1) (ग) के अन्तर्गत दण्ड लगाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है ।

स्वर्ण नियन्त्रण आदेश के उल्लंघन के कारण श्री गोयन्का 8 जुलाई, 1966 को अधीक्षक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, स्वर्ण नियन्त्रण, नई दिल्ली, द्वारा गिरफ्तार किये गये थे और उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया गया । स्वर्ण नियन्त्रण आदेश के उल्लंघन के कारण विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है । श्री गोयन्का ने विभागीय कार्यवाही के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी जिसे खारिज कर दिया गया है । इस पर उन्होंने राजस्थान उच्च-न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की है । सर्वोच्च यायालय ने 30 मई, 1966 को इस आशय का एक अन्तरिम स्थगन आदेश दे दिया है कि स्वर्ण नियन्त्रण आदेश के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही चालू रह सकती है परन्तु जब तक सर्वोच्च न्यायालय अपील का निर्णय नहीं कर दे तब तक अन्तिम आदेश नहीं दिये जाने चाहिए ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सोने का पकड़ा जाना

1143. श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री उटिया :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :

क्या **वित्त** मंत्री 28 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 601 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 560 तोला निषिद्ध विदेशी सोना पकड़े जाने के बारे में जांच-पड़ताल इस बीच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) . केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले में जांच पूरी कर ली है । सबसे पहले इस मामले का विभागीय न्याय-निर्णय करने का विचार है ।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

1144. श्री यशपाल सिंह :
श्री दिगे :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री 28 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 598 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन कार्यक्रम को अधिक कारगर बनाने के लिये, चौथी पंचवर्षीय योजना में अधिक धनराशि आवंटित करने के बारे में, इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख) .जी हां। 95 करोड़ रु० के अतिरिक्त 144.16 करोड़ के अतिरिक्त आवंटनों के प्रस्तावों पर योजन आयोग के साथ चर्चा की गई है और आयोग अतिरिक्त निधियां देने के लिये राजी है। निधियों का वास्तविक रूप से दिया जाना प्रत्येक वर्ष कार्यक्रमों की प्रगति और लक्ष्यों की प्राप्ति पर निर्भर करेगा।

चतुर्थ वार्षिक विद्युत् सर्वेक्षण

1145. श्री यशपाल सिंह: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री चतुर्थ वार्षिक विद्युत् सर्वेक्षण के बारे में 28 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 491 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वेक्षण समिति ने अपना सर्वेक्षण कार्य इस बीच पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने इस बारे में कोई प्रतिवेदन दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) . चतुर्थ वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण समिति का कार्य लगभग एक महीने में पूर्ण होने की सम्भावना है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नई दिल्ली नगरपालिका आयुर्वेदिक औषधालय के निकट अनधिकृत खोखे

1146. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री 1 सितम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 804 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि लेडी हार्डिंग रोड पर स्थित नई दिल्ली नगर पालिका आयुर्वेदिक औषधालय के निकट सरकारी भूमि पर कई मोटर वर्कशाप चल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या नई दिल्ली नगरपालिका इनसे भूमि आदि का किराया लेकर उन्हें ऐसा करने की अनुमति दे रही है ;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे अनधिकृत खोखों तथा व्यापार स्थानों को वहां पर चालू रहने देने के क्या कारण हैं ;

(ब) क्या यह भी सच है कि इन अस्थायी लकड़ी की दुकानों पर जिनमें ये वकशाप चल रहे हैं, इससे पहले उन विस्थापित व्यक्तियों ने कब्जा किया हुआ था जिनको इस बीच अन्य क्षेत्रों में दुकानें आवंटित कर दी गई हैं और इस प्रकार खाली हुई दुकानों को गिरा देने का विचार था ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि ये वर्कशाप यहां के निवासियों के लिये तथा इन दुकानों के पीछे परिसर में चल रहे एक स्कूल के बच्चों के लिये लगातार परेशानी का कारण बने हुए हैं और

(च) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख). आयुर्वेदिक औषधालय के निकट लेडी हार्डिंग रोड पर नई दिल्ली नगरपालिका के आठ स्टाल हैं। इनमें से पांच स्टालों को मोटरों के अतिरिक्त पुर्जों के लिये आवंटित किया गया था। उनमें से दो में मोटरों की मरम्मत सम्बन्धी कार्य किया जा रहा है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ये स्टाल अभी भी शरणार्थियों के नाम अलाट हैं।

(ङ) कभी-कभी कारों को उनकी मरम्मत के लिये पटरी पर खड़ा किया जाता है किन्तु ऐसा हर समय नहीं किया जाता। मरम्मत के लिये गाड़ियों को अनधिकृत रूप से सड़क पर खड़ा करने के विरुद्ध समिति कार्यवाही करती है।

(च) एक शापिंग-सेण्टर के निर्माण के लिये कोई उपयुक्त भूमि खण्ड अलाट करने के लिये नई दिल्ली नगरपालिका ने निर्माण आवास एवं नगर विकास मंत्रालय से अनुरोध किया है। इस विषय पर विचार करने के लिये सरकार ने एक समिति नियुक्त कर दी है। समुचित स्थान मिल जाने पर इन तथा अन्य स्टालों के हटाने के प्रश्न पर नई दिल्ली नगरपालिका विचार करेगी।

समवायों द्वारा किये गये खर्च पर छूट की सीमा सम्बन्धी नियम

1147. **श्री प्र० चं० बरुआ**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समवायों और व्यापारिक संगठनों द्वारा किये गये खर्च पर आय कर से छूट की सीमा सम्बन्धी नियमों में हाल ही में संशोधन किया गया है और उन्हें अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख). जी हां। संशोधित आयकर नियमों में विज्ञापन, अतिथि-गृहों और निवास के अन्य स्थानों के रख-रखाव तथा कर्मचारियों और अन्य लोगों द्वारा व्यापार सम्बन्धी काम से की जाने वाली यात्रा पर होने वाले व्यय सम्बन्धी छूट के लिए कुछ सीमाएं तथा शर्तें निर्धारित की गयी हैं। ये नियम केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 10-8-1966 में प्रकाशित किये गये थे। उक्त राजपत्रित अधिसूचना की एक प्रति 25-8-1966 को सदन की मेज पर रखी गयी थी।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को आवास सम्बन्धी सुविधायें

1148. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में केन्द्रीय सरकार के कुल कितने कर्मचारियों के लिए अब तक आवास सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है और कितने कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें अभी तक यह सुविधा प्राप्त नहीं हुई है ;

(ख) मकान बनाने के कार्यक्रम में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) चालू योजना के अन्त में क्या स्थिति होगी ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) सामान्य पूल आवास के लिए पात्र लगभग 38100 अधिकारियों को अब तक सरकारी रिहायश दी गई है और लगभग 58200 बिना आवास के हैं ।

(ख) और (ग). तृतीय योजना के दौरान निर्मित क्वार्टरों की संख्या निम्न है :—

1961–62	. . . .	448 क्वार्टर
1962–63	. . . .	4316 क्वार्टर
1063–64	. . .	830 क्वार्टर
1964–65	. . . .	674 क्वार्टर
1965–66	. . . .	3112 क्वार्टर

अन्य 1891 क्वार्टरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

Health Services in Delhi

1149. Shri Brij Raj Singh: Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to an article under the heading "The ailing Health Services" published in the Hindustan Times of the 9th September, 1966 in which it has been stated that Health Services in Delhi are being neglected;

(b) whether it is also a fact that Coronation Pillar area has turned into a breeding centre of mosquitoes due to insanitation and thereby causing danger of spreading diseases; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). There is insanitation in the area near the Coronation Pillar. Mosquito-breeding took place as a result of grass farming in the low area with the help of sewage effluents which has now been discontinued. The area is being reclaimed gradually.

Sabarigiri Project

1151. Shri Bade:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Vishram Prasad:

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2047 on the 11th August, 1966 and state:

(a) whether the inquiry into the damage caused to the imported equipment required for Sabarigiri Project has since been completed;

(b) if so, the details thereof;

(c) the number of officers against whom action has been taken; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed): (a) Yes.

(b) Investigations have revealed that equipment worth about Rs. 10 lakhs for Sabarigiri Hydro Electric Project became unserviceable due to the rusting. The damage to stampings was mainly due to defects in manufacture and partly due to defective packing.

(c) and (d). The question does not arise as it is reported that the projects authorities were not responsible for the damage.

Per Capita Expenditure on Medical Facilities on Government Employees in Delhi

1152. **Shri Vishram Prashad:** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) the per capita per annum expenditure incurred for providing medical facilities in the Officers' Colonies in Delhi; and

(b) the expenditure incurred per annum, per capita in the colonies of other Government servants in Delhi?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar): (a) and (b). Under the Central Government Health Scheme the records of expenditure are not maintained dispensary-wise and as such the per capita per annum expenditure for providing medical facilities in various Government colonies in Delhi is not available. However, the expenditure per family and per beneficiary under the Central Government Health Scheme for the last three years is as under:—

Years	Cost per family	Cost per beneficiary
	Rs.	Rs.
1963-64	114.0	22.80
1964-65	114.0	22.80
1965-66	125.0	25.00

Personal Staff of Ministers

1153. **Shri Vishram Prasad:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of persons on the personal staff of the Prime Minister, Ministers, State Ministers and Deputy Ministers separately; and

(b) the total monthly expenditure incurred on their pay and allowances?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) and (b). The information is being collected from the Ministries/Departments concerned and will be laid on the Table as soon as available.

Ministry of Finance and A.G.C.R. Employees on Deputation

1154. **Shri Vishram Prasad:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of employees from his Ministry, its Attached and Subordinate Offices including the office of the Accountant-General Central Revenues, who are at present on deputation;

(b) the percentage of deputationists to the total number of employees; and

(c) the amount of extra expenditure incurred in the form of Deputation Allowance?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

Dangerous Bungalows

1155. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some officers of Delhi Administration are not prepared to vacate the bungalows which have been declared dangerous by his Ministry;

(b) if so, whether Government propose to take any action against them; and

(c) whether Government propose to give alternative accommodation to them?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna): (a) No such case has come to our notice so far.

(b) and (c). Do not arise.

C.H.S. Ayurvedic Dispensary, Gole Market, New Delhi

1156. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that no bed has been provided for patients in the Ayurvedic Dispensary, Gole Market, New Delhi;

(b) whether it is also a fact that there is much shortage of accommodation and of staff in the dispensary; and

(c) if so, the action Government propose to take in this regard?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar): (a) As outdoor treatment only is provided at all the dispensaries under the Central Government Health Scheme, there is no bed in any of the dispensaries including the Ayurvedic Dispensary, Gole Market, New Delhi.

(b) and (c). The accommodation and staff provided in the Ayurvedic Dispensary, Gole Market, New Delhi is considered adequate. The doctor-patient ratio in the Ayurvedic Dispensary is less than what it is in other dispensaries under the Central Government Health Scheme.

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी, दिल्ली

1157. श्री अ० क० गोपालन :
श्री उमानाथ :
श्री नम्बियार :
डा० सारादीश राय :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी, दिल्ली, ने अपने यहां के श्रमिक संघ के उप-प्रधान और महासचिव को 1965 और 1966 में नौकरी से हटा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उन पर लगाये गये आरोपों की जांच की गई है और यदि हां, तो किसके द्वारा ;

(घ) क्या यह भी सच है कि उक्त संघ ने इन मामलों की किसी निष्पक्ष उच्च अधिकारी द्वारा जांच-पड़ताल किये जाने की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी वर्कर्स यूनियन के उपप्रधान श्री एफ० एस० बाली और महामंत्री श्री देश दीपक की सेवाओं को उस कारखाने के कर्मचारियों के रूप में समाप्त कर दिया गया है क्योंकि उनको घोर दुराचरण के लिए दोषी पाया गया था।

(ग) जी हां। श्री एफ० एस० बाली के विरुद्ध जांच हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड के एक कार्यपालक इंजीनियर और श्री देश दीपक के विरुद्ध वित्त एवं मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा की गई थी।

(घ) और (ङ). जी नहीं, परन्तु बाहरी व्यक्तियों द्वारा जांच के लिए प्रार्थना सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा की गई थी। इसको नहीं माना गया था क्योंकि यह सामान्य प्रक्रिया के अनुसार नहीं था।

अखिल-भारत ग्रामीण ऋण पुनरीक्षण समिति का प्रतिवेदन

1158. **श्री अ० क० गोपालन :**
डा० सारावीश राय :
श्री उमानाथ :
श्री नम्बियार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिजर्व बैंक आफ इन्डिया के गर्वनर द्वारा नियुक्त अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण पुनरीक्षण समिति के काम में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या समिति ने कोई अन्तरिम सुझाव दिये हैं ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) समिति के प्रतिवेदन को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) समिति ने अपना कार्यक्रम अंतिम रूप से तैयार कर लिया है और जांच सम्बन्धी विषय के बारे में सूचना सामग्री और आंकड़े इकट्ठे करना शुरू कर दिया है। शीघ्र ही, समिति छोटी, मध्यम और लम्बी अवधियों के ऋणों और जोरदार कृषि उत्पादन से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में विस्तृत क्षेत्रीय जांच और अध्ययन करने का काम शुरू कर देगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(घ) 1967 के अंत तक।

नागपुर के श्रीराम दुर्गा प्रसाद सम्बन्धी मामले

1159. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री नाथ पाई :

क्या **वित्त** मंत्री नागपुर के श्रीराम दुर्गाप्रसाद संबंधी मामले के बारे में 4 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1270 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच-पड़ताल का काम इस बीच पूरा हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) जी नहीं।

(ख) सवाल ही नहीं उठता।

बाल कल्याण

1160. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या बाल कल्याण सम्बन्धी डच प्रतिष्ठान भारत में एक प्रायोगिक परियोजना आरम्भ करेगा ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) .ये प्रश्न नहीं उठते।

चलते फिरते गर्भाशयान्तर गर्भनिरोधक रुजालय (क्लिनिक)

1161. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) देश के प्रत्येक जिले में एक चलता फिरता गर्भाशयान्तर गर्भनिरोधक रुजालय (क्लिनिक) की व्यवस्था करने के प्रस्ताव के संबंध में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस समय यह मामला किस अवस्था में है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) .उपलब्ध जानकारी के अनुसार 175 चलते फिरते गर्भाशयान्तर गर्भनिरोधक रुजालय काम कर रहे हैं। निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिये इस प्रकार के काफी अधिक रुजालयों की आवश्यकता है और प्रत्येक जिले में 5 से 7.5 लाख की आबादी के लिए ऐसे एक रुजालय का प्रबन्ध करने के लिए 29 अक्तूबर, 1966 को आदेश जारी कर दिये गये हैं। अतिरिक्त गाड़ियां प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

जनांकिकी संस्थान

1162. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या जनांकिकी संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो कितने और किन-किन स्थानों पर ऐसे संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) .जनांकिकी संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । तथापि वर्तमान 10 जनांकिकी अनुसंधान केन्द्रों के अतिरिक्त कुछ और नये केन्द्र खोलने का विचार है ताकि देश के प्रत्येक राज्य में कम से कम एक जनांकिकी केन्द्र हो जाय ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा वेतन का न लिया जाना

1163. **श्री कोल्ला वेंकैया :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री स० मो० बनर्जी : **श्री बसुमतारी :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के लगभग छः लाख कर्मचारियों ने महंगाई भत्ता आयोग के निर्देश पदों के विरोध में 1 अक्तूबर, 1966 को अपना वेतन नहीं लिया; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) केन्द्रीय सरकार के कुछ कर्मचारियों ने 1 अक्तूबर, 1966 को वेतन नहीं लिया था लेकिन उन्होंने काम के अगले दिन वेतन ले लिया। ऐसे कर्मचारियों की ठीक ठीक संख्या का पता नहीं है। अब यह सूचना इकट्ठी करने में जितना परिश्रम लगेगा उतना लाभ नहीं होगा।

(ख) आयोग के निर्देश पदों में संशोधन करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है ।

बैंक

1164. **श्री किशन पटनायक :**
श्री मधु लिमये :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1956 से 66 तक की अवधि में संगट विधियों के अन्तर्गत जारी किये गये सरकारी आदेशों के अधीन कितने बैंकों को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया/परिसमापितकिया/अथवा अन्य बैंकों के साथ मिला दिया गया ;

(च) क्या सरकार रिजर्व बैंक सम्बन्धित हस्तांतरित बैंक को हस्तांतरक कम्पनी के हिस्सेदारों को प्रति वर्ष/पांचवे वर्ष लेखे का एक विवरण देना होता है ;

(ग) क्या वर्तमान विधि के अन्तर्गत जब तक हस्तांतरण/विलन/परिसमापन की प्रक्रिया पूरी न हो जाये तब तक कुछ वर्षों के लिये हस्तांतरक बैंक के हिस्सेदारों की वार्षिक बैठक बुलाना भी आवश्यक है ;

(घ) यदि हां, तो क्या उपरोक्त भाग (ख) और (ग) में उल्लिखित आवश्यकतायें जोधपुर कर्मशियल बैंक और सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया लिमिटेड के मामले में पूरी की गई हैं; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) 63।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) और (ङ) .सेंट्रल बक ऑफ इण्डिया से यह अपेक्षित नहीं था कि वह जोधपुर कर्मशियल बैंक के अंशधारियों को वार्षिक लेखों का विवरण देती या अंशधारियों की वार्षिक बैठक करती। तथापि रिजर्व बैंक ने सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया से अनुरोध किया था कि वह हस्तांतरित करने वाली बैंक के अंशधारियों को वार्षिक लेखों का संक्षिप्त विवरण भेजे। सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा 1965 के अन्त तक के लेखों का विवरण तैयार किया जा रहा है और वह शीघ्र ही अंशधारियों को दे दिया जायेगा।

संसद्-सदस्यों के फ्लैटों से सम्बद्ध सेवकों के क्वार्टरों में पंखे

1165. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बृजराज सिंह :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न क्षेत्रों में संसद्-सदस्यों के आवास-गृहों (फ्लैटों) के बने हुए सेवकों के क्वार्टरों में छत के पंखे लगाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) पहले टाइप एक के क्वाटरों में छत के पंखे नहीं लगाये जाते थे। इस निर्णय के बाद कि ये लगाये जाने चाहिएं, 28 लाख रुपये की लागत का एक कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसके अन्तर्गत नई दिल्ली के टाइप एक के क्वार्टरों में पंखे लगाये जायेंगे । खर्च की अधिक राशि को देखते हुए, कार्यक्रम को केवल उसी हद तक क्रियान्वित किया जायेगा जिस हद तक इस प्रयोजन के लिए धन दिया जायेगा। सरकारी खर्च पर संसद् सदस्यों के निजी नौकरों के क्वार्टरों में छत के पंखे लगाने के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया है।

विदेशी में जाने वाले छात्रों को विदेशी मुद्रा

1166. **श्री हेमराज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों को जाने वाले उन विद्यार्थियों को, जिन्हें विदेशी विश्व-विद्यालयों में दाखिला मिल चुका है और जिनके पास अपेक्षित भारतीय पारपत्र भी है, सरकार विदेशी मुद्रा नहीं दे रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी हां, कुछ मामले हुए हैं।

(ख) जब विद्यार्थी कुछ रखी गई शर्तों को पूरा करते हैं तो विदेशी मुद्रा दी जाती है । इनमें सबसे बड़ी शर्त यह है कि कि उनको भारत में निम्नतम शिक्षा प्राप्त कर लेनी चाहिए। किसी विदेशी विश्वविद्यालय में दाखले का प्रमाण कई शर्तों में केवल एक शर्त है । केवल दाखला प्राप्त करने से ही कोई विद्यार्थी विदेशी मुद्रा के लिए हकदार नहीं हो जाता।

नागार्जुनसागर बांध

1167. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष नागार्जुनसागर नहर से सिंचाई के लिए पानी दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न नहरों से कितने क्षेत्र को पानी दिया गया;

(ग) इस वर्ष कितने क्षेत्र में सिंचाई की गई; और

(घ) यदि इस वर्ष अनुमानित क्षेत्र में सिंचाई नहीं की जा सकी तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) 5.1 लाख एकड़ के प्राधिकृत सिंच्य क्षेत्र में दक्षिण नहर और इसकी उप-शाखाओं के लाख और 0.7 एकड़ के प्राधिकृत क्षेत्र में वाम नहर तथा इसकी उप-शाखाओं को पानी दिया गया था।

(ग) नागार्जुनसागर परियोजना के दक्षिण नहर के अन्तर्गत 12,000 एकड़ और वाम नहर के अन्तर्गत 2,600 एकड़ ।

(घ) इस वर्ष कृष्णा नदी में असाधारण रूप से पानी कम था । जलाशय केवल 3 अगस्त को ही भर सका और उसी तारीख को ही नहरों में पानी दिया जा सका । इस देरी के कारण किसान लोग पहले ही जून-जुलाई में सूखी फसलें बो चुके थे और भूमि को सिंचाई के लिए तैयार नहीं किया और भी नदी के वाह्य क्षेत्र में मानसून के फेल हो जाने के परिणाम स्वरूप कृष्णा नदी में पानी के थोड़ा होने के कारण नहरों में पानी का बहाव लगातार न हो कर रुक रुक कर रहा ।

केरल के कुट्टनाड क्षेत्र में पीने का पानी

1168. **श्री मणियंगाडन** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केरल राज्य के कुट्टनाड क्षेत्र में पीने का पानी सप्लाई करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो इसमें विलम्ब के कारण क्या हैं; और

(घ) इस योजना को कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (घ). केरल सरकार ने जून, 1965 में कुट्टनाड जल-पूर्ति योजना का एक सारांश भेजा । चूंकि राज्य सरकार ने जो सूचना भेजी थी वह पर्याप्त नहीं थी । अतः उसे योजना के लिए विस्तृत रुप से ब्यौरा तैयार करने के लिए कहा गया था । राज्य सरकार ने परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की व्यापक जांच के लिए अपेक्षित कर्मचारियों की मंजूरी दे दी है इस रिपोर्ट की जुलाई, 1967 में तैयार होने की सम्भावना है । तथापि योजना का क्रियान्वयन चौथी पंचवर्षीय योजना में धन के उपलब्ध होने पर निर्भर करेगा ।

कुंडारा जल संभरण योजना

1169. **श्री मणियंगाडन** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या कंडारा जल संभरण योजना, केरल को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) क्या यह योजना कार्यान्वित हो गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग). 4,34,800 रुपये की अनुमानित लागत की कण्डारा जलपूर्ति योजना मई, 1966 में केरल सरकार से प्राप्त हुई थी । राज्य सरकार को, जिन्होंने यह अनुरोध किया था कि इस योजना को राष्ट्रीय जल-पूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के ग्रामीण पक्ष के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाय, सूचित किया गया कि 1961 की जनगणना रिपोर्ट में कण्डारों को नगर क्षेत्र घोषित किया गया है और इसलिए उस नगर की जल-पूर्ति योजना को इस कार्यक्रम के ग्रामीण पक्ष में लेने के प्रश्न पर विचार नहीं किया जा सकता । तथापि यदि राज्य सरकार इस योजना को राष्ट्रीय जल-पूर्ति योजना एवं सफाई कार्यक्रम के नगर पक्ष के अन्तर्गत लेना चाहे तो वह उन्हें मिले अधिकारों के अधीन इसे स्वीकृति दे सकती है तथा कार्यान्वित कर सकती है । राज्य सरकार ने धनाभाव के कारण इसे अभी क्रियान्वित करना प्रारम्भ नहीं किया है ।

केरल के कल्लोर में बांध

1170. **श्री मणियंगाडन** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कोट्टेयम जिले में उच्च पर्वतीय क्षेत्र में कल्लोर में एक बांध बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना का जलाशय कितने क्षेत्र में होगा;

(घ) इस बांध के लिये कितने परिवारों को हटाना पड़ेगा; और

(ङ) क्या इस बांध के लिये आवश्यक क्षेत्र का सीमांकन कर दिया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) और (ख). कल्लोर नदी के ऊपर इस समय कोई बांध बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु 10,000 फुट लम्बी सुरंग के द्वारा सह्वर्त्ती रटयार घाटी में पानी को मोड़ने के लिये और वहां से 12,000 फुट लम्बी एक सुरंग के द्वारा इंदिक्की जलाशय में पानी प्रवाहित करने के लिये कल्लोर नदी के ऊपर 30 फुट ऊंचे एक वीयर का निर्माण नये कार्यों सहित, इदिक्की परियोजना के भाग के रूप में प्रस्तावित है।

(ग) कल्लोर व्यपवर्तन स्थल पर कैला पानी लगभग 50 एकड़ होगा।

(घ) कल्लोर में जल प्लावन के परिणामस्वरूप कोई भी परिवार विस्थापित नहीं किया जायेगा।

(ङ) अन्तिम सीमांकन अभी नहीं किया गया है।

Rajasthan Canal Project

1171. Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1262 on the 4th August, 1966 and state:

(a) whether Government have since placed more funds at the disposal of the State Government for the execution of the Rajasthan Canal Project;

(b) if so, the amount thereof; and

(c) if not, the time likely to be taken thereon?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed): (a) to (c). For the current financial year, a provision of Rs. 500 lakhs has been made in the Budget Estimates of this Ministry for the grant of loans to the Government of Rajasthan for financing expenditure on the construction of the Rajasthan Canal Project. During the period from 1st April 1966 to 31st October, 1966, loans to the extent of Rs. 241 lakhs have been released to the State Government.

Death due to Bursting of a Boiler

1172. Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 477 on the 28th July, 1966 and state:

(a) whether the Police have since completed the investigation into the death caused by the explosion of a boiler in the All-India Institute of Medical Sciences;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, when the investigation is likely to be completed?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar): (a) Yes.

(b) An inquest was held under section 174 of the Criminal Procedure Code and the death was held to be accidental.

(c) Does not arise.

केरल में सरकारी मुद्रणालयों के कर्मचारी

1173. **श्री इम्बीचीबावा :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में सरकारी मुद्रणालयों के कर्मचारियों को स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में कोई नियम बनाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो नियम बनाने की मुख्य कसौटी क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि शोरान्नूर तथा एरणाकुलम मुद्राणालयों से कुछ कर्मचारियों को स्थानान्तरित करते समय सम्बन्धित मुद्रणालयों के अधीक्षकों ने इन सिद्धान्तों का पालन नहीं किया; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी केरल सरकार से प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

त्रिवेन्द्रम दन्त चिकित्सा कालेज

1174. **श्री इम्बीचीबावा :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री मुहम्मद कोया :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम दन्त चिकित्सा कालेज के वर्तमान ढांचे में कोई परिवर्तन करने के बारे में कोई प्रस्ताव केरल सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने के कारण क्या हैं;

(ग) इस पर अनुमानतः कितना धन व्यय होगा; और

(घ) दन्त चिकित्सा कालेज को मेडिकल कालेज से अलग करने से क्या क्या प्रशासनिक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (घ). भारतीय दन्त परिषद् ने सुझाव दिया है कि दन्त कालेज त्रिवेन्द्रम को मेडिकल कालेज त्रिवेन्द्रम से स्वतन्त्र रखा जाना चाहिए । यह सुझाव केरल सरकार के विचाराधीन है ।

राज्यों को दिये गये ऋण

1175. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विभिन्न राज्यों को ऋण दिये हैं ताकि वे उस धनराशि को, जो उन्होंने रिजर्व बैंक से अनधिकृत ओवरड्राफ्ट द्वारा बड़ी मात्रा में प्राप्त की है, वापस लौटा सकें;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को कितना-कितना ऋण दिया गया है, और उसकी शर्तें क्या हैं; और

(ग) ओवरड्राफ्ट की कुल राशि कितनी है और इन ऋणों से वह राशि कितनी चुका दी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख). रिज़र्व बैंक से राज्यों द्वारा ली गई अधिक राशि का भुगतान करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्न राज्यों को 94.25 करोड़ रु० की ऋण सहायता दी गई थी :—

(करोड़ रु० में)

मंजूर किये गये ऋण

राज्य	1966 67 में प्राप्त देय अर्थोपाय अग्रिम राशियां	1967–68 से 1970–71 के दौरान प्रत्यादेय ऋण	कुल
आन्ध्र प्रदेश . .	13.33	21.50	34.35
आसाम . . .	2.80	2.00	4.80
बिहार . . .	1.95	—	1.95
मध्य प्रदेश . . .	4.25	8.00	12.25
उड़ीसा . . .	3.15	—	3.15
राजस्थान . . .	5.10	17.00	22.10
मैसूर . .	10.65	5.00	15.65
कुल . .	41.25	53.00	94.25

41.25 करोड़ रु० की अग्रिम राशियों पर 4 प्रतिशत प्रति वर्ष का ब्याज है और केन्द्रीय करों, शुल्कों और अनुदानों में राज्यों का जो भाग दिया जाना है उसके समायोजन द्वारा उसको वसूल किया जायेगा। 53 करोड़ रु० के शेष ऋणों पर 5 प्रतिशत ब्याज है और ये सम्बन्धित राज्यों से अगले चार वर्षों में वसूल किये जायेंगे।

(ग) राज्य सरकारों के साथ किये गये करारों के अनुसार रिज़र्व बैंक उनके बैंकर के रूप में काम करता है और इस प्रकार उनके बीच हुए लेन-देन के ब्यौरे को नहीं बताया जा सकता।

बम्बई में चांदी का पकड़ा जाना

1176. श्री तुला राम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 7 अक्तूबर 1966 को बान्दरा में समुद्र के किनारे एक कार से सीमा शुल्क प्राधिकार (बम्बई) ने 56,000 रुपये के मूल्य की शुद्ध चांदी की छड़ें पकड़ी थीं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) 7 अक्तूबर 1966 को बम्बई पुलिस के अफसरों ने, खार-डांडा रोड, बम्बई के हिन्दू श्मशान के निकट एक कार से 56,000 रुपये मूल्य की चांदी की पांच सिलें पकड़ीं।

(ख) कार भी पकड़ ली गई थी। पुलिस अधिकारियों द्वारा मामला केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, बम्बई के अफसरों को सौंप दिया गया था जो आगे जांच-पड़ताल कर रहे हैं।

बम्बई बन्दरगाह में ग्रीक टैंकर का पकड़ा जाना

1177. **श्री तुलसी राम :**
श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैपीस्ट्रैनो नामक एक ग्रीक टैंकर को हाल में बम्बई शहर में चोरी-छिपे एक लाख 50 हजार रुपये मूल्य की शराब लाने के आरोप में बम्बई बन्दरगाह पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने पकड़ रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) यह सच है कि सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा बम्बई में सितम्बर, 1966 में मनरोवियन टैंकर "कैपीस्ट्रैनो" को पकड़ लिया गया था क्योंकि उसको लगभग 1,07,500 रुपये मूल्य की शराब की 112 पेटियां को और 54,800 रुपये की सिगरेट तथा तम्बाकू को चोरी-छिपे लाने के लिये काम में लाया गया था।

(ख) कप्तान को जो, ग्रीक नागरिक है, गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे जमानत पर छोड़ दिया गया है। 5 लाख रुपये की बैंक गारन्टी देने पर जहाज को जाने दिया गया। जहाज के कप्तान द्वारा प्रस्तुत की गयी 3655 डालर की रकम भी, जिसे उसने घोषित नहीं किया था, पकड़ ली गयी है। आगे जांच पड़ताल की जा रही है।

एरणाकुलम में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन में बिजली की व्यवस्था

1178. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिकारियों ने एरणाकुलम में अपने अधिवेशन स्थल तक बिजली की व्यवस्था कराने के लिये कितनी धनराशि जमा की थी ;

(ख) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिकारियों ने कोई धनराशि जमा नहीं की है ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी ओर से यह राशि किसने जमा की थी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) से (ग). एरणाकुलम में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन के स्थल गैर-सरकारी लाइसेंस धारकों के क्षेत्र में आता है।

इसलिए उस स्थल को बिजली देने हेतू राज्य बिजली बोर्ड ने कोई व्यय नहीं किया। बिजली के कनेक्शन के लिये क्या केरल कांग्रेस समिति द्वारा कोई राशि जमा की गई थी इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

Theft in C.P.W.D. Godown, Kalkaji

1179. Shri Basumatari:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:

Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that on the night of 5th October, 1966, some armed persons attacked a C.P.W.D. Godown at Kalkaji, Delhi and ran away with equipment worth nearly Rs. 6,000;

(b) whether it is also a fact lhat one watchman was seriously injured as a result of firing by those armed persons;

(c) if so; the action taken in the matter; and

(d) the effective steps taken by Government to check re-occurrence of such incidents?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna): (a) Yes.

(b) One watchman received a bullet wound in one hand. The injury was not serious and he was discharged from the hospital after four days.

(c) The matter was reported to the Police who are continuing their investigations.

(d) The police authorities have been requested to make arrangements for night patrolling in this area and they have done so.

इलाहाबाद जाने वाले एक विद्यार्थी के पास से पकड़ा गया सोना

1180. श्री दिगे :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 9 अक्तूबर 1966 को विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन (बम्बई) पर इलाहाबाद जाने वाले एक विद्यार्थी तथा उसके एक साथी के पास से 24,000 रुपये के मूल्य का अवैध सोना सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा पकड़ा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) : 10 अक्तूबर 1966 को सीमा शुल्क अधिकारियों ने विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन, बम्बई पर इलाहाबाद जाने वाले एक विद्यार्थी के पास से विदेशी मार्के का 150 तोले सोना पकड़ा जिसका मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय दर पर 14,763 रुपये था।

(ख) विद्यार्थी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया था। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

तानूर कोट्टायी नहर

1182. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल राज्य में तानूर कोट्टायी नहर में क्षारीय तत्वों की मिलावट को रोकने के लिये एक रेगुलेटर का निर्माण करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) तानूर में पाश मय नियामक तथा तानूर कोट्टायी नहर का 7.36 लाख रुपये का प्राक्कलन राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भाखड़ा बांध

1183. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ विशेषज्ञों ने हाल ही में ये विचार व्यक्त किये हैं कि भाखड़ा बांध की स्थिरता-अवधी केवल 60 वर्ष है और उतनी अधिक नहीं जितनी पहले आशा की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन विचारों से सहमत है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं। गाद भरने की वर्तमान गति यदि जारी रही तो भाखड़ा जलाशय की कुल क्षमता को खत्म होने के लिये 350 से 400 वर्ष तक लग जायेंगे।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का दर्जा

1184. **श्री दिगे :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के दर्जे के बारे में 4 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1285 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के दर्जे के बारे में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमतीचन्द्र शेखर) : (क) तथा (ख). यह विषय विचाराधीन है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्यों के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनायें

1185. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में राज्यों के लिये प्रमुख भाग नियत करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) कार्यक्रमों तथा राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के तारीके में रुपभेद करने के लिये, राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अगस्त, 1966 में नियुक्त की गई समिति के सुझाव/सिफारिश क्या है ।

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता): (क) से (ग) : विषय अभी विचाराधीन है और राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अभी निर्णय नहीं किया गया है।

Smuggling of Opium from Pakistan

1186. Shri Bade:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large quantity of opium is being smuggled into Punjab from Pakistan;

(b) whether it is also a fact that the rate of opium is Rs. 900 per kilo in India while it is Rs. 250 per kilo in Pakistan; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) Available information does not indicate that a large quantity of opium is being smuggled into Punjab from Pakistan.

(b) The price at which opium is sold to State Governments from the Ghazipur factory is Rs. 100 per kilogram. The State Governments add excise duty thereto before issue to vendors for sale to registered addicts on medical grounds. The price in the illicit market may be higher, but the Government have no precise information that such price is Rs. 900 per kilogram in India and that the price in Pakistan is Rs. 250 per kilogram.

(c) All the enforcement agencies continue to be vigilant to ensure that the opium produced in India does not find its way into illicit channels and that no opium is smuggled from abroad into India.

राजघाट में महात्मा गांधी के उपदेशों का अन्तरंकन

1187. श्री दलजीत सिंह : क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 4 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1232 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राजघाट के प्रवेशद्वार पर महात्मा गांधी के उपदेशों को अन्तरांकित (इन्स्क्राइब) करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): मामले पर राजघाट समाधि समिति द्वारा विचार किया गया है जिसने कि वास्तुशिल्पी से अतिरिक्त जानकारी मांगी है ताकि वह इसपर आगे विचार कर सके।

नकली दवाइयों से छुटकारा पाने के लिये आसूचना तथा वैध प्राधिकार

1188. **श्री हरि विष्णु कामत**
श्री जयन्त मेहता : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औषध तथा उपकरण मानक समिति ने नकली दवाइयों से छुटकारा पाने के लिये प्रत्येक राज्य में एक आसूचना तथा वैध प्राधिकार (इन्टैलिजैंस-कम लीगल अथारिटी) स्थापित किये जाने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) (क) जी हां।

(ख) उक्त समिति की रिपोर्ट में निहित सभी सुझावों पर, जिनमें यह सुझाव भी सम्मिलित है। 6 राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों की एक समिति विचार कर रही है। यह समिति स्वास्थ्य परिषद् द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अनुसार नियुक्त की गई थी।

Diploma Course in Health Education in Delhi

1190. Dr. Mahadeva Prasad: Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a diploma course in Health Education is proposed to be started in Delhi; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar): (a) Yes. The course is proposed to be started by the Central Health Education Bureau in affiliation with the University of Delhi.

(b) The details are yet to be worked out.

राष्ट्रीय उपभोक्ता सेवा

1191. **डा० महादेव प्रसाद** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपभोक्ताओं हितो की रक्षा करने के उद्देश्य से 1963 के आरम्भ में राष्ट्रीय उपभोक्ता सेवा आरम्भ की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस सेवा को अपने उद्देश्य में कहां तक सफलता मिली है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता): (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता सेवा के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये इसने अब तक क्या किया है।

विवरण

राष्ट्रीय उपभोक्ता सेवा को, आरम्भ में जिसका नाम "गैर-सरकारी मुल्क आसूचना सेवा रखा गया था, 1963 के आरम्भ में स्वयं सेवी संस्थाओं के दल द्वारा दिल्ली में अन्तिम आधार पर आरम्भ किया गया था। फरवरी, 1964 में एक कर्मचारी दल ने जिसमें योजना आयोग संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों तथा भाग लेने वाली स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल थे उसका नाम बदल कर राष्ट्रीय उपभोक्ता सेवा रख दिया और एक व्यापक योजना तैयार की।

2. सेवा का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता के हित की रक्षा करना है। उसके मुख्य कृत्य इस प्रकार हैं:—

(एक) राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तरों पर उपभोक्ता परिषदों का गठन करना;

(दो) उपभोक्ता सहकारी समितियों का संवर्धन;

(तीन) बाजार संबंधी सूचनाओं, उपभोग के तरीकों, जमा खोरियों, बनावटी कमियों, परिवहन सम्बन्धी अड़चनों, लाइसेंस प्रक्रियों आदि का अध्ययन करना और उपभोक्ता समस्याओं का अनुसन्धान करना ; और

(चार) मिलावट को रोकने, किस्म नियन्त्रण करने और तोल में कदाचारों का उन्मूलन करने में सहायता करना।

3. भोपाल, हैदराबाद, मद्रास, और पाण्डीचेरी में सेवा की राज्य शाखाएं हैं।

4. सेवा द्वारा किये गये एक गहन सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हो गया कि खाने वाली वस्तुओं में मिलावट बढ़ती जा रही है और इससे जनता के स्वास्थ्य को भारी खतरा है। खाने की वस्तुओं में मिलावट के इस गम्भीर स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय उपभोक्ता सेवा ने देश के विभिन्न भागों में खाद्य अपमिश्रण को रोकने सम्बन्धी प्रदर्शनियां आयोजित करने का निर्णय किया है। पहली प्रदर्शनी 2 से 5 अक्तूबर, 1964 तक नई दिल्ली में हुई थी। जनता तथा स्थानीय सरकार पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ा। दूसरी प्रदर्शनी 5 से 10 जनवरी, 1965 तक अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर दुर्गापुर में हुई थी। उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिये प्रदर्शनी में माप और बांटों को भी दिखाया गया था।

5. राष्ट्रीय उपभोक्ता सेवा की सिफारिश पर दिल्ली प्रशासन ने बांट तथा माप विभाग को एक दण्डाधिकारी भी दे दिया था। इस दण्डाधिकारी के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता सेवा के मूल्य समाहर्ता और विभाग के अधिकारी भी थे और इन्होंने बिना सूचना के छापे मारे और अगस्त, 1964 से मार्च, 1965 तक 500 से भी अधिक अपराधियों को दण्ड दिया।

6. उपभोक्ताओं को किस प्रकार धोखा दिया जा रहा है और उपभोक्ता अपने हितों की रक्षा के लिये क्य उपाय कर सकते हैं इस बारे में टेलीविजन पर पांच कार्यक्रम पेश किये गये।

7. राष्ट्रीय उपभोक्ता सेवा ने दिल्ली के मूल्य वृद्धि रोक आन्दोलन को अपना समर्थन दिया। इसे सेवा ने दिल्ली की विभिन्न बस्तियों में उपभोक्ता परिषदों के बनाये जाने को भी प्रोत्साहन दिया है और दूध और सब्जियों जैसी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने में उसको सहायता दी है।

8. 1964 में दिवाली के अवसर पर इसने एक आन्दोलन चालू किया—जिसके द्वारा उपभोक्ता परिषदों ने एक किस्म की मिठाई बनाई, तैयार की और उसे वहां पर प्रचलित मूल्यों से कम पर अपनी अपनी बस्तियों के निवासियों को बेचा ।

9. सेवा द्वारा इन इन मामलों का अध्ययन किया गया था—

(एक) उचित मूल्य वाली दुकानों की प्रणाली और उन्हें किस प्रकार अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है ।

(दो) दिल्ली में थोक तथा खुदरा स्तर पर चीनी का वितरण और उपभोक्ता अपनी चीनी किस प्रकार नियमित रूप से ले सकते हैं ।

(तीन) दिल्ली में सब्जियों के अधिक मूल्य और उनको किस प्रकार घटाया जा सकता है ।

(चार) दिल्ली में साइकिल के टायरों और ट्यूबों में चोर-बाजारी और मूल्यों को किस प्रकार सामान्य स्तर पर लाया जा सकता है ।

(पांच) उपभोक्ता की कठिनाइयां ।

10. आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र द्वारा सात चर्चा कार्यक्रमों को आयोजन किया गया था ।

11. उपभोक्ता संरक्षण और सम्बन्धित विषयों पर 'योजना' 'भारत सेवक', 'इण्डिस्ट्रियल टाइम्स', 'कोआप्रेटर', 'कंज्यूमर' और 'संसार क्लोपेडिया ऑफ सोशल वर्क इन इण्डिया' में लेख आये थे ।

12. कार्यक्रम अभी पूरा नहीं हुआ है और अभी बहुत कुछ करना बाकी है । अभी किसी महत्वपूर्ण सफलता की आशा नहीं की जा सकती है ।

ग्रामोद्योग परियोजना

1192. डा० महादेव प्रसाद: क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के बहुत से भागों में ग्रामोद्योग परियोजना नामक एक योजना चालू है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना किन-किन राज्यों में तथा उन राज्यों के किन-किन जिलों में लागू है ; और

(ग) उक्त योजना द्वारा क्या काम पूरे हुए हैं ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 7297/66**]

उत्तर प्रदेश के संसद् सदस्यों द्वारा प्रधान मंत्री को अभ्यावेदन

1193. **डा० महादेव प्रसाद** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के संसद् सदस्यों ने हाल ही में प्रधान मन्त्री को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उनका ध्यान संसाधनों तथा परियोजनाओं के आवंटन के बारे में उत्तर प्रदेश राज्य के साथ किये गये अन्याय की ओर दिलाया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). उत्तर प्रदेश की चौथी पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करते समय ज्ञापन में दी गई मुख्य मुख्य बातों पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया था ।

सोने का पकड़ा जाना

1194. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग ने इस वर्ष बड़ी मात्रा में छिपा हुआ सोना पकड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष नौ महीनों की प्रत्येक तिमाही में अलग-अलग कितना-कितना सोना पकड़ा गया ; और

(ग) यदि हां, तो देश में जमा किए हुए तथा छिपाये हुए सोने की मात्रा का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

चौथी योजना के अन्तर्गत विद्युत् परियोजनायें

1195. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 9 विद्युत् परियोजनाओं को, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 1,833 मैगावाट होगी, क्रियान्विति करने का निश्चय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ये नई विद्युत् परियोजनाएं कहां-कहां स्थापित की जायेंगी;

(ग) इन परियोजनाओं की क्रियान्विति हो जाने पर चौथी योजना के अन्त तक प्रत्येक राज्य में प्रति व्यक्ति कितनी अधिक बिजली मिलने लगेगी और आसाम की तुलना में वह कितनी अधिक अथवा कम होगी; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में समस्त भारत में प्रति व्यक्ति कितनी बिजली उपलब्ध होने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) और (ख). कई बिजली परियोजनायें चौथी योजना के लिये मुख्यतः स्वीकार की गई थीं । अभी हाल ही में 1833 मैगावाट की कुल क्षमता की 9 अतिरिक्त बिजली परियोजनायें कार्यन्वयन के लिये स्वीकार की गई हैं । ये परियोजनायें

बिहार, आन्ध्र प्रदेश, केरल, पश्चिमी बंगाल, जम्मू और काश्मीर, महाराष्ट्र, हरयाना और दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश संघीय प्रदेशों में स्थित हैं ।

(ग) और (घ). क्योंकि चतुर्थ योजना पर अभी राज्यों के साथ विचार विमर्श हो रहा है इस लिये विविध राज्यों में चौथी योजना के लिये प्रति व्यक्ति आंकड़े देना सम्भव नहीं हैं ।

कलकत्ता के नगरीय विकास के लिए केन्द्रीय सहायता

1196. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में कलकत्ता के नगरीय विकास से सम्बन्धित विभिन्न परियोजनाओं के लिये पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने कितनी केन्द्रीय सहायता की प्रार्थना की है ;

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या केन्द्र राज्य सरकार की इस राय से सहमत है कि कलकत्ता की समस्यायें राष्ट्रीय महत्व की है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता के नगरीय विकास से सम्बन्धित विभिन्न परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार से 62.77 करोड़ रुपये को केन्द्रीय सहायता के लिये प्रार्थना की थी ।

(ख) मामला अभी विचाराधीन है ।

(ग) महानगरीय क्षेत्रों के विकास का राष्ट्रीय, प्रादेशिक तथा राज्यीय महत्व है ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में पासी जाति का सम्मिलित किया जाना ।

1197. **डा० मा० श्री अणे** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को पता है कि बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की सरकारों द्वारा प्रकाशित की गई अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में पासी जाति को शामिल किया गया है और केवल मराठवाड़ा और विदर्भ के जिलों के निवासियों को उस सूची में शामिल नहीं किया गया;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि महाराष्ट्र राज्य के उपरोक्त दो जिलों में रहने वाले पासी जाति के लोगों के साथ जो यह भेद-भाव किया गया है उससे उन लोगों में बड़ा असन्तोष फैला हुआ है ; और

(ग) इस भेद-भाव को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

समाज-कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) हां, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के भागों को छोड़ कर इन प्रदेशों में पासी जाति अनुसूचित जातियों में शामिल है ।

(ख) तथा (ग). इस बारे में कुछ अभिवेदन प्राप्त हुए हैं । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों के पुनरीक्षण का समूचा विषय विचाराधीन है ।

वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त कैमिस्ट

1198. **श्री उ० मू द्विवेदी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के अधीन विभिन्न विभागों में इस समय कितने कैमिस्ट नियुक्त हैं;

(ख) ऐसी सेवा के लिये किन-किन संवर्गों (केडर) की व्यवस्था की गई है; और

(ग) श्रेणी-1, श्रेणी-2, तथा श्रेणी-3 संवर्गों में उनके कितने पद हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) काम कर रहे रसायनज्ञों (कैमिस्ट) की संख्या 168 है ।

(ख) विभिन्न पदक्रम इस प्रकार हैं :

राजस्व विभाग के अधीन :

(i) मुख्य रसायनज्ञ

(ii) उप-मुख्य रसायनज्ञ

(iii) रसायन परीक्षक, ग्रेड I

(iv) रसायन परीक्षक, ग्रेड II

(v) सहायक रसायन परीक्षक

(vi) रसायन सहायक, ग्रेड-I

(vii) रसायन सहायक, ग्रेड-2

अर्थ विभाग के अधीन

(i) मुख्य विश्लेषक

(ii) कार्यभारी-अधिकारी, मुख्य विश्लेषण कार्यालय, कोलार स्वर्ण खान उपक्रम ।

(iii) उपमुख्य निरीक्षक

(iv) मुख्य रसायनज्ञ

(v) उप-निर्माण प्रबन्धक (रासायनिक)

(vi) विश्लेषण अधीक्षक

(vii) सहायक मुख्य रसायनज्ञ

(vii) सहायक विश्लेषण अधीक्षक

(ग) श्रेणी-I, श्रेणी-II, और श्रेणी-III, में स्वीकृत पदों की संख्या निम्नलिखित है :—

राजस्व विभाग के अधीन		अर्थ विभाग के अधीन
(i) श्रेणी—I	20	5
(ii) श्रेणी-2	24	4
(iii) श्रेणी—III	127	4
जोड़	171	13

हीरे के व्यापारियों का विदेश जाना

1199. श्री प० ह० भील :
श्री पूरक सिंह :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के हीरों के कुछ प्रमुख व्यापारी महीने में दो-दो बार विदेश जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या कारण है कि सरकार इतने थोड़े-थोड़े समय के बाद उनको विदेश जाने की अनुमति देती है; और

(ग) क्या इन व्यापारियों द्वारा हीरों के आयात और निर्यात में की जा रही विदेशी मुद्रा की हेर-फेर के सम्बन्ध में कोई समाचार मिले हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख). रिजर्व बैंक इस बात का पता लगा रहा है।

(ग) ऐसे कोई समाचार नहीं मिले हैं।

आयुर्वेदिक चिकित्सकों के वेतन-क्रम

1200. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 जुलाई, 1965 से पहले केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों में आयुर्वेदिक चिकित्सकों के वेतन-क्रम केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के तदनुरूप ऐलोपैथिक औषधालयों में काम करने वाले प्रथम श्रेणी के सहायक सर्जनों के वेतन-क्रमों के समान थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1 जुलाई, 1965 के पश्चात् आयुर्वेदिक चिकित्सकों के वेतन-क्रमों तथा व्यवसाय न करने के भत्ता आदि में उतनी ही वृद्धि नहीं की गई है, जितनी ऐलोपैथिक औषधालयों में काम करने वाले सहायक सर्जनों के वेतन-क्रमों में की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग). केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सदस्यों के वेतन-क्रमों का हाल ही में पुनरीक्षण किया गया था। ये वेतनक्रम अन्य चिकित्सकों को अपने आप नहीं देने दिये जाते हैं। परन्तु आयुर्वेदिक चिकित्सकों के वेतन- क्रम को पुनरीक्षित करने का मामला विचाराधीन है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों में आयुर्वेदिक चिकित्सक

1201. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के ऐलोपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के समान ही आयुर्वेदिक चिकित्सकों के लिये एक पृथक सेवा बनाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों में आयुर्वेदिक चिकित्सकों के लिये पदोन्नति के क्या अवसर उपलब्ध हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत इस समय प्रयोगात्मक आधार पर दो आयुर्वेदिक औषधालय हैं जिनमें 6 आयुर्वेदिक चिकित्सक नियुक्त हैं, यदि उच्चतर पदों के लिये कोई विज्ञापन निकलता है तो नियमों के अनुसार वे प्रार्थना पत्र भेज सकते हैं ।

तीन योजनाओं में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर किया गया व्यय

1202. श्री मान सिंह पृ० पटेल : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान विभिन्न राज्यों में सरकारी क्षेत्र के उप-क्रमों पर कितना धन व्यय किया गया है ; और

(ख) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रों अथवा राज्यों में हुए असंतुलन को किस प्रकार कम किया जायेगा ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) एक विवरण जिसमें पहली, दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान केन्द्रीय तथा राज्य की औद्योगिक परियोजनाओं में विनियोजित राशि का राज्यवार ब्यौरा दिया हुआ है, सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7298/66]**

(ख) औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिये किये गये उपायों में यह भी शामिल है :—

(एक) समूचे रूप से औद्योगिकी तथा अर्थ सम्बन्धी विचारों से लगाये गये प्रतिबन्धों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाओं को स्थापित करना ;

(दो) बिजली, परिवहन, जल जैसी ऊपरी मूल वस्तुओं तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने और कारखानों के लिये स्थानों का विकास करने तथा उन्हें संभावी उप-क्रमियों को बेचने अथवा दीर्घकाल के लिये पट्टे पर देने के लिये औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए प्रदेशों में 'औद्योगिक क्षेत्रों' की स्थापना करना ;

(तीन) गैर-सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनाओं के लिये लाइसेंस देने में औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों को अधिमान देना ;

(चार) राज्य औद्योगिक विकास निगमों के द्वारा उद्योगों का विकास तथा उन्नति करना ।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त उपाय करने का विचार है ।

Mink Coat

1203. Shri Kishen Pattnayak:
Shri Madhu Limaye.

Will the Minister of **Finance** be pleased to state the number of mink coats which have been brought to India during the last ten years as per entries made in the records of various custom posts at airports and the income derived therefrom?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): No separate statistics for importation of mink coats either by air or sea are being recorded and maintained. Therefore no figures or import of mink coats are available.

For the reasons stated above it is not possible to furnish the statistics of income (revenue) derived from the import of mink coats.

मध्यम वर्ग की बचत क्षमता

1204. **श्री कृ० चं० पन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अत्यावश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों के परिणामस्वरूप मध्यम वर्ग के लोगों को धन बचाने की क्षमता समाप्त हो गई है ;

(ख) निम्न मध्यम तथा उच्च आय वाले वर्गों के लोग अपनी आय को किस अनुपात में बचाते हैं ;

(ग) क्या विकसित देशों में आय बचत अनुपात की तुलना में यह अनुपात सन्तोषजनक है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) विभिन्न आय वाले वर्गों द्वारा की जाने वाली आय से बचत के बारे में सांख्यिकी जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है। इस जानकारी के अभाव में प्रश्न के भाग (क) का विशिष्ट रूप से उत्तर देना भी सम्भव नहीं है, यद्यपि यह हो सकता है कि अत्यावश्यक वस्तुओं के दामों में हुई वृद्धि के कारण मध्यम श्रेणी के लोगों की बचत करने की क्षमता कम हो गई हो ।

(ग) यद्यपि विभिन्न आय वाले वर्गों द्वारा की जाने वाली बचत के अनुपात के बारे में यथार्थ तथा संक्षिप्त ब्यौरा उपलब्ध नहीं है तथापि विकसित देशों में बचत की औसत दर की तुलना में भारत में बचत की औसत दर संतोषजनक नहीं है ।

(घ) इसका मुख्य कारण यह है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है ।

मैसूर में हरिजनो के लिए गृह-निर्माण योजना

1205. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वित किये गये हरिजन गृह-निर्माण कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरिजन गृह-निर्माण कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये एक निगम बनाया गया है ;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिये कोई राशि निर्धारित की गई है और यदि हां, तो ऋण के रूप में कितनी तथा राज सहायता के रूप में कितनी; और

(घ) इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : यह सूचना सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी

1206. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क विभाग में अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के कुल कितने कमचारी प्रशासी, अनुसचिवीय और चौथी श्रेण की विभिन्न श्रेणियों में (श्रेणीवार) काम कर रहे हैं ;

(ख) अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिये जितने पद सुरक्षित थे क्या उन सभी को भर लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कोटे को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा यथा सम्भव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

केन्द्रीय राजस्व बोर्ड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति

1207. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा समर्थित भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में तथा द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी में भी समय समय पर, पदोन्नति करने के लिये स्थान रक्षित किये जाते हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा गठित विभागीय पदोन्नति समितियों तथा जांच समिति को सरकार ने उपरोक्त फैसले पर विचार करने का तथा तदनुसार अपनी सिफारिशें देने का परामर्श दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय राजस्व बोर्ड की सेवा की विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये अपेक्षित पदों को भरने के लिये कितने व्यक्तियों की पदोन्नति की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) सर्वोच न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर जारी किये गये सामान्य आदेशों के अनुसार श्रेणी I और श्रेणी–II के पदों पर पदोन्नति के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्थान रक्षित नहीं किये गये हैं । श्रेणी—III और श्रेणी —IV के सम्बन्ध में उन ग्रेडों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये क्रमशः 12 प्रतिशत और 5 प्रतिशत स्थान रक्षित रखना नियत किया गया है जिनमें सीधे भर्ती नहीं की जाती । चुनाव के आधार पर तथा विभागीय उम्मीदवारों तक सीमित प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर की जाने वाली पदोन्नतियों के सम्बन्ध में ये आरक्षितियां लागू होती हैं ।

(ग) आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही हैं और यथा सम्भव शीघ्र उसे सदन की मेज पर रख दिया जायेगा ।

राजोरी गार्डन एक्सटेंशन में श्मशान भूमि

1208. श्री मं० रं० कृष्ण : श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी ।
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राजोरी गार्डन एक्सटेंशन से "श्मशान भूमि" हटाने के बारे में अब निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार के आदेशों को कब तक कार्य रूप दिये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में--

RE. MOTIONS FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATTENTION NOTICES

श्री गुलजारी लाल नन्दा का त्याग पत्र

अध्यक्ष महोदय : मुझे तीन स्थगन प्रस्तावों और छः ध्यान दिलाने वाली सूचनायें गृह-कार्य मंत्री के त्याग पत्र के बारे में प्राप्त हुई हैं । क्या प्रधान मंत्री अपना वक्तव्य दे रही हैं ।

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : जी हां, एक बजे के लगभग उनका वक्तव्य होगा ।

अध्यक्ष महोदय : तो मैं इन्हें रोकता हूं ।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : प्रधान मंत्री आ रही हैं, वह अपना वक्तव्य इसी समय दे सकती हैं ।

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मुझे श्री नन्दा का पत्र तथा उनके प्रेस वक्तव्य की प्रति कल शाम को काफी देर से प्राप्त हुई थी । आज यह दोनों अखबारों में भी छप गई हैं । मैं इस पर कोई विशेष टिप्पणी करने का इरादा नहीं रखती । ऐसा करने से जन हित में कोई विशेष लाभ होने की आशा नहीं । बड़े गम्भीर विचार के बाद और बड़े दुःख के साथ मैं उनके त्यागपत्र को स्वीकार करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर रही हूं । मुझे उनके अलग होने का बड़ा दुःख है । मुझे आशा है कि हमें, सरकार को और देश को उनका सहयोग और उनकी सम्मति प्राप्त होती रहेगी ।

अध्यक्ष महोदय: मैं इस बारे में केवल ध्यान दिलाने वाली सूचना की ही अनुमति दे सकता हूं ।

श्री रंगा (चित्तूर) : मैं यह बताना चाहता हूं कि क्यों मेरा स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिए । मेरा उद्देश्य बिल्कुल दूसरा है । मेरा निवेदन यह है कि स्वयं गृह-कार्य मंत्री ने अपने त्याग पत्र में इस बात को स्वीकार किया है कि उन्हें प्रधान मंत्री से व्यक्तिगत समर्थन

प्राप्त नहीं हो रहा था । उनसे उन्हें अपेक्षित राजनीतिक समर्थन भी नहीं मिल रहा था । उन्हें अपने सचिव से भी समर्थन नहीं मिल रहा था । उन्होंने इस ओर कई बार प्रधान मंत्री का ध्यान भी दिलाया पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ । दिल्ली प्रशासन को मंत्रालय ने यह आदेश दिये थे कि संसद् भवन से दो मील की दूरी तक कोई प्रदर्शन न हो । गृह-कार्य मंत्री ने इस बारे में हो रही कार्यवाही की पुष्टि करनी चाही परन्तु सचिव ने उन्हें जानकारी देने में पूरा एक महीना लगा दिया ।

हमारे मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी संयक्त है और जो कुछ गृह-कार्य मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि गृह-कार्य मंत्री के प्राधिकार को बनाये रखने में प्रधान मंत्री को भारी असफलता हुई है । और इसी के कारण अभी हाल की दुर्भाग्यपूर्ण तथा दु:खद घटनायें हुईं । अत: हमें उन पर चर्चा करने का पूरा अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जलौर) : यह लोक महत्व का मामला है आप चाहें तो इस पर चर्चा की अनुमति दे सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं हो सकता ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): This should be understood that Constitution has very clearly laid down the principle of joint responsibility. Council of Ministers are collectively responsible to the Lok Sabha. It is very clear from the letter of Shri Nanda that I did not get the required co-operation from the Prime Minister. Even she failed to give necessary support in regard to the working of the bureaucracy. This was very unhelpful for him. The Prime Minister has brought about an end to the principle of joint responsibility. It is not the Home Minister alone who is responsible for these incidents. The responsibility is also of the Prime Minister regarding the incidents of Delhi. She did help the Home Minister to remove the non-cooperative secretary

Even Home Minister went to the extent of explaining that he had asked his secretary to let him have the papers regarding the instructions about processions not being permitted within a two mile radius immediately after the informal meeting of the Cabinet had discussed the subject.

Shri Madhu Limaye: * * *

Shri D. N. Tiwari: * * * *

श्री रघुनाथ सिंह : * * *

अध्यक्ष महोदय : इनको कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : काफी शोर किया जा रहा है । और मुझे बोलने ही नहीं दिया जा रहा अत: मैं सभा को आध घंटे के लिए स्थगित करता हूं ।

इसके पश्चात् लोक-सभा एक बज कर 2 मिनट तक के लिए स्थगित हुई ।

* * * कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया गया ।

लोक-सभा 1 बज कर 2 मिनट पर पुनः समवेत हुई :

The Lok Sabha re-assembled at two minutes past thirteen of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]

(Mr. Speaker in the Chair)

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा) : मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का ध्यान नियम 199 की ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं। वह इस प्रकार की स्थिति के अनकल है। नियम के उप-नियम (4) में यह स्पष्ट है कि इस प्रकार के वक्तव्यों पर कोई विवाद नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी मंत्री संविधान के अन्तर्गत तब तक चलता है जब तक कि राष्ट्रपति की इच्छा हो। राष्ट्रपति की इच्छा प्रधान मंत्री के परामर्श पर होती है। प्रधान मंत्री जिसे चाहे उसे उसके पद से हटा सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह नियम यहां पर लागू नहीं होता क्योंकि यह वक्तव्य सदन में नहीं दिया गया। वैसे भी वक्तव्य में दो ही बातें हैं। एक यह कि उन्हें प्रधान मंत्री से सहयोग नहीं मिल रहा था, और दूसरा यह कि वह अपने सचिव को हटाना चाहते थे। यदि प्रधान मंत्री इन पर कुछ प्रकाश डालना चाहें तो डाल सकती हैं ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मुझे इस बात का बहुत ही खेद है कि श्री नन्दा जी का यह विचार है कि मैं उन्हें पूरा सहयोग नहीं दे रही थी। मैं सभा को इस बात का आश्वासन दे सकती हूं कि मैंने उन्हें हर प्रकार का सहयोग देने का प्रयास किया है। यह हो सकता है कि मैं उनकी कुछ बातों से सहमत न हूं। क्योंकि मुझे हर बात को तनिक अधिक व्यापक दष्टि से देखना होता था। शायद यह समझ लिया गया है कि मैंने 7 नवम्बर की घटनाओं के कारण उनका त्याग पत्र स्वीकार किया है। यह बात बिल्कुल निराधार है। मेरा यह इरादा बिलकुल नहीं है कि मैं उन्हें 7 नवम्बर की घटनाओं के लिए उत्तरदायी मानूं।

मेरा निवेदन यह है कि यह एक ऐसा उत्तरदायित्व है जो हम सब का सामान्य है। विपक्षी दल के लोग और वे लोग इसके लिए उत्तरदायी हैं जो इस प्रकार की घटनाओं के लिए वातावरण तैयार करते रहते हैं। सचिव की नियुक्ति का मामला भी मेरे हाथ की बात नहीं । यह विभागीय मामला है। मंत्रिमंडल की एक विशेष समिति इस बारे में निर्णय करती है । इसके बारे में मैंने गृह मंत्री जी को सारे कारण भी बता दिये हैं ।

Shri Parkash Vir Shastri (Bijnor): This is true that the Prime Minister has every right to ask any of his colleague to resign, but if there is any issue which is concerned with the country at large, then there is worry. May I ask that there are other Ministers also in the Cabinet other than Shri Nanda, who have di:erence of opinion with the Prime Minister?

Mr. Speaker: I cannot ask her this question, but if she herself wants to tell anything I have no objection.

Dr. Ram Manohar Lohia: Sir, it is a very important question. Shri Nanda has raised many vital questions in his letter. I want to know about the elements that were obstructing him in the performance of his duty. Is

[Dr. Ram Manohar Lohia]

it a fact that Shri Nanda was to take action against Shri Atulya Ghosh and Mr. Birla and his Hindustan Motors and it is due to this that he has been removed from the Ministry?

Shrimati Indira Gandhi: It is not a fact.

Shri Kishen Pattanayak: I want to know whether the Prime Minister knows that the incidents of 7th November were arranged by those people who are against Shri Nanda and wanted to malign him? Secondly, does she think t a fact that Shri Atulya Ghosh and Shri Patil were against any action being taken against Sunil Das and Mohit Choudhury by Shri Nanda?

Shrimati Indira Gandhi: There is no truth in this.

Shri Bagri (Hissar): Some doubts have raised in public by the resignation of Shri Nanda. Is it a fact that his resignation was accepted because of slaughter of 7th November? I want to know whether action will be taken against those who are alleged to be guilty in the matter of spying.

Shrimati Indira Gandhi: The action will be continued. The police has to take action where it is necessary. Those who indulged in arson are responsible for all incidents.

श्री रंगा (चित्तूर) : प्रधान मंत्री ने कहा है कि एक उपसमिति है। इस उपसमिति के कौन कौन सदस्य हैं ? इसकी कब स्थापना हुई थी ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं कह नहीं सकती कि यह कब स्थापित की गई थी । यह मेरे प्रधान मंत्री पद पर आने से पहले से है । प्रधान मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा सम्बन्धित मंत्री इसके सदस्य हैं।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब एक मंत्री त्यागप देते हैं तो उन्हें यहां पर एक वक्तव्य देना होता है। अब उन्होंने समाचार पत्रों को एक वक्तव्य दिया है। क्या इससे विशेषाधिकार भंग नहीं हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह मंत्री महोदय पर निर्भर करता है कि वह वक्तव्य दें या न दें।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

औद्योगिक वित्त निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): मैं औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत 30 जून, 1966 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के औद्योगिक वित्त निगम के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा निगम की आस्तियां तथा दायित्व और लाभ-हानि लेखा दिखाने वाला विवरण सभा पटल पर रखत हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 7275/66]**

लोक ऋण (वार्षिकी जमा पत्र) नियम

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं निम्न पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) लोक ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 28 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत लोक ऋण (वार्षिकी जमा पत्र) नियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 8 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1563 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 7276/66]**

(2) आपात जोखिम (कारखाने) बीमा अधिनियम, 1962 की धारा 20 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2721 की एक प्रति जो दिनांक 17 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 1963 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2072 में एक संशोधन किया गया था। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 7277/66]**

(3) आपात जोखिम (माल) बीमा अधिनियम, 1962 की धारा 5 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत आपात जोखिम (माल) बीमा (तीसरा संशोधन) योजना, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 22 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2840 में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 7278/66]**

(4) आपात जोखिम (कारखाने) अधिनियम, 1962 की धारा 3 की उपधारा (7) के अन्तर्गत आपात जोखिम (कारखाने) बीमा (तीसरा संशोधन) योजना, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 22 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2841 में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 7279/66]**

(5) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) एस० ओ० 3262 जो दिनांक 26 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) जी० एस० आर० 1656 जो दिनांक 29 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) जी० एस० आर० 1657 जो दिनांक 29 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(चार) जी० एस० आर० 1658 जो दिनांक 29 अक्तूबर 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) जी० एस० आर० 1659 जो दिनांक 29 अक्तूबर 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[श्री ब० रा० भगत]

(छः) जी० एस० आर० 1660 जो दिनांक 29 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(सात) जी० एस० आर० 1691 जो दिनांक 5 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(आठ) जी० एस० आर० 1692 जो दिनांक 5 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 7280/66]**

(6) सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 95वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 29 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1661 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 96वां संशोधन नियम 1966 जो दिनांक 29 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1662 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 97वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 29 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1663 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 98वां संशोधन नियम 1966 जो दिनांक 29 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1664 में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 7281/66]**

(7) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल सामान्य विक्रय-कर अधिनियम, 1963 की धारा 57 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 390/66 की एक प्रति जो दिनांक 11 अक्तूबर, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल सामान्य विक्रय-कर नियम, 1963 में एक संशोधन किया गया था । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 7282/66]।**

केरल नगर निगम (पारषदों की अनर्हता का अपवाद) नियम

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : मैं राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965

को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल नगर निगम अधिनियम 1961 की धारा 367 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत केरल नगर नगम (परिषदों की अनर्हता के अपवाद) नियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 4 अक्तूबर, 1966 के केरल राजपत्र में अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 377/66 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7283/66)**

निवृत नौसेना अधिकारी (सेवा के लिए बुलाने का दायित्व) विनियम

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) मैं नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत निवृत्त सूची के नौसेना अधिकारी (सेवा के लिए वापस बुलाने का दायित्व) विनियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 8 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 229 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7284/66]**

जीवन बीमा निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अन्तर्गत 31 मार्च, 1966 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के जीवन बीमा निगम के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7285/66]**

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री कुरेशी) : मैं निम्न पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) कपड़ा बनाने की मशीनें (उत्पादन तथा वितरण) नियंत्रण (संशोधन) आदेश 1966 जो दिनांक 3 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2637 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) कपड़ा (बुनाई कसीदाकारी लेस बनाने तथा छपाई की मशीनों द्वारा उत्पादन) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1966 जो दिनांक 3 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2638 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) सूती कपड़ा (निर्यात नियंत्रण) (संशोधन) आदेश 1966 जो दिनांक 3 सितम्बर 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2640 में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्पकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7286/66]**

(2) इलायची अधिनियम 1965 की धारा 33 की उपधारा (3) के अन्तर्गत इलायची (संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 1 अक्तूबर,

[श्री कुरेशी]

1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1510 में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 7287/66।]**

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1966–67

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (GENERAL), 1966-67

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : मैं वर्ष 1966–67 के बजट (सामान्य) सम्बन्धी अनुपूरक अनुदानों की मांगें दिखाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संचार तथा संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : सोमवार, 14 नवम्बर, 1966 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्न कार्य लिया जायेगा :—

(1) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विधेयक, 1965 राज्य-सभा द्वारा पास किये गये रूप में ।
(विचार तथा पास करना)

(2) 1966–67 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों (रेलवे) पर चर्चा तथा मतदान ।

(3) 1963–64 की अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेलवे) पर चर्चा तथा मतदान ।

(4) 1966–67 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों (केरल) पर चर्चा तथा मतदान ।

(5) 1962–63 और 1963–64 की अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (केरल) पर चर्चा तथा मतदान ।

(6) 1966–67 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान ।

(7) 1963–64 की अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान ।

(8) निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक, 1966 ।
(विचार तथा पास करना)

(9) उपज उपकर (संशोधन) विधेयक, 1966 ।
(विचार तथा पास करना)

(10) पुलिस बल (अधिकारों को सीमित करना) विधेयक, 1966 राज्य-सभा द्वारा पास किये गये रूप में ।
(विचार तथा पास करना)

(11) गुरुवार, 17 नवम्बर, 1966 को 4 बजे म० प० पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पहले प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव पर आगे विचार ।

श्री रंगा (चित्तूर) : आजकल आन्ध्र में इस्पात का कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में आंध्र प्रदेश में एक बड़ा आन्दोलन चल रहा है । इस बारे में एक अनियत दिन का प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है । इस पर यथाशीघ्र चर्चा होनी चाहिये ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद): राज्य सभा की मांगों के पुनरीक्षण का प्रश्न मैंने पहले भी उठाया है। आज फिर उठाता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपकी मंत्रणा पर अमल किया जा रहा है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय: इस बारे में कार्यवाही चल रही है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): विद्यार्थियों में फैली अशान्ति के बारे में चर्चा के लिये समय दिया जाना चाहिये। खाद्य स्थिति पर भी चर्चा होनी चाहिये ।

श्री वारियर (त्रिचूर): मेरी मांग है कि पेटेन्ट विधेयक को लिया जाये।

Shri Kishen Pattanayak (Sambalpore): Sir, I have to remind you and the hon Minister that a discussion on area of India was promised by the hon. Minister. I want that this subject should be taken up.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): I request that report on the working of rayon factories should be discussed.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor): Sir, the Private Members' Bills and Resolutions Committee has admitted a resolution on cow-protection. It should be given priority. The situation is becoming very tense due to an agitation going on in the country for a ban on cow-slaughter.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : सर्तकता आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा पूरी होनी चाहिये। इसी प्रकार जीवन बीमा निगम के प्रतिवेदन पर भी चर्चा पूरी होनी चाहिये । प्रशासनिक सुधार आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट पर भी चर्चा होनी चाहिये।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : मेरा सुझाव है अर्न्तराष्ट्रीय स्थिति पर विचार के लिये समय दिया जाये। इस विषय पर पिछले सत्र में भी चर्चा होनी थी और विश्व में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके बारे में सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलना चाहिये।

श्री सत्यनारायण सिंह : मैं अर्न्तराष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा के पक्ष में हूं परन्तु संबंधित मंत्री महोदय 18 तारीख से 24 तारीख तक भारत से बाहर जा रहे हैं। हां सत्र के अन्तिम दिनों में इसे लिया जा सकता है। हम प्रत्येक सप्ताह एक अनियत दिन वाला प्रस्ताव लेंगे। उनमें विद्यार्थियों की अशान्ति, तथा खाद्य स्थिति आदि आते हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट राज्यों को भेज दी गई है। उनकी प्रतिक्रिया जानने के बाद इसे लिया जायेगा। विशाखापटनम के इस्पात कारखाने के बारे में चर्चा के बारे में हम समय निकालने का प्रयत्न करेंगे (अर्न्तबाधाएं) ?

तारांकित प्रश्न संख्या 249 के उत्तर में शुद्धि —

CORRECTION OF ANSWER TO STARRED QUESTION NO. 249

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० र० भगत) : लोक सभा में 4 अगस्त, 1966 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 249 के उत्तर के भाग (क) में मैं निम्नलिखित भूल-सुधार करना चाहता हूं:—

2. यह बताया गया था कि 17 मई, 1966 से, चमनलाल एण्ड ब्रादर्स तथा उसकी सहयोगी कम्पनियों द्वारा वापस लाई जाने वाली 40 लाख रुपये की कुल रकम में से, 30,000 पौण्ड की एक

[श्री ब० र० भगत]

और रकम प्राप्त हो चुकी थी। यह पाया गया है कि भारत के रिजर्व बैंक द्वारा बताये गये आंकड़ों में गलती रह गई थी और 17 मई, 1966 से वापस लाई गई कुल रकम 18,000 पौण्ड है, 30,000 पौण्ड नहीं है जैसा कि उत्तर में बताया गया था।

बोकारो इस्पात परियोजना के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. BOKARO STEEL PROJECT

लोहा और इस्पात मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): सोवियत रूपाकंन और परामर्श संगठन द्वारा तैयार किये गये बोकारो इस्पात कारखाने के विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन को स्वीकार करते समय भारत सरकार ने यह फैसला किया था कि सोवियत एजेंसियों से कहा जाय कि वे प्रायोजना की लागत में कमी करने के उद्देश्य से दिये गये ऐसे ठोस तकनीकी सुझावों पर विचार करें जो स्वीकृति-ज्ञापन पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर होने की तारीख से तीन महीने के अन्दर अन्दर भारत द्वारा दिये जायें। अतः स्वीकृति-ज्ञापन में इस बात की व्यवस्था की गई थी जिस पर बोकारो स्टील लिमिटेड ने 29-3-1966 को हस्ताक्षर किये थे।

मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी, जो लोहा और इस्पात मंत्रालय के सामान्य सलाहकार हैं से कहा गया कि सोवियत एजेसियों को देने के लिये वे तकनीकी सुझाव तैयार करें। सरकार के कहने पर बोकारो स्टील द्वारा कुछ सुझाव सीधे भी भेजे गये। इस उद्देश्य से कि समझौता निर्धारित अवधि अर्थात् जून, 1966 के अन्त तक हो जाय, एक शिष्टमण्डल जिसके नेता तत्कालीन लोहा और इस्पात सचिव थे और जिसमें मैसर्स एम० एन० दस्तूर एण्ड कम्पनी तथा बोकारो स्टील लिमिटेड के प्रतिनिधि शामिल थे, मास्को गया था जहां उन्होंने सोवियत एजेंसियों के साथ विस्तार से विचार विमर्श किया और अपने प्रस्तावों को पूरी तरह उन्हें समझाया।

सोवियत एजेंसियों ने अपने अन्तिम उत्तर में कुछ प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है जिसके परिणामस्वरूप संयंत्र और उपकरणों की लागत में 95 मिलियन रुपये की शुद्ध बचत हुई है। इसके अलावा इंजीनियरी, सर्विस सुविधाओं, सीमा-शुल्क आदि आनुषंगिक बचत होगी। अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों में से कुछ को अस्वीकार करने के लिए उन्होंने ठोस तकनीकी—आर्थिक तर्क दिये हैं। इसके अलावा उन्होंने यह कहा है कि दूसरे प्रस्ताव स्वीकार करने का अर्थ यह होगा कि न केवल संयंत्र विशेष का पुनः रूपांकन करना पड़ेगा अपितु सारे अभिन्यास तथा सुविधाओं का पुनः रूपांकन करना पड़ेगा। उनका अनुमान था कि इससे कारखाने के प्रथम चरण के निर्माण में लगभग एक वर्ष की दर हो जाएगा बोकारों स्टील लि० को ऐसे परिवर्तनों के लिए जिन्हें स्वीकृति- ज्ञापन के अन्तर्गत सोवियत एजेंसियों ने स्वीकार नहीं किया है पुनः रूपांकन करने का खर्च देना होगा जो काफी पड़ेगा।

रूस ने अपने उत्तर में हमें यह आश्वासन दिया है कि प्रायोजना का विस्तृत इंजीनियरी कार्य करते समय वे कारखाने की पूंजीगत लागत में और अधिक कमी करने की संभाव्यता पर भी ध्यान देंगे।

इन बातों को ध्यान में रखते हुये सरकार ने रूसी रूपांकनकारों औरप रामर्शदाताओं की अन्तिम सिफारिशों को स्वीकार करने का फैसला किया है।

निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक

PREVENTIVE DETENTION (CONTINUANCE) BILL

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): मैं प्रस्ताव करता हूं कि निवारक निरोध अधियिम, 1950 को अग्रेतर अवधि के लिए जारी रखने सम्बन्धी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

Shri Yashpal Singh (Kairana): At the time of passing of this Act in 1950, our Parliament was not elected on the basis of adult franchise. Now that we are having a complete democratic set-up and there is no emergency, it is not proper to continue such a law. At Tashkent, we agreed not to take any action against Pakistan and we do not demand our territory back from China. I, therefore, submit that such a law should be scrapped forthwith.

श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड) : निवारक विरोध अधिनियम पिछले 16 वर्षों से लागू है। प्रत्येक बार जब इसकी अवधि बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है तो यह कहा जाता है कि इसे एक वर्ष या तीन वर्षों के लिए बढ़ाया जा रहा है। इसी प्रकार यह चलता आ रहा है। इस विधि के कारण अनेक साम्यवादियों को तथा दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। किसी व्यक्ति की अवांछनीय कार्यवाही को रोकने के दूसरे तरीके भी हैं। यह विधि अनावश्यक है। मैं इसका विरोध करता हूं

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। भारतीय दंड संहिता तथा दंड प्रक्रिया संहिता में बहुत सी ऐसी धारायें हैं जिनका प्रयोग अवांछनीय व्यक्तियों के विरुद्ध किया जा सकता है और किया जा रहा है। निवारक निरोध अधिनियम का प्रयोग राजनैतिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध किया जा रहा है और सभा के उसे पुरःस्थापित किये जाने के समय ही रद्द कर देना चाहिये।

श्री रंगा (चित्तूर) : हम भी इसका विरोध करते हैं। इस अधिनियम की अवधि को चुनावों से पहले बढ़ाने का कोई कारण नहीं है क्योंकि इसका प्रयोग राजनैतिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इसलिए इसे चुनाव समाप्त होने के बाद तक के लिए स्थगित किया जाये।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मैं इस विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने का केवल इस कारण विरोध नहीं करता कि मैं इसका शिकार हुआ हूं बल्कि देश के हज़ारों लोग इसका शिकार हुए हैं। इसे जारी रखने का कोई औचित्य नहीं और जितनी जल्दी इसे समाप्त कर दिया जाये, देश के लिए उतना ही अच्छा होगा।

Shri Kishen Pattanayak (Sambalpur): A judicial enquiry should be held into the arrests made under the Preventive Detention Act and the Bill should be considered only after the enquiry is over. The enquiry will show that all the arrests were made arbitrarily.

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुज़ा) : हम इस अधिनियम को सदा ही काला अधिनियम मानते आये हैं और इसकी अवधि में विस्तार किये जाने के विरुद्ध हैं। शासक दल में विरोधी दलों के विरुद्ध राय बन रही है और उस विधि का प्रयोग मनमाने ढंग से उन्हें दबाने के लिए किया जायेगा । इसलिये, हम यह विधेयक पुरःस्थापित किये जाने का विरोध करते हैं ।

Shri V. M. Trivedi (Mandsaur): The life of this Act has been extended from time to time ever since it was first passed into law in 1950. It was repeatedly being said that it will be continued only till it is necessary. This is being done to control the fundamental rights of the people. The

[Shri V. M. Trivedi]

Government have been doing so for the past sixteen years and they should now allow the people to exercise their rights after a period of sixteen years.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद): यह बहुत विचित्र बात है कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 22 से निकला है जो कि मूल अधिकारों के अध्याय में सम्मिलित है। यह स्वयं उस अनुच्छेद पर एक कलंक है। प्रत्येक बार यह कहा गया है कि यह अस्थायी है परन्तु हर बार इसकी अवधि में विस्तार किया जा रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार विधि और व्यवस्था की स्थिति में कोई सुधार नहीं ला सकी है। स्थिति और खराब हो रही है और यह उन सभी उपायों के बावजूद हो रहा है। मैं इस विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने का विरोध करता हूं ।

श्री सेझियान (पेरम्बलूर) : मैं अपने दल की ओर से इस विधेयक को पुरः स्थापित करने का विरोध करता हूं। पिछले 16 वर्षों से सरकार इसे अस्थायी रूप से बढ़ाने की मांग करती आ रही है। यह केवल एक काला कानून ही नहीं है बल्कि लोकतन्त्र का उपहास भी है। ऐसी विधि पेश नहीं की जानी चाहिये और इसमें विस्तार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये ।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर): सरकार को मालूम नहीं है कि आपात का आरम्भ कब हुआ और वह कब समाप्त होगा। जब तक सरकार हमें विश्वासप्रद प्रमाण नहीं देती कि देश में आपात की स्थिति थी जब सर्वप्रथम यह विधेयक प्रस्तुत किया गया था, तब तक ऐसा विधेयक लाना बेकार है। इन कारणों से मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने का विरोध करता हूं ।

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : लोक-सभा ने यह विधेयक कई बार पारित किया है और यह विधेयक इस संसद् के समक्ष भी लाया जा चुका है। यह विधि पिछले 16 वर्षों से चली आ रही है और इसके अन्तर्गत प्रत्येक मामले की सलाहकार समिति द्वारा, जिसके अध्यक्ष उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश होते हैं, जांच की जा सकती है। फिर भी सरकार ने जो कुछ किया है, सलाहकार समितियों ने उसका अनुमोदन किया है । पिछले 16 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ है जबकि इस विधि का प्रयोग राजनैतिक विरोधियों या राजनैतिक दलों के विरुद्ध किया गया हो।

उस विधि के लागू रहने के दौरान तीन सामान्य चुनाव हुए हैं और वे चुनाव अबाध, निष्पक्ष तथा न्यायोचित रहे हैं । उसमें कोई सन्देह नहीं है कि आगामी निर्वाचन भी अबाध तथा निष्पक्ष होंगे। इस विधि का प्रयोग किसी राजनैतिक दल अथवा राजनैतिक विरोधियों के विरुद्ध अनुचित ढंग से नहीं किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि निवारक विरोध अधिनियम, 1950 को अग्रेतर अवधि के लिए जारी रखने सम्बंधी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 165 विपक्ष में 18 ;

Ayes 165; Noes 18.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

हिन्दुस्तान टाइम्स द्वारा (विशेषाधिकार भंग करने) के बारे में

RE. BREACH OF PRIVILEGE BY "HINDUSTAN TIMES"

श्री के० दे० मालवीय (बस्ती) : मैंने कल 'हिन्दुस्तान टाइम्स' उसके सम्पादक तथा प्रकाशक के विरुद्ध विशेषाधिकार के उल्लंघन का प्रश्न उठाने के लिए कल सूचना दी थी ।

उन्होंने सभा तथा उसके अध्यक्ष का अवमान किया है और अपने 9 नवम्बर के संस्करण में मुखपृष्ठ पर कालम 4 में उनके विरुद्ध अपमानजनक बातें, प्रकाशित करके विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है । उन बातों को वाद-विवाद से निकाल देने के लिए अध्यक्ष ने आदेश दिया था ।

मैं यह मामला उठाने के लिए नियम 222 के अन्तर्गत आपकी अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : जब सभा में कही गई कुछ बातों को वाद-विवाद में से निकाल देने का आदेश दया जा चुका था तो समाचार पत्रों को यह नोट कर लेना चाहिए था और प्रकाशित नहीं करना चाहिए था । उसे प्रकाशित करना निश्चय ही विशेषाधिकार का उल्लंघन है ।

मुझे सभा को यह सूचित करना है कि आज प्रातः काल 9.30 बजे के लगभग 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के सम्पादक, श्री भाटिया, स्वयं मुझे मिले और खेद प्रकट किया । उन्हें बता दिया गया कि केवल यही पर्याप्त नहीं है । वह सभा को लिखकर भेजें ताकि सभा में पढ़कर सुनाया जाये । उन्होंने ऐसा करने का वचन दिया है । उन्होंने कहा था कि उन्होंने इस सम्बन्ध में कार्यभारी व्यक्ति से पूछा था । उसने यह स्पष्टीकरण दिया कि गड़बड़ी बहुत होने के कारण वह ठीक से समझ नहीं सका कि क्या हो रहा है ।

श्री के० दे० मालवीय : सार्वजनिक विषयों पर मेरे कुछ विचारों के कारण यह समाचार पत्र बुरी तरह से मेरे विरुद्ध है। उन्होंने ऐसा पहली बार नहीं किया है । मेरे सम्बन्ध में दोष लगाने के वे आदी हो गये हैं । इस बात पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि क्या मेरे विरुद्ध की गई टिप्पणी को, जिसे कार्यवाही से निकालने के लिए अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिये हों, पृथक पृष्ठ पर प्रकाशित करना विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : क्षमायाचना आ जाने पर इस पर विचार किया जायेगा ।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक तथा संविधान (इक्कीसवां संशोधन) विधेयक

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL AND CONSTITUTION (TWENTY-FIRST AMENDMENT) BILL

अध्यक्ष महोदय : श्री गोपाल स्वरूप पाठक द्वारा 8 नवम्बर को प्रस्तुत निम्नलिखित विधेयक पर अग्रेतर विचार दिया जायेगा, अर्थात् :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

तथा

"लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मेरा निवेदन है कि इस पर मतदान मंगलवार तक के लिए स्थगित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : इस पर मतदान मंगलवार को होगा और सोमवार को दूसरा कार्य लिया जायेगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा (अनन्द) : किसी राजनैतिक दल को वित्तीय सहायता देने के किसी भी प्रयत्न से लोकतन्त्र के दूषित होने की सम्भावना है। धन का समाज में उचित स्थान है परन्तु चुनावों में मतदाताओं को फुसलाने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये।

श्री नि० चं० चटर्जी ने ठीक कहा है कि लोगों का उच्च न्यायालयों में विश्वास है परन्तु उन पर बहुत अधिक काम है और विभिन्न उच्च न्यायालयों में काम जमा है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने के प्रश्न पर भी विचार किया जाना चाहिये।

श्री दाजी तथा अन्य सदस्यों ने कहा है कि चुनावों पर लागत बढ़ रही है। मैं उनके साथ सहमत हूं। मैं सभा से संयुक्त समिति का प्रतिवेदन स्वीकार करने और विधेयक पारित करने तथा संविधान (संशोधन) विधेयक पारित करने की सिफारिश करता हूं।

श्री कृ० चं० शर्मा (सरधना) : कल तक मानन य सदस्य ने चुनाव के लिए एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व की पद्धति स्वीकार करने का सुझाव दिया था। वह सिद्धान्त रूप से उचित हो सकता है परन्तु वह एक व्यवहारिक प्रस्ताव नहीं है। संविधान सभा में इस पर विवाद किया गया था परन्तु अव्यवहारिक होने के कारण इसे अस्वीकार किया गया था।

आधुनिक समय में दो अपराध बहुत खतरनाक हैं। उनमें से एक है करापवंचन और दूसरा है मत खरीदना अथवा अन्य किसी माध्यम से निष्पक्ष तथा उचित चुनावों में हस्तक्षेप करना। इसे गम्भीर अपराध माना जाना चाहिये और अपराधी को सात वर्ष का सख्त कारावास का दंड मिलना चाहिये। उसे किसी रूप में भी विधान सभा का उम्मीदवार नहीं बनने देना चाहिये।

लोकतंत्रीय संस्थाओं का चरित्रबल गिर रहा है, उसे रोकने के लिए यह शर्त रखी जाये कि विधान सभा का निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय का स्नातक अवश्य होना चाहिये। विधायक को श्रेष्ठ व्यक्ति माना गया है जो अपने हित का नहीं अपितु साधारण व्यक्ति के हित का ध्यान रखता है। अतः यह आवश्यक है कि वह अच्छी तरह शिक्षित होना चाहिये।

श्री मलाईछामी (पेरियाकुलम) : विरोधी दल ने यह आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ दल प्रशासनिक व्यवस्था के दबाव तथा प्रभाव से सत्ता प्राप्त करता है परन्तु चुनाव में 50 प्रतिशत से अधिक मत विरोधी दलों को मिले जिससे यह आरोप गलत सिद्ध होता है। देश में वर्तमान सामाजिक ढांचा ऐसा है कि यह नहीं कहा जा सकता कि स्थिति ऐसी है जिसमें एक उम्मीदवार समान आधार पर चुनाव नहीं लड़ सकता।

यदि मतदाताओं को लम्बी दूरी तक जाये बिना अपने मत डालने की सुविधा दी गई तो इससे सभी उम्मीदवारों को लाभ होगा। कम से कम ऐसा कोई उपाय अवश्य किया जाना चाहिये जिससे

मतदाता अपने अपने गांव में ही मत दे सकें। उससे चुनाव पर व्यय कम करने में सहायता मिलेगी। चुनाव संख्या वाला मतदाता परिचय-पत्र देने से भी उम्मीदवारों के चुनाव व्यय कम करने में सहायता मिलेगी। यदि ऐसा किया जाये तो उम्मीदवारों के लिए अपने दल की नीति और कार्यक्रम तथा चुनाव लड़ने के उद्देश्य का प्रचार करने का काम रह जायेगा। इससे उम्मीवदारों के लिए न केवल चुनाव क्षेत्र के लोगों को शिक्षित करना बल्कि उस क्षेत्र की अधिक अच्छी सेवा करना सरल हो जायेगा।

समाज विरोधी तत्वों, जैसे चोर बाजारी करने वालों और जमाखोरों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देनी चाहिये। इस उद्देश्य के लिए विधेयक में उचित उपबन्ध करने चाहियें। उचित स्थिति पैदा करने के लिए पग उठाने चाहियें जिससे हमारे चुनाव उचित रूप से पूरे किये जा सकें।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) श्रीमान्, यह अच्छी बात है कि यह संशोधन किये जा रहे हैं। श्री कामत के खाद्य अपमिश्रण, चोर बाजारी, जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी के बारे में विचारों से मैं सहमत हूं। परन्तु खाद्य अपमिश्रण के बारे में विधि में उतनी त्रुटि है कि कई बार निर्दोष व्यक्ति भी फंस जाते हैं।

जो कुछ मैं कह रहा था, उसके आगे मुझे इतना ही कहना है कि अधिकारियों को ऐसे अधिकार नहीं दिये जाने चाहियें जो वे अपनी मर्जी के अनुसार जैसा चाहे प्रयोग में लाये जा सकते हैं। अधिकारियों को मनमाने ढंग से अधिकारों के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती। मेरा निवेदन है कि यदि अधिकार देना ही है तो अनर्हता हटाने के लिए चुनाव आयोग को दिये गये अधिकार किसी उच्चतर अधिकारी को अपील के अन्तर्गत दी जानी चाहिए। एक शर्त तो लगनी ही चाहिए कि कम से कम एक वर्ष के लिए अनर्हता को हटाया नहीं जाना चाहिए।

खण्ड 9 के अन्तर्गत जो व्यवस्था है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। सरकारी ठेके के कारण उत्पन्न होने वाली अनर्हता के बारे में इस उपबन्ध को उचित ही कहा जा सकता है। यदि इसमें और संशोधन किया गया तो सारा गुड़ गोबर हो जायेगा। अतः संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। मेरे विचार में मन्त्री महोदय को यह उपबन्ध करना चाहिए कि यदि ठेकेदार ने अपना ठेका कार्यान्वित कर लिया है। यह भी व्यवस्था हो कि यदि सरकार की ओर से ठेके का कार्यान्वित किया जाना बाकी है तो उसे अनर्हित नहीं किया जाना चाहिए। एक ठेके का अस्तित्व उस समय तक समझा जायेगा जब तक कि उसे खारिज़ नहीं कर दिया जाता। मतलब यह कि किसी तरह से किसी और बात का समाधान बाकी न रह जायेगा। अतः मेरा आग्रह यह है कि मंत्री महोदय द्वारा जो जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है वह वापिस लिया जा चाहिए। थोड़ी बहुत कमियों को तो छोड़ दीजिए, पर वैसे सामुहिक तौर पर विधेयक का समर्थन किया जाना चाहिए। इस दिशा में जो भी विमति मत व्यक्त किये गये हैं उन पर भी गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। हमें केवल सरकार के दोष ही नहीं तलाश करते रहना चाहिए प्रत्युत् अपने प्रारम्भिक कर्त्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। वह कर्तव्य यह है कि हम देश के हित में उचित कानूनों का निर्माण करें।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। यह वर्तमान कारण के सुधार की दिशा में काफी ठीक कदम है। परन्तु इसमें दोष यह है कि दो बड़े गम्भीर अन्यायपूर्ण कामों को करने का प्रयास किया गया है। मैं खंड 9 से सहमत नहीं हूं। इसके अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि चुनाव सूचियों की चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। और उसे प्रकाशित न करने के कारण वह दे सकता है। मेरे विचार

[श्री दी० चं० शर्मा]

में यह व्यवस्था लोकतंत्र के विरुद्ध है। चुनाव आयोग को चाहिये कि वह आम चुनावों तथा उपचुनावों से पूर्व चुनाव सूचियां प्रकाशित करे। और उसे इस तरह आकर नहीं कहना चाहिये कि ऐसा करना उसके बस का नहीं।

इसके अतिरिक्त मुझे परिसीमन आयोग का उल्लेख करना है। यह बहुत ही विचित्र संस्था है। इसके सभी निष्कर्ष बहुत ही असंगत तथा मनमाने ढंग से किये जाते हैं। वे लोग ऐसे हैं किसी भौगोलिक आर्थिक तथ अन्य किसी प्रकार के मानवीय कानूनों का पालन नहीं करते। इसने जिलों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है। यह ऐसे क्षेत्र हैं जो किसी भी हालत में आर्थिक तौर पर जीवित नहीं रह सकते। मेरा मत यह है कि हमारे संविधान के अन्तर्गत इस परिसीमन आयोग को इतना अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह जरूरी था कि परिसीमन आयोग के अधिकारों पर कुछ रोक लगाई जाय। हमारे विधि मंत्री महोदय को इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने चाहिएं।

मतदान के बारे में बहुत से सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं। इस बारे में मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं जो कि हरिजन मतदाताओं के संबंध में है। हरिजन हमारी लोकतन्त्रीय व्यवस्था के आधार स्तम्भ है। कई बार हरिजन मतदाताओं को मतदान करने के लिए गांवों से बाहर नहीं आने दिया जाता। यह बहुत बुरी बात है। मेरा आग्रह यह है कि मंत्री महोदय को अपना मताधिकार प्रयोग करने के लिए चुनाव केन्द्रों तक आने वाले हरिजन मतदाताओं की सुरक्षा की गारन्टी करनी चाहिए। उन्हें रोकने वालों को दण्ड देने के लिए व्यवस्था करने वाला खण्ड भी यहां जोड़ा जाना चाहिए।

यद्यपि मैं श्री कामत से पूर्णतः सहमत नहीं हूं फिर भी आजाद काश्मीर के बारे में मेरा निवेदन है कि यदि वह भारत का अविभाज्य अंग है तो जनसंख्या के अनुपात से आजाद काश्मीर के लिए लोक सभा में स्थान सुरक्षित रखे जाने चाहिएं। यदि ठेकेदारों को छूट दी गई तो मेरे विचार में हमारा लोक तंत्र पांच या दस वर्षों में धनिकतन्त्र में परिवर्तित हो जायेगा। और यह तन्त्र धनिकों के लिए स्वर्ग होगा और ऐसी स्थिति पैदा हो जायेगी कि कभी भी कोई गरीब निर्वाचित नहीं हो सकेगा। इस संदर्भ में मैं एक बात और भी कह देना चाहता हूं कि मंत्रियों के आश्वासनों का उल्लेख हुआ है, इस बारे में चिन्ता करने की जरूरत नहीं, उनके आश्वासनों की कोई चिन्ता नहीं करता।

Shri Radha Lal Vyas (Ujjain): This Bill before us today envisages very important changes in the Election Laws. Let me refer to the Election Petitions. These petitions were used to be heard by the Tribunals. But now the amendment has been made and provision is being made under which the work of the Tribunals is being entrusted to the High Courts. But this provision will only help the rich people; poor people will be in difficulty. I urge that in the interest of the poor, it is essential to make provision so that the High Courts may be specifically directed to take evidence at the respective places also. The High Courts should be sufficiently liberal in this direction and implement the provision in such a way that nobody should feel any hardship. I welcome the improvements made in the legislation by the Select Committee.

Just now some friends have referred to the delimitation provision in the Bill. I have been a associate member of the Delimitation Commission from the very beginning. But I feel that the work of the Commission is very unsatisfactory. In U.K. and U.S.A. the supreme authority of the delimitation is the Parliament and not the Commission. Here the work of the Commission has not only violated the Constitution but also the direction laid

down in the Act. Inspite of this there was nobody who could challenge it. In this connection my submission is that decision of the Delimitation Commission should be the subject of judicial review. This will at least give some satisfaction to the people.

I may also state that Delimitation Commission have been doing their work very arbitrarily. There has been vast difference of populations of different constituencies. What I want to stress is that the total number of seats of a particular State should not change, even if there is decrease in the population. If this is not done it will stand in way of implementing the family planning programmes. With these words I support the measure.

चाय पर निर्यात शुल्क के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE.* EXPORT DUTY ON TEA

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि अवमूल्यन से पूर्व चाय पर 2 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से निर्यात शुल्क लगाया गया था। इस शुल्क लगाये जाने का आर्थिक मतलब यह था कि पारिणामिक लाभों को समेटा जाय और महत्वपूर्ण मद की इकाइयों को सुरक्षित रखा जाय। सरकार को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें सरकार से यह अनुरोध करते हुए कि 2 रु० प्रति किलोग्राम शुल्क की विशेष दर घटिया तथा मध्यम दर्जे के मूल्य की चाय के निर्यात पर अत्यधिक भार डालने वाली है। हमने स्थिति पर बड़ी गम्भीरता पूर्वक विचार किया है और हमें यह महसूस हुआ है कि जहां कम मूल्य वाली चाय को कुछ छूट दी जानी चाहिए, वहां अधिक मूल्य वाली चाय को निर्यात शुल्क का कुछ अधिक भार वहन करने को तैयार किया जाना चाहिए।

एकरूपता से यदि शुल्क लगाया जाय तो यह एक बड़ा आदर्श ढंग होगा, फिर भी इसमें बहुत सी प्रशासनिक तथा अन्य प्रकार की कठिनाइयां हैं। इसलिए चाय पर यथा मूल्य तथा विशेष दर शुल्क दोनों के लाभों को शामिल करने का निर्णय किया गया है। शुल्क की संशोधित दरें कल से लागू होंगी।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि शुल्क मूल्य खण्ड के आधार पर लगाया गया है जिसके अनुसार 4 रुपये प्रति किलोग्राम पर 80 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से विशिष्ट शुल्क लगेगा जब कि इस समय 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर है। यह कमी बहुत काफी है। किन्तु शुल्क उत्तरोत्तर बढ़ेगा और निर्यात की जाने वाली चाय के मूल्य के अनुसार 3 रूपये प्रति किलोग्राम तक पहुंचेगी। वर्तमान 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से अधिक परन्तु अधिक से अधिक 3 रुपये किलोग्राम की दर तक जो शुल्क देय होगा उसमें केवल वह शामिल होगा जिसका 9 रुपये प्रति किलोग्राम से ऊपर मूल्य लगाया गया है। यह आशा की जाती है कि जो शुल्क खण्ड प्रणाली के अनुसार लगाई गई है वह निर्यात की मात्रा तथा मूल्य दोनों को बढ़ाने में सहायक होगी।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

श्री भीनारायण दास (दरभंगा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के सत्तान्नेवो वां प्रतिवेदन से, जो 8 नवम्बर, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सत्तानवेवां प्रतिवेदन से, जो 8 नवम्बर, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

मद्रास के लिए पीने के पानी सम्बन्धी योजना के बारे में संकल्प—जारी

RESOLUTION *RE.* SCHEME REGARDING DRINKING WATER FOR MADRAS—*contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम 2 सितम्बर के श्री सेझियान द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर और आगे विचार करेंगे :—

"इस सभा की राय है कि सरकार को चाहिए कि वह मद्रास शहर को पीने के पानी की समुचित सप्लाई की व्यवस्था करने के हेतु एक योजना को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए मद्रास की राज्य सरकार को पर्याप्त वित्तीय सहायता दे।"

श्री सेझियान (पैरम्बलूर) : यह संकल्प मद्रास नगर को पानी सम्भरण के बारे में है। यह समस्या केवल मद्रास की ही नहीं है, देश के अन्य भागों में भी पेय जल की आवश्यकता है और प्राय : इसकी कमी महसूस होती है। यह तो तथ्य की बात है कि मानव मात्र को जीवित रहने के लिए पेय जल बहुत अधिक आवश्यक है। परन्तु बात यह है कि इसकी प्रत्येक स्थान पर नितान्त अपेक्षा की गई है।

हम तीन योजनाओं को पार कर चुके हैं परन्तु गांवों में केवल 3 प्रतिशत को किसी प्रकार की संरक्षित पेय जल योजना उपलब्ध हो सकी है। नागरिक क्षेत्रों में तो इसकी बहुत ही जोरदार मांग हो रही है। जो लोग नगरों में रहते हैं उनका 48 प्रतिशत पेय जल प्राप्त कर रहा है और बाकी की जनता उससे वंचित है। यह हालत उस समय है जब कि हम तीन योजनाओं को सफलता पूर्वक चला चुके हैं। यह बात चल रही है कि पेय जल का आयात किया जाय।

[श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुए ।]
[Shri Sham Lal Saraf in the Chair]

इस दिशा में मैं विशेष रूप से मद्रास के बारे में कहना चाहता हूं परन्तु यह भी तथ्य है कि अन्य नगरों में भी पेय जल की कमी है। मद्रास के लिए पेय जल की मात्रा बहुत ही सीमित है। मद्रास नगर के लिए पेय जल की सप्लाई पूंडी जलाशय पर और चोलावरम् और रेड-हिल झीलों पर निर्भर करती है, परन्तु इन झीलों में पानी देने के लिए कोई चिरवाहिनी नदी नहीं हैं। जब कभी वर्षा नहीं होती तो नगर को बहुत ही गम्भीर कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अत : एक दीर्घकालीन व्यवस्था के रूप में पिछले 30 वर्षों में तीन चार योजनाओं का सुझाव दिया गया है, परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इस दिशा में मेरा कहना है कि तीन योजनायें ऐसी हैं जो पूरी की जा सकती हैं। इससे नगर की पानी की मांग पूरी हो सकती है। इन सब की पूरी जांच की जा चुकी है। यदि सरकार इन

योजनाओं की ओर केवल कुछ ध्यान देती तो वे नगर की पानी की जरूरत को पूरा कर सकती थी। कावेरी योजना की भी जांच पूरी हो चुकी है। इस बारे में मद्रास निगम ने बहुत ही विशिष्ट तथा लाभदायक सिफारिशें प्रस्तुत की हैं और मामला सरकार के विचाराधीन है।

कावेरी योजना की भी और अधिक जांच की जानी चाहिए। परन्तु कावेरी योजना की जांच की जा चुकी है और इस बारे में मद्रास निगम ने बहुत ही विशिष्ट तथा लाभप्रद सिफारिशें की हैं। यह मामला सरकार के पास है। इस योजना पर लगभग $17\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये खर्च आयेंगे। परन्तु 35 लाख के वार्षिक व्यय से 400 लाख गैलन अधिक पीने का पानी मद्रास नगर को दिया जा सकेगा।

मद्रास में पानी की सप्लाई की स्थिति बहुत गम्भीर है। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार को कुछ विशिष्ट योजनायें प्रस्तुत करनी चाहिएं जिससे लोगों को कम से कम पीने का पानी प्राप्त हो सके।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा (आनन्द) : संकल्प का तात्पर्य मद्रास राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देना है जिससे मद्रास नगर को पीने के पानी की पर्याप्त सप्लाई के लिये योजना बनाई जा सके। परन्तु मेरे विचार में हमें ग्रामीण लोगों की ओर सर्वप्रथम ध्यान देना चाहिये।

राजस्थान में पीने का पानी रक्त जितना ही कीमती है। वहां पर महिलाओं को पानी लाने के लिए, जहां कहीं से भी उपलब्ध हो, सात अथवा आठ घंटे खर्च करने पड़ते हैं।

पीने के पानी की समस्या ग्रामों में नगरों से कुछ भिन्न है। नगरों में इस समय लगभग 10 करोड़ व्यक्ति रहते हैं जोकि कुल जनसंख्या का 20 प्रतिशत है। स्वतन्त्रता के पश्चात कुछ अधिक लोग नगरों में आकर रहने लगे हैं। इससे भी पीने के पानी की सप्लाई पर कुछ प्रभाव पड़ा है। परन्तु फिर भी अधिकतर नगरों में पीने के पानी की पाइप लाइन बिछाई जा चुकी है। इसके विपरीत ग्रामों में 80 प्रतिशत लोग रहते हैं। उनमें से लगभग एक तिहाई लोगों के लिए पीने के पानी की सुविधा प्रदान नहीं की गई है। नगरों तथा ग्रामों में पीने के पानी की सुविधा प्रदान करने के लिए पहली तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगभग 70 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे। तीसरी योजना में लगभग 67 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी।

यह एक विस्तृत कार्य है जिसकी गत 200 वर्षों से उपेक्षा की जा रही थी आशा है कि अगले पन्द्रह वर्षों में पीने के पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी।

श्री नग्गिबयार (तिरुचिरापल्लि) : मैं प्रस्तावक का धन्यवाद करता हूं कि उसने सरकार का ध्यान मद्रास नगर तथा मद्रास राज्य में पीने के पानी की गम्भीर स्थिति की ओर दिलाया है।

पिछले दिनों में जो तूफान आया था उससे पीने के पानी की सप्लाई को और खतरा हो गया है। तालाबों में दरारें आ गई हैं और इससे सारी जनता पर प्रभाव पड़ा है। मद्रास नगर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों को केन्द्र से तुरन्त सहायता की आवश्यकता है। मद्रास के मुख्य मंत्री ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि वहां पर ऐसी स्थिति है कि केन्द्र की सहायता के बिना काम नहीं चल सकता। इसलिए केन्द्रीय सरकार को इस समस्या के समाधान के लिये सहायता देनी चाहिये। मद्रास सरकार के पास अपने साधन नहीं हैं।

त्रिचिनापल्लि तथा श्रीरंगम दोनों नगर कावेरी नदी के किनारों पर हैं। परन्तु दुर्भाग्य से वहां के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। हमारे यहां ग्रामों में भी पीने के पानी की

[श्री नम्बियार]

कमी है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह मद्रास सरकार को धन की आवश्यक सहायता दें जिससे वहां पर लोगों को पीने का पानी दिया जा सके।

श्री व० बा० गांधी (बम्बई—मध्य दक्षिण): मद्रास के लोग हमारे सहानुभूति के पात्र हैं। सरकार मद्रास नगर के लिए समुद्र के पानी को मीठा बनाने की योजना पर गम्भीरता से विचार कर रही है। इससे मद्रास नगर को वर्षा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मद्रास नगर पहला नगर होगा जिसमें ऐसा रिएक्टर लगाया जायेगा जो 200 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने के अतिरिक्त समुद्र के पानी को भी मीठा बनायेगा।

श्री मुथिया (तिरुनेलवेली) : मैं संकल्प का समर्थन करता हूं। मद्रास नगर की जनसंख्या लगभग 20 लाख है और यह प्रति वर्ष बढ़ रही है। मद्रास तथा उसके पास, अधिक संस्थाएं, कार्यालय, कारखाने बन रहे हैं। इसलिए पेय जल की मांग भी बढ़ रही है। मद्रास नगर के कुओं का जल नमकीन है और पीने के लिए ठीक नहीं है। इस समय मद्रास के लोगों को रैड हिल्स के तालाब से पीने का पानी दिया जा रहा है। परन्तु जब वर्षा नहीं होती तो इस तालाब में भी पानी नहीं रहता और मद्रास में आमतौर पर वर्षा नहीं होती। इसलिए वहां के लोगों को पीने के पानी की कमी के कारण बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

श्री सेझियान ने दो योजनाओं का उल्लेख किया है परन्तु इनकी पूरी तरह जांच नहीं की गई है। केन्द्रीय सरकार को इस योजना की जांच करने के लिए तुरन्त राज्य सरकार की सहायता करनी चाहिए। केन्द्र तथा राज्य सरकार को मिलकर कार्य करना चाहिए जिससे वहां के लोगों की कठिनाइयां दूर हो सकें।

मेरे विचार में कृष्णा नदी से आसानी से पानी दिया जा सकता है। मद्रास नगर को पानी देने के लिये कृष्णा नदी के दायें किनारे से एक नहर निकाली जा सकती है। मुझे पता लगा है कि इस बारे में मद्रास तथा आंध्र सरकार के बीच कुछ बातचीत भी हुई थी और आंध्र सरकार कृष्णा नदी का कुछ प्रतिशत पानी देने के लिये तैयार है।

समस्त स्थिति को देखते हुए मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह राज्य सरकार को उदारतापूर्वक सहायता दे ताकि वह योजना को कार्यान्वित कर सके और मद्रास के लोगों की कठिनाइयों को दूर कर सके।

श्री मनोहरन (मद्रास–दक्षिण) : मैं संकल्प का समर्थन करता हूं। मैं श्री महीडा की इस प्रार्थना को नहीं समझ सका जिसमें उन्होंने कहा है कि मद्रास प्रतीक्षा कर सकता है। किसी भी नागरिक को पीने के पानी के लिए प्रतीक्षा करने के लिये नहीं कहा जाना चाहिए।

मद्रास नगर भारत के सुन्दर नगरों में से है। स्वयं स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस बात को स्वीकार किया है। यदि मद्रास निगम द्वारा बनाई गई योजना को कार्यान्वित करने के लिये मद्रास राज्य की सहायता नहीं की गई तो मुझे डर है कि भारत का यह सुन्दर नगर खराब हो जायेगा। हम ने सिंचाई मंत्री श्री राव से इस मामले पर बातचीत की थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि कावेरी योजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित किया जायेगा।

इस समय मद्रास नगर को पीने के पानी की पर्याप्त सप्लाई नहीं की जाती है। इसलिए मद्रास सरकार मद्रास में स्थापित उद्योगों को पानी सप्लाई नहीं कर सकती। यदि योजना को कार्यान्वित नहीं किया जाता तो नये उद्योग स्थापित नहीं होंगे। इसलिये मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस पहलू पर भी ध्यान दें।

सरकार धन के अभाव का बहाना कर सकती है। परन्तु उसके लिए मद्रास निगम ने एक विकल्प दिया था कि उसको जनता तथा जीवन बीमा निगम से ऋण लेने की अनुमति दी जाये। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

श्री मुहम्मद इस्माइल (मजरी) : मद्रास नगर में $17\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये के खर्च से पर्याप्त पानी उपलब्ध किया जा सकता है। मद्रास में पीने के पानी की समस्या अत्यन्त गम्भीर है। मद्रास का बम्बई तथा मद्रास का कलकत्ता का अनुपात क्रमशः 1 : 2 और 2 : 3 का है। इसलिये मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह पानी की पर्याप्त सप्लाई करके मद्रास नगर के लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये इस योजना को अपने हाथ में।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर): इस बात में दो मत नहीं हो सकते कि बड़े नगरों में पानी की सप्लाई को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है और कि इन नगरों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये दूर से पानी लाने की योजनाओं पर बहुत अधिक धन व्यय होता है। हमारे ग्रामों को भी पानी की सप्लाई की उतनी ही आवश्यकता है जितनी नगरों को।

सरकार जलपूर्ति के महत्व से अवगत है और यही कारण है कि चौथी पंचर्षीय योजना में 373 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जोकि तीनों योजनाओं में इस प्रयोग के हेतु रखी गई कुल राशि से भी अधिक है। अब आगे कार्यवाही करना केन्द्रीय सरकार का नहीं बल्कि राज्य सरकारों का काम है। यह बात राज्य सरकारों पर छोड़ दी गई है कि वे अपनी अपनी योजनाओं की आवश्यकता के लिए धन की व्यवस्था करें। केन्द्रीय सरकार उन योजनाओं के लिए ऋण देगी जिनके लिए राज्य सरकारों ने अपनी योजना में व्यवस्था की होगी।

एक ओर तो मंत्री तथा मुख्य मंत्री पानी की आवश्यकता पर जोर देते हैं परन्तु जब आवश्यक व्यवस्था करने का समय आता है तो वे इस बारे में कार्यवाही नहीं करते। इसलिए यदि राज्य सरकारें अपनी अपनी योजनाओं में कोई विशेष व्यवस्था नहीं करते तो केन्द्रीय सरकार भी कोई सहायता नहीं करती। यदि मद्रास सरकार निगम की योजना को उच्चतर प्राथमिकता देने का निर्णय करती है तो केन्द्रीय सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। चालू वित्तीय वर्ष में मद्रास की राज्य सरकार ने निगम की पानी सप्लाई सम्बन्धी योजनाओं के लिये 175 लाख रुपये के लिये तथा ग्रामों में पानी सप्लाई के लिये 150.54 लाख रुपये के लिये कहा है। इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने 340 लाख रुपये निर्धारित किये हैं और उनको सुझाव दिया है कि वह नगरों तथा ग्रामों में पानी सम्बन्धी योजनाओं पर आधा आधा धन खर्च करें।

जहां तक निगम द्वारा जनता तथा बीमा निगम से ऋण लेने का प्रश्न है मैं केवल इतना कहना चाहती हूं कि योजना बनाते समय देश के समस्त साधनों को ध्यान में रखा जाता है। नगर निगमों तथा नगर पालिकाओं द्वारा ऋण लेने पर कुछ प्रतिबन्ध हैं।

मद्रास नगर की पानी की सप्लाई को बढ़ाने की आवश्यकता को स्वीकार कर लिया गया है। वर्तमान सप्लाई अपर्याप्त है और इसलिये पिछले कुछ समय से यह मामला राज्य सरकार के

[डा० सुशीला नायर]

विचाराधीन है । कावेरी तथा पेन्नार कृष्णा योजना पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । लम्बे समय वाली तथा अधिक लागत वाली योजनाओं को अन्तिम रूप दिये जाने तक तुरन्त सहायता देने के लिये कुछ अन्य उपाय किये गये हैं । रेड हिल्स तथा चोलावरम तालाबों के पास लगभग 7500 एकड़ दलदली भूमि को सरकार ले रही है । इस भूमि के बदले प्रतिकर देने के लिये सरकार ने 210 लाख रुपये दिये हैं । 7500 एकड़ भूमि में से लगभग 6000 एकड़ भूमि 15 जुलाई, 1966 तक ले ली गई थी । अब राज्य सरकार का प्रस्ताव इस भूमि को सूखी भूमि में बदलना तथा उनके मालिकों को वापिस देना है । इससे 70 से 80 लाख गैलन अतिरिक्त पानी सप्लाई किया जा सकेगा ।

अनुमान है कि इस समय पूण्डी जलाशय से रेड हिल्स आने वाले पानी में से मार्ग में 50 करोड़ घनफुट पानी नष्ट हो जाता है । इस पानी को नष्ट होने से बचाने के लिए 85 लाख रुपये की लागत से एक खुला जल मार्ग निर्माण करने की योजना है । इस योजना के प्रथम चरण को सितम्बर, 1964 को हाथ में लिया गया है और इस समय यह निर्माण कार्य मद्रास निगम द्वारा किया जा रहा है । यह प्रश्न अभी विचाराधीन है कि क्या इस योजना को राज्य सरकार अपने हाथ में ले सकती है ।

तीसरी परियोजना रेड हिल्स तथा चोलावरम के तालाबों को दो फुट बढ़ा कर अतिरिक्त पानी एकत्र करने की है ।

अगस्त, 1965 में 15.72 लाख रुपये की एक योजना की मंजूरी दी गई थी । चौथी पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त योजनाओं को भी सम्मिलित किया गया है ।

इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि केन्द्रीय सरकार ने धन की व्यवस्था करने तथा अन्य कार्यवाही करने में उपेक्षा की है । इसलिये मैं माननीय मित्र से अनुरोध करूंगी कि वह अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री सेझियान : जब मैंने यह कहा था कि नगर में पानी की सप्लाई में सुधार किया जाना चाहिए तो मेरा तात्पर्य अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा करना नहीं था । मद्रास नगर में इस समय स्थिति गम्भीर है । मद्रास निगम ने समुद्र के पानी को मीठा बनाने के बारे में प्राथमिक जांच की थी परन्तु इस पर आगे कार्यवाही नहीं की ।

माननीय मंत्री ने अल्प अवधि की योजनाओं का उल्लेख किया है । परन्तु इनसे समस्या का कोई स्थायी हल प्राप्त नहीं होगा । माननीय मंत्री ने कहा है कि नगरों में पानी सप्लाई करने के लिये 170 लाख रुपये रखे गये हैं परन्तु वीरम झील से मद्रास पानी लाने वाली योजना पर $17\frac{1}{2}$ करोड़ लागत आयेगी जोकि निर्धारित राशि से दस गुना है । इस प्रकार इस योजना की क्रियान्विति के लिये लम्बे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । केन्द्रीय सरकार को धन से राज्य सरकार की सहायता करनी चाहिए । मुझे आशा है कि सभा संकल्प को स्वीकार करेगी ।

डा० सुशीला नायर : मैंने पहले ही कहा है कि हमने राज्य सरकार की मांग से अधिक धन की व्यवस्था की है । इसलिये मैं संकल्प को स्वीकार नहीं कर सकती ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा की राय है कि सरकार को चाहिए कि वह मद्रास शहर को पीने के पानी की समुचित सप्लाई की व्यवस्था करने के हेतु एक योजना को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये मद्रास की राज्य सरकार को पर्याप्त वित्तीय सहायता दे ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE: NATIONALISATION OF BANKS

डा० रानेन सेन (कलकत्ता पूर्व) :मैं यह प्रस्ताव करता हूं :—

"कि इस सभा की राय है कि मूल्य वृद्धि को रोकने, देश के आन्तरिक साधन जुटाने और सट्टे-बाजी को रोकने के लिए गैर सरकारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के हेतु तुरन्त उपाय किये जायें " ।

यह बात सर्व विदित है कि 1948 में कांग्रेस ने अपने आर्थिक कार्य क्रम में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की एक मद भी रखी थी । परन्तु गत इतने अर्से से सरकार ने इस मांग को स्वीकार करने से इन्कार किया है । परन्तु राष्ट्र को सामूहिक रूप से इसे स्वीकार है । भारत सरकार की इस दिशा में क्या स्थिति है? कांग्रेस महसूस कर रही है कि यह नारा तो राष्ट्र व्यापी हो गया है। इस लिए लोगों को धोका देने के लिए अब कांग्रेस बैंकों के सामाजिक नियन्त्रण की बातें कर ने लगी है । इस तरह उसका प्रयास यह है कि लोगों की भावनाओं का लाभ उठाया जाय । उसकी पृष्ठभूमि यह है कि कांग्रेस दल में बड़े बड़े व्यापारी और उद्योगपति छाये हुए हैं । वे नहीं चाहते कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो पर राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की यह मांग है । अतः मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं ।

आज हमारी अर्थ-व्यवस्था की क्या स्थिति है ? उत्पादन, चाहे वह कृषि क्षेत्र का हो अथवा औद्योगिक क्षेत्र का, हमारी स्थिति बहुत ही विकट है । भुगतान शेष की हालत भी अच्छी नहीं है । कीमतों में बेहद वृद्धि हो गयी है । सारे हालात को देखते हुए महसूस यह होता है कि कीमतों की वृद्धि को एक ही तरीके से रोका जा सकता है और वह यह है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय । हमारे संविधान का भी यह लक्ष्य है कि धन का एक जगह केन्द्रीकृत न होने पाये । गरीबों और अमीरों के बीच जो खाई है उसे अधिक से अधिक कम किया जाना चाहिए । अभी हाल ही में एकाधिकार आयोग का प्रतिवेदन हमारे सामने आया है । उसके अध्ययन से पता चला है कि धन कुछ हाथों में केन्द्रित हो गया है इसे रोका जाना चाहिए । और इस के लिए एक ही तरीका है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाय । ऐसा करने पर हमारी अर्थव्यवस्था उस जाल में से निकल सकेगी जिसमें कि वह आज फंसी हुई है ।

इस समय देश में केवल बारह बड़े बड़े बैंक हैं । प्रत्येक बैंक पर कोई न कोई परिवार छाया हुआ है । और इस तरह प्रत्येक उद्योग और बैंक में एक न एक का एकाधिकार स्थापित है । इसमें मजेदार बात यह है कि जो परिवार किसी बैंक पर छाया हुआ है उसका अपना धन और अंश इतने नहीं कि उनका अंशदारों में बहुमत हो । वे तो दूसरों के धन का ही अधिकतर उपयोग करते हैं । 68 अनुसूचित बैंक हैं और 14 विनिमय बैंक हैं । कुल मिला कर 17. 67 करोड़ रुपये की इनकी पूंजी है । पर इन 12 बैंकों में 1000 करोड़ की पूंजी जमा है । इन बड़े बड़े बैंकों का उद्योगों के साथ गहरा

[डा० रानेन सेन]

सम्पर्क और सम्बन्ध है। यह भी देखने में आया है कि बैंकों के लाभ प्रतिवर्ष बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरा यह निश्चित मत है कि यदि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाय तो इसके लाभ को देश के हित में प्रयोग किया जा सकता है।

अगस्त 1966 में बैंकों में कुल रुपया 2871 करोड़ रुपया है। चार वर्ष पूर्व उनकी पूंजी 2000 करोड़ के लगभग थी। बैंक अपनी अल्प पूंजी से ही 3000 करोड़ प्रति वर्ष कमा लेते हैं। और यह प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में खर्च की गई सारी पूंजी के बराबर है। और इस स्थिति को देखते हुए ही इस संकल्प का महत्व है। आज देश में भूखमरी चल रही है। और इसका कारण यह है कि बैंकों का नियन्त्रण बड़े बड़े व्यापारियों के हाथ में है। इन बैंकों के द्वारा ही बड़े बड़े व्यापारी अधिक मूल्य के बीजक और कम मूल्य के बीजक बनाते हैं। मेरा यह निश्चित मत है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण द्वारा इन खराबियों को दूर किया जा सकता है। यदि केन्द्रीय सरकार की इच्छा कुछ मुवावजा देने की हों तो इसे लम्बी अवधि का मुआवजा होना चाहिए। यह मुआवजा उसी प्रकार का होना चाहिए जिस प्रकार की व्यवस्था कि सम्पदा अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत की गई है। यह उस समय किया गया था जब कि जमींदारी समाप्त की गई थी। काफी लम्बी अवधि के अविनिमय बांड दिये जाने चाहिएं। ऐसा करने पर हमारी अर्थव्यवस्था पर भी कोई कुप्रभाव नहीं होगा और शनैः शनैः सरकार के ऋणों का भुगतान भी हो जायेगा। इस अवधि में जो लाभ बैंक कमाते हैं उससे मुआवजे की राशि का भुगतान हो सकता है। मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि इस बात का समाजवाद, अधिनायकवाद तथा अन्य किसी राजनीतिकवाद से नहीं है। मेरा अनुरोध है कि सभा को यह संकल्प स्वीकार कर लेना चाहिए।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनवाद) : मैं अपना स्थानापन्न संकल्प प्रस्तुत करता हूं।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री मुथिया : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : इस संकल्प की भावना से सब एक मत हैं। कांग्रेस ने इस सिद्धान्त को कभी भी अस्वीकार नहीं किया कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण न हो। हम स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा जीवन बीमा का तो पहले ही राष्ट्रीयकरण कर चुके हैं। अब कांग्रेस दल ने निश्चय किया है कि सरकार को सभी बैंकिंग तथा ऋण संस्थाओं पर सामाजिक नियन्त्रण लगाना चाहिए। यह तब ही सम्भव हो सकता है जब कि 'सामाजिक नियन्त्रण' शब्द की पूरी परिभाषा कर दी जाय। इस परिभाषा से यह स्पष्ट हो जायेगा कि ये इस शब्द की क्या परिभाषा करते हैं। मेरा इस बारे में यह मत है कि "सामाजिक नियन्त्रण" एक बड़ा व्यापक शब्द है और राष्ट्रीयकरण तो इसके अन्तर्गत ही आ जाता है।

हम अपनी अर्थव्यवस्था को आयोजित कर रहे हैं। यदि हम ऐसा ही चाहते हैं तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम उन ऋण संस्थाओं पर पूरा नियन्त्रण रखे। अर्थव्यवस्था का नियन्त्रण करने से मुद्रा, धन परिचालन तथा ऋण व्यवस्था पर नियन्त्रण तो रखना ही होता है। मूल्यों पर भी

हम नियन्त्रण रखना चाहते हैं। वास्तविकता यह है कि हम इस दिशा में कुछ कर नहीं पाये हैं कि मुद्रा स्फीती को रोका और पूरे नियन्त्रण में रखा जा सकता है। मेरा मत यह है कि जब तक गैर सरकारी बैंकों को खुली छुट्टी रहेगी तब तक मुद्रा स्फीती को रोक पाना और मूल्यों को स्थिर कर लेना सम्भव नहीं है। हमारे यहां की बैंकिंग संस्थायें इस ढंग से काम कर रही हैं कि उनका एकाधिकार बन जाता है और हमारी अर्थ व्यवस्था में इस एकाधिकार की प्रवृत्ति को तब तक रोका नहीं जा सकता जब तक कि बैंकिंग संस्थाओं पर पूरा नियन्त्रण न कर लिया जाय। अतः मेरा निवेदन यह है कि उन्हें उचित नियन्त्रण में रखना बड़ा जरूरी है। अतः मैं इस संकल्प के अन्तर्गत जो भावना है, उसका पूरा समर्थन करता हूं। मैं श्री चक्रवर्ती जी के संशोधन का भी समर्थक हूं।

श्री अल्वारेस (पंजिम): दो कारणों से यह बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला महत्वपूर्ण है। एक इसलिए कि चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए साधन चाहिए और इन संसाधनों को इकट्ठा किया जाना चाहिए और दूसरे यह कि कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में बैंकों के मामले में 'सामाजिक नियन्त्रण' की बात कही है। डा० रानेन सेन के संकल्प में इस विशेष समस्या को न सुलझाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।। स्पष्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीयकरण किया जाय अथवा न किया जाय।

एकाधिकार आयोग ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है उसमें राष्ट्रीयकरण का उल्लेख है। उसने इस बात का भी उल्लेख किया है कि बैंकों में भ्रष्ट प्रवृत्तियां चलती है। उनके बहुत से निदेशकों का कुछ उद्योगों से सम्बन्ध होता है। उनसे उन्हें अधिक ब्याज पर ऋण मिलता है और ये लोग उनका लाभ उठाते हैं। इन्हीं बातों को देखते हुए यह निश्चय करना बड़ा जरूरी है कि ऐसी वित्तीय संस्थाओं के भविष्य को किस दिशा में ले जाया जाय।

इस बात को देखना बड़ा जरूरी है कि बैंकों में जमा पूंजी देश की कुल मुद्रा का लगभग आधा हिस्सा है। और इस धन से ये लोग जिस को चाहें प्रोत्साहन दे सकते हैं। किसी के उद्योग अथवा कारोबार का बन्द हो जाना भी इनके हाथ में होता है। विभिन्न प्रकार के उद्योगों को एक ही हाथ में केन्द्रित कर देना भी इन लोगों के बस में होता है। चीजों के दामों को कमती और बढ़ती करना भी इनकी नीति पर आश्रित रहता है। हम इस बात पर विचार करना ही होगा कि इस प्रकार की वित्तीय संस्थाओं का हमारे आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव है।

यह भी सोचना होगा कि यदि हम एकाधिकार आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करना चाहते हैं तो बिना किसी संकोच के इस संकल्प को स्वीकार कर लेना चाहिए। कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र में जो "सामाजिक नियन्त्रण" शब्द का प्रयोग है, उसका यह अर्थ निकालना गलत है कि राष्ट्रीयकरण इसके अन्तर्गत ही आता है।

श्री चे० का० भट्टाचार्य (रायगंज): इससे पूर्व कि हम इस संकल्प का समर्थन करें एक बात स्पष्ट होनी चाहिए। क्या विरोधी दलों को प्रशासन पर पूरा विश्वास हो गया है कि वह राष्ट्रीयकरण की बातें करने लगे हैं। विरोधी पक्ष के मित्र बड़ी विचित्र बातें करते हैं। एक ओर तो वे संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण की बात करती है, और जब इन संस्थाओं को सरकार अपने हाथ में ले लेती है तो कहा जाता है कि सरकार ने भ्रष्टाचार बढ़ा दिया है। मेरा कहना यह है कि समाज के सभी वर्गों का हित इसी में है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाय। इन बैंकों के संसाधनों का प्रयोग यदि राष्ट्र के हित में हो तो यह बहुत ही प्रशंसनीय है। परन्तु मेरा विचार यह है कि जो भी नियम आजकल चल रहे हैं,

[श्री चे० का० भट्टाचार्य]

उनके अन्तर्गत भी यदि कार्य किया जाय तो रिजर्व बैंक उचित रूप से नियन्त्रण कर सकता है और बहुत सी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं।

हमें इस बात को तो मानना ही होगा कि ये बैंक काफी लाभदायक काम कर रहे हैं। धन पेशगी दे कर वे कई एक कठिनाइयों को हल कर देते हैं। मेरा कहना है कि रिजर्व बैंक के दिये गये अधिकारों के बारे में कोई कानून बनाने की आवश्यकता है। चाहे इन अधिकारों का विस्तार किया जाय और चाहे इन शक्तियों के प्रयोग को अलग से कोई रूप दिया जाय।

Shri Yashpal Singh: I am of the opinion that this resolution which has been put forward by Dr. Ranen Sen, should not be opposed by anybody. This work ought to have been done by the Government about 18 years ago. This should be accepted unanimously. Our Government always talk of Socialism, but no step has been taken by the Government to go ahead towards Socialism. This is the time that Government should take a solid step in order to have the nationalization of Banks. Socialism should not be made only a way to secure the votes of the innocent people. In order to implement the principle of Socialism. Solid steps should be taken.

With these words I support this resolution.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : मैं संकल्प में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं :—

"कि सरकारी तथा गैर सरकारी बचतों में वृद्धि करने, उन्हें प्राथमिकता वाली योजनाओं में लगाने और मुद्रा स्फीती के दबाव को कम करने के लिए गैर सरकारी बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण लागू करने के सार्थक उपाय किये जायें।"

हम समाजवादी समाज के लिए विकसित हो रही अर्थ व्यवस्था में कार्य कर रहे हैं। इस दिशा में कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन पर विचार होना चाहिए।

यह गलत है कि कृषि क्षेत्र का शोर झूठा है। कृषि क्षेत्र का विकास करना बहुत जरूरी है। अपनी अर्थ व्यवस्था के विकास के लिए हम इस क्षेत्र का उपयोग करना चाहते हैं। विकास के लिए बचत का प्रयोग करना भी कुछ जरूरी ही लगता है। पर आज की व्यवस्था में कुछ दोष हैं। हमारे किसानों को ऋण नहीं मिल रहे और कई लोग ग्रामीण क र्जों का बहुत बुरा लाभ उठा रहे हैं। इस दिशा में प्रभावशाली नियन्त्रण के उपाय किये जाने चाहिएं। लोगों को यह सन्तोष रहना चाहिए कि हम सब कुछ पूंजीपति, उद्योगपतियों और व्यापारियों के रहम पर नहीं छोड़ रहे।

Shri Sheo Narain (Bansi): The Congress Party had adopted a resolution at its Avadi Session to set up a socialistic pattern of society in the country, and it is the duty of our Government to implement it. So long as English continues in our country and I.C.S. and P.C.S. officers dominate in the country, we will not be able to bring socialism in this country. Nationalisation of banks is very important. The agriculturist are very core of our society. We should provide money to them so that they can produce more foodgrains. If the banks are nationalised, this purpose can be fulfilled. I, therefore, support the resolution.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): I support the resolution moved by Dr. Sen. The resources which the country need for her developmental work will not

be available until the State takes over the banks. The malpractices will also continue if the banks continue to be in the private sector. The money need for this Five Year Plans will not be available to the Government as long as a few industrialists continue to control the banks. General insurance should also be nationalised.

The Government should accept this in principle. It may be implemented after the elections.

श्री पें० वेंकटासुब्बया (अडोनी) : कांग्रेस दल ने बैंकिंग संस्थाओं के सम्बन्ध में अपना रवैया स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। कांग्रेस ने ही सब से पहले बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग प्रस्तुत की थी।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अथवा स्टेट बैंक आफ इण्डिया का वर्तमान कार्य संचालन पूर्णतया नौकरशाही प्रशासन के हाथों में है। रिज़र्व बैंक के बैंकिंग संस्थाओं पर प्रभावशाली नियंत्रण होने के बावजूद भी इनमें से कोई भी न तो जनसाधारण की सहायता के लिए आगे आया और न ही खाद्य उत्पादन को बढ़ाने में कुछ सहायता कर पाया। बैंकिंग संस्थायें ग्रामीण ऋण देने के मामले में भी बुरी तरह असफल रही हैं। नौकरशाही प्रशासन प्रणाली सहायक नहीं होगी। आवश्यकता इस बात की है कि इन संस्थाओं को लोकतन्त्रात्मक बनाया जाये।

Shri Shree Narain Das (Darbhanga): The question of nationalisation of banks has been raised in this House for a number of times. This question is also being raised outside. It is high time that this matter is considered in detail so that we may be able to arrive at a final decision regarding the steps to be taken in this direction in the interest of the country.

The Government should now appoint an enquiry Committee to go into this matter. The Committee should comprise of Members of Parliament and eminent economists. The Committee should look into all the aspects and present a report. That is why I have tabled an amendment.

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri B. R. Bhagat): As has been pointed out, the question of nationalisation of banks has been raised in this House on several occasions and the Government have explained their viewpoint on each occasion. No new point has been raised during discussion on the present resolution. Therefore, the Government have not much to say in this regard.

The appointment of a Commission to go into the question of nationalisation of banks has been suggested. A Commission of that kind is not necessary because we have the necessary data and statistics regarding the working of banks.

It is not correct to say that the present rise in costs is due to the policy of private banks in regard to loans and advances. There may be certain other reasons. Reserve Bank keeps an eye on speculative tendencies and stern action is taken when such matters come to light.

The deposits have been increasing at the rate of 8 or 10 per cent per annum during the last five or ten years. The deposits in banks have been increasing in spite of various pressures on our economy. The situation is not such which has no alternative other than nationalisation.

Fall in agricultural production is the cause of present economic crisis. Increase in agricultural production and provision of loan for that purpose are urgently needed. The position of deposits in banks at present is such that they cannot make adequate provision for agricultural loan facilities. Therefore, separate provision of agricultural loans in cooperative sector has been made.

Even if the banks are nationalised, their utility for agricultural loan will not increase. Agricultural Credit Corporation and agricultural banks will have to be set up for the purposes of agricultural loans. Nationalisation of banks is not practicable in the present circumstances.

डा० रानेन सेन : मैंने मुख्य रूप से यह मामला उठाया था कि बैंकों के पास 3,000 करोड़ रुपया पड़ा है। यदि सरकार इसे अपने हाथ में ले ले तो उसका प्रयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है। मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत तर्क विश्वासोत्पादक नहीं है। यह स्पष्ट हो गया है कि बैंकों का सामाजिक नियंत्रण कांग्रेस दल का मिथ्या नारा है।

यह कहने का कोई अर्थ नहीं कि रिज़र्व बैंक के पास अन्य बैंकों पर नियंत्रण रखने के पर्याप्त अधिकार हैं। रिज़र्व बैंक के अधिकार सीमित हैं। रिज़र्व बैंक पर नियंत्रण रखने वाले लोग कौन हैं, वे कुछ बड़े पूंजीपति हैं जो दूसरे बैंकों में भी हैं और रिज़र्व बैंक के निदेशक, प्रबन्धक आदि हैं।

मैं माननीय मंत्री द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं कर सकता और मैं अपना संकल्प वापिस लेने के लिए तैयार नहीं हूं।

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत किया गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. I was put and negatived.

श्री श्रीनारायण दास : मैं अपने संशोधन को प्रस्तुत किये जाने का आग्रह नहीं करता।

श्री मुथिया : मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्यों को संशोधन वापिस लेने के लिए सभा की अनुमति प्राप्त है।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिये गये।

The amendments were, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : अब मैं श्री यशपाल सिंह के संशोधन संख्या 3 को मतदान के लिए रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3 मतदान लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 3 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"इस सभा की राय है कि मूल्य-वृद्धि को रोकने, देश के आन्तरिक साधन जुटाने और सट्टेबाज़ी को रोकने के लिए गैर-सरकारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के हेतु तुरन्त उपाय किये जायें।"

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

The Resolution was negatived.

प्रशासनिक सुधार आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन के बारे में संकल्प

RESOLUTION *RE.* INTERIM REPORT OF ADMINISTRATIVE REFORM: COMMISSION

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"इस सभा की राय है कि प्रशासन सुधार आयोग द्वारा अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में, जो 1 नवम्बर, 1966 को सभा-पटल पर रखा गया था, की गई सिफारिशें सरकार पूर्ण रूप से स्वीकार करे और उक्त सिफारिशों को अविलम्ब कार्य रूप देने के लिये तदनुसार विधान अधिनियमित करने के हेतु आवश्यक कार्यवाही करे।"

सभापति महोदय : आप अपना भाषण अगली बार जारी रखें। अब हम आधे घंटे की चर्चा आरम्भ करेंगे।

**राजस्थान के श्री छगनलाल गोदावट के यहां छापा

**RAID ON SHRI CHHAGGANLAL GODAVAT OF RAJASTHAN

Shri Madhu Limaye (Monghyr): At the outset, I warn the hon. Minister not to make any incorrect statement as I have got a copy of the letter of Chief Minister of Rajasthan sent to him.

A person of Sadri in Rajasthan, whose name is Chhagganlal Godavat, had a large quantity of gold with him. He did not declare the gold in his possession as required under Defence of India Rules. Excise Department of the Ministry of Finance came to know of it and they organised a raid and discovered some gold. They suddenly called of the searches at the mysterious bidding of somebody. Bribes totaling Rs. 30,000 were given to customs officials and an imported car was given to a Minister.

He gave a part of the gold to a friend, Ganpatlal for custody. On demand he returned only 7 slabs weighing 21 kilograms. He kept 44 slabs with him. He sought the help of some congress leaders and Ministers of Rajasthan to weigh the late Prime Minister, Shri Lal Bahadur Shastri in gold. On coming to know of it Chhagganlal Godavat lodged a first information

---

**आधे घंटे की चर्चा।

**Half-an-hour discussion.

[Shri Madhu Limaye]

report with the police. Ganpatlal had deposited 56.863 kilograms of gold in Rajasthan treasury. Meanwhile the police seized 56 Kgs of gold from Ganpatlal and his associates.

Ganpatlal approached the Chief Minister of Rajasthan in this matter. Instead of asking him as to wherefrom he got the gold, the Chief Minister tried to mislead the late Prime Minister. In view of that when will the Central Government act against the Chief Minister of Rajasthan?

At the time when the police was making attempts to arrest Ganpatlal, the Chief Secretary of Rajasthan, the Finance Minister and the Collector were in touch with him. What action has been taken against the Chief Minister in that connection? He knew that the gold seized by the police and deposited in the treasury had not been declared. Why do he not inform the Finance Minister about this matter?

I now come to the matter of responsibility of the Finance Minister in this connection. Why the searches were stopped in the month of August? Why the gold was sold in the market? Whether any enquiry has been held in the matter of a bribe of Rs. 30,000 and a Motor Car? What steps have been taken by the Central Government to receive the gold recovered from Shri Ganpatlal and his associates, which is lying with the Government of Rajasthan as evidenced by treasury receipt and F.I.R. challan, which I have laid* on the Table of the House. I demand a judicial enquiry into this whole matter.

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur): The officials of the Customs Department submitted a report to the Government after they stopped searches in August, 1965. Will the hon. Minister lay a statement on the Table of the House regarding action taken in this regard.

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : यह आरोप गलत है कि हमने प्रधान मंत्री के चुनाव में मुख्य मंत्री के प्रभाव में आकर अपने मत का प्रयोग किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सोने के दो अलग अलग सेट थे एक तो वह जो कि पंचायत नामा में दर्ज है और दूसरा जो खजाने तथा कलक्टर के पास जमा किया गया था अथवा एक ही सेट था ?

Shri Shiv Charan Mathur (Bhilwara): In the last week of November or in the beginning of December Shri Ganpat Lal came to me and informed that he wants to weigh Shri Lal Bahadur Shastri with his own gold. On an enquiry he told me that he belongs to a rich family which possessed sufficient gold. Keeping in view the national interest I arranged meeting between late Prime Minister and Shri Ganpat Lal.

Late Prime Minister Lal Bahadur Shastri told him that he does believe in such sort of things and advised him to give in writing. He also told Ganpati Lal that he will inform the Chief Minister of Rajasthan in this matter. I think, I have done a good job in sending that man to the Late Prime Minister. I do not know whether it was a declared gold or otherwise. This matter was discussed in the Congress Parliamentary Party also.

*अध्यक्ष महोदय द्वारा बाद में आवश्यक अनुमति न दिए जाने के कारण पत्र सभा-पटल पर रखे गये नहीं माने गये ।

*The Speaker not having subsequently accorded the necessary permission, the papers were not treated as laid on the Table.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यह एक राष्ट्रीय मामला है । यदि इस षडयंत्र की व्यापकता सच्ची है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई निष्पक्ष जांच कराई गई है यदि नहीं तो क्या माननीय मंत्री लगाये गये गम्भीर आरोपों को देखते हुये अब कोई जांच करायेंगे ?

Shri Parkash Vir Shastri (Bijnor): I would also like to know whether it was a declared gold or not?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : इस सोने के प्रश्न पर सभा पटल पर कई पत्र रखे गये हैं जिनको मैंने नहीं देखा है । मैं नहीं जानता कि उन दस्तावेजों में किसी अधिकारी अथवा मंत्री को दिये गये सोने का उल्लेख है अथवा नहीं । यदि उन दस्तावेजों में लगाये गये आरोपों का कोई उल्लेख नहीं है तो मैं इतना ही कहूंगा कि माननीय सदस्य को अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिये था श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने बहुत ही सम्बन्धित तथा उचित प्रश्न पूछा है । मुझे केवल उसी सोने का पता है जोकि खजाने में जमा हो गया है और जिसका पंचनामे से सम्बन्ध है । इसके अतिरिक्त मुझे किसी अन्य सोने का पता नहीं है । यह सभा तथा मेरे लिए एक अनुमान लगाने वाली बात ही है कि यह वही सोना है अथवा कोई अन्य सोना है ।

जहां तक मेरा सम्बन्ध है कि मुझे प्राप्त सूचना पर ही निर्भर करना पड़ता है । 6 जनवरी, 1965 को राजस्थान के एक व्यक्ति ने उस समय के वित्त मंत्री को पत्र लिखा था जिस में छगनलाल गोदावत के पास तथाकिथत छिपे हुए सोने के बारे में बताया गया था। यह सूचना राजस्व गुप्तचर विभाग के निदेशालय के पास भेज दी गई ताकि वह पता लगा सके कि इस में कुछ सचाई है अथवा नहीं।

इस बात का संतोष कर लेने के लिये पश्चात् कि जांच का एक मामला है इस जानकारी को 9 अप्रैल, 1965 को निदेशक ने इस सूचना को सम्बंधित क्षेत्राधिकारी को दे दिया जैसी कि सामान्यत: प्रक्रिया है। इस मामले में क्षेत्राधिकारी दिल्ली के के द्रीय सीमाशुल्क निदेशक है। 3 जून, 1965 को श्री छगनलाल गोदावत के निवास स्थान बगाना तथा छोटी सादरी पर एक साथ छापे मारे गये। यह काम 4 जून को समाप्त हो गया तथा कुछ सामान बरामद किया गया। बरामद सोने को जब्त कर लिया गया है। इन छापों के दौरान विदेशी मार्क की कुछ चांदी भी बरामद हुई जिस का मूल्य लगभग 51,000 रुपये है । 3 जून को छोटी सादरी में मारे गये छापे के दोरान कुछ दस्तावेज भी कब्जे में लिये गये थे जो कि श्री छगन लाल द्वारा किये गये सोदों के सम्बन्ध में थे।

जिस व्यक्ति ने यह जानकारी दी थी वही व्यक्ति पुन: 7 जून, 1965 को दिल्ली आये तथा केन्द्रीय सीमा शुल्क के निदेशक को कुछ और सूचना दी। इस सूचना के पश्चात् तथा यह संतोष कर लेने के पश्चात् कि वास्तव में छानबीन के लिये मामला है 2 अगस्त से 22 अगस्त, 1965 तक बगान में 29 जुलाई से 14 अगस्त, 1965 तक छोटी सादरी में श्री छगनलाल के निवास स्थानों की तलाशी ली गई थी। 14 अगस्त को दोपहर 12 बजे सोने की 9 सिलियों का पता लगा और दो बजे तक इस काम को पूरा कर लिया गया था।

16 अगस्त, 1965 को बागान में 9,400 रूपये के मूल्य का 0·175 किलोग्राम सोना बरामद किया गया। इस सोने को जब्त कर लिया गया था 15 अगस्त को स्वतन्त्रता दिवस के कारण तथा 17 अगस्त को नगर में आम हड़ताल होने के कारण तलाशी का काम

नहीं किया जा सका। एक सभा करके लोगों को आयकर अधिकारियों के विरुद्ध भड़काया गया तथा उन्होने सभा से लौटते समय पुलिस पर पत्थर फैंके। 29 जुलाई, 1965 को छोटी सादरी से 12,50,010 रूपये के मूल्य का 214-040 किलोग्राम सोना बरामद किया गया था। इस सोने को भी जब्त कर लिया गया है। 29 जुलाई से 14 अगस्त, 1965 के दौरान 2,900·750 किलोग्राम चांदी बरामद की गई। यह सारी चांदी के सिक्के राज्य सरकार के अधिकारियों के पास हैं। वे इस पर ट्रेजर-ट्रोल्स अधिनियिम के अन्ततः अपना दावा कर रहे हैं।

जहां तक सोने का सम्बन्ध है मैं ने समस्त इतिहास बता दिया है।

जहां तक दूसरी बातों का सम्बन्ध है कि इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट गणपतलाल गोदावत, जोकि श्री छगन लाल के पुत्र हैं, ने दे थी। मैंने इस रिपोर्ट तथा इसकी प्रतिलिपि को नहीं देखा है। उस में उन्होंने बताया था कि उन्होंने श्री गणपतलाल को 51 सिल्लियां दी थी जिनका वजन 253 सेर है परन्तु श्री गणपतलाल ने उन में से केवल 7 सिल्लियाँ वापस दी हैं। उस शिकायत के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 के अन्तर्गत मामला संख्या 7765 दर्ज किया गया था। 10 दिसम्बर, 1965 को श्री गणपतलाल राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव से जयपुर में मिले और उनको लिखित रूप में इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि वह तत्कालीन प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री को सोने में तोलना चाहते हैं और चित्तौड़ के कलक्टर को इस सोने को स्वीकार करने तथा सुरक्षा में रखने के अनुदेश दिये जाने चाहिए। वित्त विभाग के सचिव द्वारा जिला कलक्टर चित्तौड़ गढ़ को आवश्यक अनुदेश दिये गये थे कि वह श्री गणपतलाल द्वारा जमा किये गये सोने को ले ले और उसकी रसीद उनको दे दें।

जहां तक चित्तौर गढ़ का सम्बन्ध है, वहां के जिला कलक्टर कुछ पुलिस के साथ छोटी सादरी गये और श्री गणपतलाल ने उनको सोने की 44 सिल्लियां अपने कब्जे में लेने को कहा। इनका बजन 56·863 किलोग्राम था। यह सोना एक खेत की खुदाई करने से बरामद हुआ और इस सोने के बारे में पंचनामा तथा वसूली ज्ञापन पुलिस ने तैयार किया। कुछ स्वर्णकारों की उपस्थिति में इस सोने को तोला गया और राज कोष में जमा कराने के पश्चात इसकी रसीद दे दी गई थी। रसीद में यह लिखा गया था कि वित्त विभाग के 10 दिसम्बर, 1965 के आदेश-नुसार सोने की 44 सिल्लयां जिनका भार 56·863 किलोग्राम है चितौर गढ़ के जिला राजकोष में जमा कर दिया गया है और इसलिये उसकी रसीद श्री गणपतलाल को दी जा रही है।

घटनाओं को देखते हुए कि जो सोना पाया गया वह वैसा ही था जैसा कि पचनामा और जारी की गई रसीद में बताया गया है। इस बात को देखते हुए भी कि पुलिस की उपस्थिति में इस व्यक्ति ने सोना राजकोष जमा कराया, यह अनुमान लगाया गया कि यह वही सोना है जो हस्तांतरित किया गया था जिसका उल्लेख पंचनामा और रसीद दोनों में है। इस प्रकार सोने की दो ढेरियां होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह सोना राजस्थान सरकार के पास जमा है।

इसके पश्चात 9 किलोग्राम सोना और भी बरामद किया गया। यह सोना श्री भी गणपत-लाल द्वारा सूचना दिये जाने पर बरामद किया गेया था। तलाशी अभी जारी है। उन्होंने वसूल

हुए सोने की रसीद दी है और वही इसके लिये जिम्मेदार है। इस सोने के बारे में सम्बन्धित लोगों से पूछताछ की जा रही है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सोना घोषित किया हुआ था।

श्री शचीन्द्र चौधरी : नहीं। यह घोषित सोना नहीं हैं। हम तथ्यों की जांच कर रहे हैं जिस से यह पता चल सके कि वह सोना उनके पास कहां से आया तथा अब इसका क्या होना चाहिये।

जहां कहीं से भी ऐसे सोने का पता चला कि वह सोना कहां से आया हमने उस सोने को जब्त कर लिया। इसके अतिरिक्त श्री छगनलाल पर 25 लाख रुपये जुर्माना किया गया है। लगाये गये अन्य दोषों के बारे में मुझे कोई पता नहीं है। यदि सभा पटल पर रखे गये पत्रों से कुछ पता चला तो मैं अवश्य उसकी जांच करूंगा।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 14 नवम्बर, 1966/23 कार्तिक 1888(शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, the 14 November, 1966/Kartika 23, 1888 (Saka).

GMGIPND—LS III—2309 (Ai)LS—2-5-67—600.